दशम माला, खण्ड 26, अंक 1

गुरूवार 2 दिसम्बर 1993
11 अग्रहायण, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अँग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अँग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

2 दिसम्बर, 1993 के लोक सभा वाद-विवाद के
हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
मुखपृष्ठ	स्तम्भ 2		
111	17	गुरूवार	गुरुवार
1	10	"सदस्यों को शपथ	"सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण दिलाई गई"
44	6	"पाजा" के स्थान पर	"पांजा" पढ़िए ।
	नीचे से 5		
89	9	"घाटावार" के स्थान पर	"घाटोवार" पढ़िए ।
	नीचे से 10	"थुमन" के स्थान पर	"थुंगन" पढ़िए ।
137	12	"श्री पबन सिंह घटोवार" के स्थान पर	"श्री पवन सिंह घाटोवार" पढ़िए ।

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 26, आठवां सत्र, 1993 / 19 (शक)

अंक 1, गुरुवार 2 दिसम्बर, 1993 /11 अग्रहायण 1915 (शक)

विषय		पृष्ठ
राष्ट्रगान	**धुन बजाई गई**	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण		1
निधन संबंधी उल्लेख		1
श्री पी.वी. नरसिंह राव		7
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		9
श्री सोमनाथ चटर्जी		10
श्री राम विलास पासवान		11
श्री इन्द्रजीत गुप्त		11
श्री चित्त वसु		12
श्री पी.जी. नारायणन		13
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे		13
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 20		14 - 35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 167		35 - 156

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजलोज, श्री थाइल जान (अलप्पी)

अंसारी, श्री मुमताज.(कोडरमा)

अकबर पॉशा, श्री बी० (वेल्लौर)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराजू, श्री एल० (तिरूचिरापल्ली)

अन्तुले, श्री ए० आर० (कोलाबा)

अन्बारासु, श्री आर (मद्रास मध्य)

अब्दुल गफूर, श्री (गोपालगंज)

अयूब खां, श्री (झंझुनू)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुतुराई)

अ[redacted]चलम, श्री एम० (टेन्कासी)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)

अंस, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)

अहमद, श्री ई० (मंजेरी)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (इनमकोण्डा)

अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजम, डा० फैयाजुल (बेतिया)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरूचेन्दूर)

इ

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

इम्चालम्बा, श्री (नागालैंड)

इस्लाम, श्री नुरूल (धंबरी)

उ

उन्नीकृष्णन्, श्री के०पी० (बडागरा)

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)

उमराव सिंह, श्री (जालन्धर)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उम्ब्रे, श्री लाईता (अरूणाचल पूर्वी)

उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, प्रो० (तेनाली)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

ओ

ओडियार, श्री चनैया (दावणगेरे)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटियार, श्री विनय (फैज़ाबाद)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कनोजिया डा० जी०एल० (खीरी)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)

करंदुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कहांडोले, श्री जेड०एम० (मालेगांव)

कांशीराम, श्री (इटावा)

कापसे, श्री राम (ठाणे)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तरपूर्व)

कामसन, प्रो० एम० (बाह्य मणिपुर)

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)

कालकादास, श्री (करोलबाग)

कालियापेरूमल, श्री पी०पी० (कुड्डालपैर)

काले, श्री शंकर राव दे० (कोपरगांव)

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)

कुडुमुला, कुमारी पद्म श्री (नेल्लोर)

कुन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)

कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)

कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलौर)

कुमारमंगलम्, श्री रंगराजन (सलेम)

कुमारासामी, श्री पी० (पलानी)

कुरियन, प्रो० पी०जे० (मवेलीकारा)

कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)

कुसमरिया, डा० रामकृष्ण (दमोह)

कृष्ण कुमार,

कृष्ण स्वामी, श्री एम०(वन्डिवाशी)

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती (भरतपुर)

केवल सिंह, श्री (भटिंडा)

केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)

केनिथी, डा० विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)

कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौरी, श्री गया प्रसाद (जालौन)

कोली, श्री गंगा राम (ब्याना)

कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

ख

खण्डेवाल, श्री ताराचन्द (चांदनी चौक)

खन्ना, श्री राजेश (नई दिल्ली)

खनोरिया, मेजर डी०डी०(कांगड़ा)

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खां, श्री असलम शेर (बेतुल)

खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)

खां, श्री सुखेन्दु (बिशनुपुर).

*खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)

ग

गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)

गगोई, श्री तरुण (कालियाबोर)

गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)

गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)

गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गालिब, श्री गुरचरण सिंह (लुधियाना)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)

गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)

गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)

गिरियप्पा, श्री सी०पी० मुदाल (चित्रदुर्ग)

गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)

गुडाडिन्नी, श्री बी०के० (बीजापुर)

*2 दिसम्बर 1993 को त्यागपत्र दिया और उनका त्यागपत्र तुरन्त प्रभाव के साथ स्वीकार कर लिया गया।

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (विरांचिकिल)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंहजी (भावनगर)
गौड, प्रो०के० वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मारोतराव (वर्धा)
घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

च

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरूम्बुदूर)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी० (कराड)
चाक्को, श्री पी०सी० (त्रिचूर)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)
चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)
चिदंम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा० (तिरूपति)
चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, श्री ए०बी०ए० गनी खां (मालदा)
चौधरी, स्क्वैड्रन लीडर कमल (होशियारपुर)
चौधरी, डा०के०वी०आर० (राजामुन्दरी)
चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)
चौधरी, श्री राम टहल (रांची)
चौधरी, श्री राम प्रकाश (अंबाला)
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौरे, श्री बापू हरि (धूले)
चौहान, श्री चेतन पी०एम० (अमरोहा)
चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद)
छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)

ज

जंगबीर सिंह, श्री (भिवानी)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जनार्दनन, श्री एम०आर० कादम्बूर (तिरूनेलवेली)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जयमोहन, श्री ए० (तिरूपत्तूर)
जसवंत सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जांगड़े, श्री खेलन राम (विलासपुर)
जाखड़, श्री बलराम (सीकर)
जाटव, श्री बारे लाल (मुरैना)

जाफर शरीफ, श्री सी०के० (बंगलौर उत्तर)

जावाली, डा०बी०जी० (गुलबर्ग)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जीवरत्नम, श्री आर० (अर्कोनिम)

जैना, श्री श्रीकान्त (कटक)

जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)

जोशी, श्री अन्ना (पुणे)

जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)

झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी०जे० (दमन और दीव)

टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति (टिंडिवनाम)

टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच० (बड़ौदा)

टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़वंज)

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)

डेलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभूम)

त

तंग्काबालु, श्री के०वी० (धर्मपुरी)

तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुर द्वारस)

तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)

तोमर, डा० रमेशचन्द (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (कैसरगंज)

त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंठा)

थ

थामस, प्रो०के०वी० (एरणाकुलम)

थामस, श्री पी०सी० (मुक्तुपुजा)

थुंगन, श्री पी०के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

द

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई-उत्तर पश्चिम)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दादाहूर, श्री गुरूचरण सिंह (संगरूर)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारकानाथ (करीमगंज)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

दिघे, श्री शरद (मुम्बई-उत्तर मध्य)

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)

दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)

दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)

देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)

देवगौंड़ा, श्री एच०डी० (हसन)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई-दक्षिण)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)

देवी, श्रीमती बिभू कुमारी (त्रिपुरा-पूर्व)

देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)

देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)

धूमल, प्रो० प्रेम (हमीरपुर)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)

नवले, श्री विदुरा बिठोबा (खेड़)

नाइक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नायक, श्री ए० वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)

नायक, श्री सुबास चन्द्र (कालाहांडी)

नायक, श्री डी०के० (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री पी०जी० (गोबिचेट्टिपालयम)

निकाम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरी)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)

प

पंडियन, श्री डी० (मद्रास-उत्तर)

पंवार, श्री हरपाल (केराना)

पटनायक, श्री शरत चन्द्र (बोलंगीर)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बालसाड)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा)

पटेल, श्री बृशिण (सीवान)

पटेल, श्री भीमसिंह (रीवा)

पटेल, श्री रामपूजन (फूलपुर)

पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)

पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)

पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)

पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)

डा० (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)

पवार, डा० बसंत (नासिक)

पांजा, श्री अजित (कलकत्ता, उत्तर-पूर्व)

पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)

पाटील, श्री अन्वरी बसवराज (कोप्पल)

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)

पाटील, श्री प्रकाश वी० (सांगली)

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)

पाटील, श्री विजय एन० (इरूदोल)

पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल (शाहबाद)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर (बालासौर)

पायलट, श्री राजेश (दौसा)

पाल, डा० देवी प्रसाद
(कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पालावोला, श्री वी०आर० नायडू (खम्माम)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)

पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री बलराम (नैनीताल)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)

पेरुमान, डा०पी० वल्लल (चिदम्बरम)

पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

प्रकाश, श्री शशि (चेल)

प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुर)

प्रभु, श्री आर० (नीलगिरिस)

प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराज नगर)

प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)

प्रेम, श्री बी०एल० शर्मा (पूर्व दिल्ली)

प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार (उदीपी)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपूर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फारूक, श्री एम०ओ०एच० (पांडिचेरी)

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक (अकोला)

फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)

बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)

बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)

बर्मन, पलास (बलूरघाट)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बाला, डा० असीम (नवद्वीप)

बालयोगी, श्री जी०एम०सी० (अमालपुरम)

बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फरनगर)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बूटासिंह, श्री (जालौर)

बैरवा, श्री राम नारायण (टोंक)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोंसले, श्री तेजसिंह राव, (रामटेक)

भोंसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

भोई, डा० कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)

मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)

मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)

मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)

मरन्डी, श्री कृष्ण (सिंहभूम)

मरान्डी, श्री साईमन (राजमहल)

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस० (तुमकुर)

मल्लू, डा० आर० (नगर कुरनूल)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)

महतो, श्री राजकिशोर (गिरिडीह)

महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)

माडेगौडा, श्री जी० (माण्डया)

माणे, श्री राजाराम शंकरराव (इवलकरांजी)

माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)

मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)

मिर्धा, श्री रामनिवास (बाडमेर)

मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखर्जी, श्री सुब्रत (रायगंज)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)

मुजाहिद, श्री बी०एम० (धारवाड़-दक्षिण)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (विमूर)

मुनियप्पा, श्री के०एच० (कोलार)

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)

मुरलीधरन, श्री के० (कालीकट)

मुरूगेसन, डा०एन० (करूर)

मुरूमु, श्री रूप चन्द्र (झाड़ग्राम)

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम०वी०वी०एस० (विशाखापटनम)

मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैथ्यू, श्री पाला के०एम० (इदुक्की)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)

मोहन सिंह, श्री (फिरोजपुर)

मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदोली)

य

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)

यादव, श्री राम शरण सिंह (खगरिया)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, डा० एस०पी० सिंह (सम्भल)

यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)

यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

युमनाम, श्री याइमा सिंह (आर्तोरिक मणिपुर)

र

रंगपी, डा० जयन्त (स्वशासी जिला)

रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)

राजनारायण, श्री (बासगांव)

राजरविवर्मा, श्री बी० (पोल्लाची)

राजू, श्री भू० विजयकुमार (नरसापुर)

राजुलू, डा० आर०के०जी० (शिवकासी)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रकुमार, श्री एस०एस०आर० (चिंगलपट्टू)

राजेश कुमार, श्री (गया)

राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)

राठवा, श्री एन०जे० (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशी राम (सूरत)

राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री प्रेमचन्द्र (नवादा)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)

रामदेव, राम, श्री (पलामू)

राम बदन, श्री (लालगंज)

राम बाबू, श्री ए०जी०एस० (मदुरै)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)

राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सिंह, श्री (हरिद्वार)

रामासामी, श्री राजगोपाल नायडु (पेरियाकुलम)

रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरू)

राय, श्री एम० रमन्ना (कासरगोड़)

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)

राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)

राय, श्री लाल बाबू (छपरा)

राय, डा० सुधीर (बर्दवान)

राय, श्री हाराधन (आसनसोल)

रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)

रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)

राव, श्री डी० वेंकटेश्वर (बापतला)

राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)

राव, श्री पी०वी० नरसिंह (नन्दयाल)

राव राम सिंह, कर्नल (महेन्द्रगढ़)

राव, श्री वी० कृष्ण (चिक्बल्लापुर)

रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)

रावल, डा० लाल बहादुर (हाथरस)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई-दक्षिण मध्य)

राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)

रेड्डयया यादव, श्री के०पी० (मछलीपटनम)

रेड्डी, श्री आर० मुरेन्द्र (वारंगल)

रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री ए० वेंकट (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एम० बागा (मेडक)

रेड्डी, श्री जी० गंगा (निज़ामाबाद)

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एम०जी० (चित्तूर)

रेड्डी, श्री वी०एन० (मिश्यालगुडा)

रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कुडप्पा)

रोशन लाल, श्री (खुर्जा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)

लालजान वाशा, श्री एस०एम० (गुन्टूर)

लोढा, श्री गुमान मल (पाली)

व

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)

वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)

वर्मा, श्री भवानीलाल (जांजगीर)

वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)

वर्मा, प्रो० रीता (धनबाद)

वर्मा, कु० विमला (सिवनी)

वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)

वर्मा, श्री सुशील चन्द्र (भोपाल)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (गोधरा)

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)

वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया (थंजावुर)

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री वी०एस० (पालघाट)

विलियम्स, मेजर जनरल आर०जी०
(नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र सिंह, श्री (मिर्जापुर)

वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई (राजकोट)

व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)

शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार (अमेठी)

शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)

शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)

शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिंहरी-गढ़वाल)

शिगडा, श्री डी०बी० (दहानू)

शिवप्पा श्री के०जी० (शिमोगा)

शिवरामन् श्री एस० (ओट्टापलम)

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)

शैलजा, कुमारी (सिरसा)

श्रीधरण, डा० राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)

श्रीनिवासन, श्री सी० (डिन्डिगुल)

स

संगमा श्री पूर्णो ए० (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)

सईद, श्री पी०एम० (लक्षद्वीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतीपूरम)

सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)

सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)

सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस (कटिहार)

साक्षी, जी० डा० (मथुरा)

सादुल, श्री धर्मण्णा मोडय्या (शोलापुर)

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)

साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)

सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)

सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

सिंगला, श्री संतराम (पटियाला)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिदनाल, श्री एस०बी० (बेलगॉव)

सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारादेवी (चिकमगलूर)

सिल्वेरा, डा० सी० (मिजोरम)

सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अर्जुन (सतना)

सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, डा० छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, कु० पुष्पा देवी (रायगढ़)

सिंह, श्री प्रताप (बांका)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (गोण्डा)

सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राजवीर (आंवला)
सिंह, श्री रामनरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह, श्री शिवशरण (वैशाली)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)
सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)
सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सिंह देव, श्री के०पी० (देकानाल)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरूदासपुर)
सुन्दरराज, श्री एन० (पुडुक्कोट्टाई)
सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील (अड्डूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान (पोन्नान)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सैकिया, श्री मुहीराम (नौगोंग)
सैयद, श्री शहाबुद्दीन (किशनगंज)
सोडी, श्री मनक्कूराम (बस्तर)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
सोन्द्रम, डा० (श्रीमती) के०एस० (तिरूचेंगोड़)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)
स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

ह

हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जौरहाट)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

लोकसभा

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी० पाटिल

उपाध्यक्ष

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या

सभापति तालिका

श्री शरद दिघे

प्रो० मालिनी भट्टाचार्य

श्री तारा सिंह

श्री नीतीश कुमार

श्री राम नाईक

श्री पीटर जी० मरबनिआंग

महासचिव

श्री सी०के० जैन

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, इलैक्ट्रानिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रसायन और उर्वरक, ग्रामीण विकास, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रिमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं ।	:	श्री पी०वी० नरसिंह राव
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री		श्री ए०के० एन्टनी
मानव संसाधन विकास मंत्री		श्री अर्जुन सिंह
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री		श्री बी० शंकरानन्द
कृषि मंत्री		श्री बलराम जाखड़
रेल मंत्री		श्री सी०के० जाफर शरीफ
विदेश मंत्री	:	श्री दिनेश सिंह
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	:	श्री गुलाम नबी आजाद
वित्त मंत्री		श्री मनमोहन सिंह
विद्युत मंत्री	:	श्री एन०के०पी० साल्वे
वाणिज्य मंत्री	:	श्री प्रणव मुखर्जी
गृह मंत्री		श्री एस०बी० चव्हाण
शहरी विकास मंत्री	:	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	:	श्री सीताराम केसरी
जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री	:	श्री विद्याचरण शुक्ल

राज्य मंत्री
(स्वतन्त्र प्रभार)

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित कुमार पांजा
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव
वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री के०पी० सिंह देव
खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी०ए० संगमा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन सतीश शर्मा
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुखराम
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरुण गगोई

राज्य मंत्री

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० अब्रार अहमद
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती बासवा राजेश्वरी
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भुवनेश चतुर्वेदी
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा	श्री एडुआर्डो फैलीरो

इलैक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विभाग में राज्य मंत्री	
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच०आर० भारद्वाज
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के०सी० लेंका
कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के०वी० तंगकाबालू
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कमालुद्दीन अहमद
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्री एम० अरूणाचलम
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मार्गरेट अल्वा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुकुल वासनिक
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी०के० थुंगन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी०एम० सईद
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी०वी० रंगय्या नायडू
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आर०एल० भाटिया
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कर्नल राम सिंह
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री रामेश्वर ठाकुर

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती सुखबंस कौर
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई पटेल

उप मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पवन सिंह घाटोवार
गृह मंत्रालय में उप मंत्री	श्री राम लाल राही
मानव संसाधन विकास विभाग (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री	कुमारी शैलजा

लोक सभा

गुरुवार, 2 दिसम्बर 1993/11 अग्रहायण, 1995, (शक)

लोकसभा 11.00 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई ।

11.02 म०पू०

सदस्यों को शपथ दिलाई गई

श्री एस० शिवरामन (ओट्टापलम)

श्री पी० कुमारसामी (पलानी)

11.05 म०पू०

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, चूंकि हम आज मिल रहे हैं । अतः मुझे उद्योग के पुरोधा और भारत रत्न श्री जे०आर०डी० टाटा के निधन की सूचना सभा को देने का दुखद कार्य करना पड़ रहा है । आज ही हमें अपने सहयोगियों श्री नानी भट्टाचार्य और ग्यारह अन्य भूतपूर्व सांसदों अर्थात् सर्वश्री पुरेन्दु शेखर नस्कर, द्वारकानाथ तिवारी, नरेन्द्र पी० नाथबानी, हितेंद्र देसाई, के० वरिय्या, शान्तनु कुमार दास, के० जनार्दन रेड्डी, पी० वेंकट सुब्बैय्या, श्रीमती कृष्णा महता, श्री राजमंगल पाण्डे और श्री एच० एम० पटेल के निधन पर भी शोक व्यक्त करना है ।

देश को 29 नवम्बर, 1993 को श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा जो जे०आर०डी० के नाम से सुविख्यात थे, का जेनेवा में निधन हो जाने का समाचार मिला । वह 89 वर्ष के थे ।

श्री टाटा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । उन्होंने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे भारतीय उद्योग से लगभग पच्चास वर्षों से अधिक समय तक संबद्ध रहे । उन्होंने विकास के लिए,

खासतौर से इस्पात उद्योग और नागर विमानन के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं जुटाने में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने उद्योगों में मजदूर कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की अनेक योजनाएं आरंभ करके दूरदर्शिता का परिचय दिया जो उत्प्रेरक सिद्ध हुई ।

श्री टाटा ने विज्ञान को बहुत समर्थन दिया और अनेक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया । वे भारतीय विज्ञान संस्थान (इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस) तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे । वे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य थे । उन्होंने श्री होमी जे० भाभा के साथ मिलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विकास केंद्र सिद्ध हुआ और आज वह विश्व के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है ।

श्री टाटा का सामाजिक, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में किया गया योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए उनका रचनात्मक और सशक्त समर्थन सर्वविदित है । उन्होंने अनेक धमार्थ न्यासों, शैक्षिक अन्य अनेक मानव कल्याण संबंधी संस्थाओं की स्थापना की जिसमें सुविख्यात टाटा मैमोरियल कैंसर अस्पताल भी शामिल है ।

संक्षेप में श्री टाटा देश के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे ।

वे सादगी और विनम्रता के प्रतिमूर्ति और निहायत सज्जन पुरुष थे । जो भी उनके संसर्ग में आया उन्होंने उसे तत्काल प्रेरित किया । देश के लिए उनकी लम्बी और दक्ष सेवाओं को मान्यता देते हुए देश का सर्वोच्च सम्मान ''भारत रत्न'' उन्हें प्रदान करना ही सर्वथा उचित था ।

शायद उनके विशुद्ध, ईमानदार और सादे जीवन के कारण ही उनका अन्त भी इतना शांतिपूर्ण ढंग से हुआ।

अपने जीवनकाल में सुविख्यात श्री टाटा समाज सेवा के क्षेत्र में पच्चास वर्ष से अधिक समय का अतुलनीय इतिहास छोड़ गए हैं जो अपने आप में वर्तमान और भावी पीढ़ियों को इसका अनुसरण करने की प्रेरणा देता है ।

श्री नानी भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के बरहामपुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे । वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं लोक सभा के भी सदस्य थे ।

इससे पहले वह 1962 से 1987 तक चार बार पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे । पश्चिम बंगाल में वह 1967, 1969 तथा 1977 से 1982 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे और 1982 से 1987 तक सिंचाई मंत्री रहे ।

श्री भट्टाचार्य एक सक्रिय समाज सेवक, राजनैतिक कार्यकर्ता, श्रमिक नेता, पत्रकार और लेखक थे । उन्होंने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में 1939-45 के दौरान स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था और अनेक बार जेल गए थे । वह रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे । वह पश्चिम बंगाल की यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा यूनाइटेड किसान सभा के महासचिव रहे तथा विश्व भारती की कोर्ट, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति, इन्डस्ट्रियल कमीटी ऑन प्लांटेशन तथा टी बोर्ड ऑफ इंडिया के भी सदस्य रहे ।

श्री भट्टाचार्य साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों में गहरी दिलचस्पी लेते थे । उन्होंने अनेक पुस्तकें, पुस्तिकायें प्रकाशित की और सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विषयों पर अनेक लेख लिखे । वह ''दैनिक गणवार्ता'' नामक एक दैनिक समाचार पत्र भी प्रकाशित करते थे ।

श्री भट्टाचार्य का निधन 76 वर्ष की आयु में 11 अक्तूबर, 1993 को नई दिल्ली में हुआ ।

श्री पुरेन्दु शेखर नस्कर ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर और मथुरापुर निर्वाचन क्षेत्र का क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा में 1952-67 के दौरान प्रतिनिधित्व किया ।

अपने सक्रिय राजनैतिक जीवन में उन्होंने पुनर्वास मंत्रालय तथा निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री के रूप में कार्य किया । इससे पहले वह निर्माण, आवास और पूर्ति तथा पुनर्वास और अल्पसंख्यकों संबंधी कार्य मंत्री के संसदीय सचिव भी रहे ।

श्री नस्कर ने अनेक देशों का भ्रमण किया था । वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1954 और 1955 में हुए नौवें और दसवें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे । उन्होंने न्यूजीलैंड उच्चायुक्त तथा फिलीपींस में भारतीय राजदूत के रूप में अपने दायित्व का योग्यतापूर्वक निर्वहन किया ।

योग्य सांसद के रूप में उन्होंने संसदीय कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान किया ।

श्री नस्कर का 72 वर्ष की आयु में 24 अगस्त, 1993 को देहावसान हो गया ।

श्री द्वारका नाथ तिवारी पहली से छठी लोक सभा के सदस्य रहे । उन्होंने 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा में बिहार के सारन-दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । दूसरी लोक सभा में उन्होंने 1957 से 1962 तक केसरिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 1962 से उन्होंने लगातार बिहार के गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । इससे पहले वे 1937-39 के दौरान राज्य विधान सभा के सदस्य रहे ।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री तिवारी ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और उन्हें असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के परिणामस्वरूप जेल भी जाना पड़ा । उन्होंने 1942 के ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' में सक्रिय भाग लिया ।

कृषक होने के साथ-साथ वह एक सक्रिय समाजसेवक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे । वह दलितों में शिक्षा के प्रसार में गहरी दिलचस्पी लेते थे और वह विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर भी कार्यरत रहे । उन्होंने मद्यनिषेध तथा खादी और ग्रामोद्योग के सम्वर्द्धन के लिए भी काम किया ।

25 वर्ष से भी अधिक अवधि के अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान श्री तिवारी ने सभा की कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी ली और इसमें बहुमूल्य योगदान दिया । वह अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे । उन्होंने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी समिति तथा आवास समिति के सभापति के पद पर भी कार्य किया ।

श्री तिवारी ने अनेक देशों का भ्रमण किया । वह 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मेम्बर, डेलीगेट (आल्टरनेट) थे और उसकी कुछ समितियों के सदस्य भी रहे ।

श्री तिवारी का देहावसान 92 वर्ष की आयु में 29 अगस्त, 1993 को पटना में हुआ ।

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी ने 1952 से 1962 के दौरान भूतपूर्व सौराष्ट्र के सोरठ निर्वाचन क्षेत्र का पहली और दूसरी लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया । उन्होंने छठी लोक सभा में 1977-79 के दौरान गुजरात के जूनागढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

वह सौराष्ट्र की ओर से अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे । वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री नाथवानी को 1932-33 के दौरान ''सविनय अवज्ञा आन्दोलन'' में भाग लेने के कारण कारावास भुगतना पड़ा । उन्होंने राजकोट सत्याग्रह में भी भाग लिया तथा ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' में भी सक्रिय भूमिका निभायी ।

श्री नाथवानी भूतपूर्व जूनागढ़ राज्य की अंतरिम सरकार में विधि मंत्री थे तथा वह बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे । बाद में उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता तथा विधि सम्मत शासन की रक्षा तथा इसके प्रोत्साहन के लिए कार्य किया । वह सिटिजन्स फार डेमोक्रेसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे तथा पीपल्स एक्शन फार सिविल लिबर्टीज की बम्बई इकाई के उपाध्यक्ष थे ।

श्री नाथवानी एक योग्य सांसद थे तथा अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों जैसे प्राक्कलन समिति तथा विशेषाधिकार समिति में कार्य किया तथा वह विभिन्न संयुक्त प्रवर समितियों से भी सम्बद्ध रहे ।

श्री नाथवानी का निधन 1 सितम्बर, 1993 को 80 वर्ष की आयु में बम्बई में हुआ ।

श्री हितेन्द्र देसाई, 1977-79 के दौरान गुजरात के गोधरा निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य थे। 1976-77 के दौरान वह केन्द्रीय निर्माण तथा आवास मंत्री तथा 1979-80 के दौरान वाणिज्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे ।

इससे पूर्व 1957-60 के दौरान वह बम्बई विधान सभा के सदस्य थे तथा बम्बई राज्य में शिक्षा मंत्री भी रहे । बाद में 1960-71 के दौरान वह गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे । वह गुजरात राज्य में मंत्री थे तथा उन्होंने गृह, शिक्षा, समाज कल्याण, विधि तथा न्यायपालिका, कृषि, वन, मद्यनिषेध आदि मंत्रालयों का कार्यभार संभाला । 1965 में वह राज्य के मुख्यमंत्री बने तथा 1971 तक इस पद पर आसीन रहे ।

श्री देसाई एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे तथा जब महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरम्भ की तो उन्होंने 15 वर्ष की अल्पायु में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया । कर न देने के अभियान के सिलसिले में वह जेल भी गए ।

श्री देसाई व्यवसाय से वकील थे तथा वह सक्रिय राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने युवा तथा विद्यार्थी आन्दोलनों में प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र तथा सामाजिक विषयों पर गुजराती में अनेक पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं ।

श्री देसाई का निधन अहमदाबाद में 12 सितम्बर, 1993 को 78 वर्ष की आयु में हुआ ।

श्री के० वीरय्या 1971-77 के दौरान तमिलनाडु के पुडुकोटाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पांचवी लोक सभा के सदस्य थे ।

व्यवसाय से कृषक तथा व्यापारी श्री वीरय्या एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। वह पुडुकोटाई नगर परिषद के चेयरमैन, सहकारी भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष तथा तिरुची जिले के पुडुकोटाई में सहकारी केन्द्रीय बैंक के निदेशक थे।

श्री वीरय्या का निधन 12 सितम्बर, 1993 को 63 वर्ष की आयु में तंजावूर में हुआ।

श्री शान्तनु कुमार दास 1946-50 के दौरान संविधान सभा के सदस्य थे।

1938 में वह उड़ीसा में जाजपुर नगर निगम के पार्षद थे। कई बार वह उड़ीसा विधान सभा के सदस्य भी रहे। 1977 में वह उड़ीसा में आबकारी मंत्री बने।

श्री दास ने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई बार जेल गए।

श्री दास एक निष्ठावान सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने समाज के दलित-वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। जब वह आबकारी मंत्री थे, तो उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोले जाने पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने इन क्षेत्रों में आश्रम-विद्यालय खोले तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री शान्तनु कुमार दास का निधन 3 अक्तूबर, 1993 को 76 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री के० जनार्दन रेड्डी आन्ध्र प्रदेश के महबूब नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1952-57 के दौरान प्रथम लोक सभा के सदस्य थे।

वह एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। 1938 में ओसमानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा की गई "बंदे मातरम" हड़ताल के जबलपुर खंड के वह अध्यक्ष थे। 1947 में उन्होंने रजाकारों के विरूद्ध प्रतिरोध आन्दोलन चलाया।

वह व्यवसाय से कृषक थे तथा वह महबूब नगर की आयोजना, सिंचाई विकास सम्बन्धी जिला समितियों के सदस्य थे।

बाद में वह राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन की केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्य बने। 1953 में बंगलौर में आयोजित किए गए सुदूर पूर्व एशिया देशों के खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे।

श्री जनार्दन रेड्डी का निधन 4 अक्तूबर, 1993 को 75 वर्ष की आयु में हैदराबाद में हुआ।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया दूसरी लोक सभा से लेकर सातवीं लोक सभा तक सदस्य रहे। 1955-77 तक उन्होंने अडोनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो बाद में नान्दयाल बन गया, का प्रतिनिधित्व किया। छठी लोक सभा में वह उप चुनाव में चुने गए। इससे पहले वह 1949-52 के दौरान मद्रास विधान सभा के सदस्य भी रहे। जनवरी 1980-84 के दौरान वह केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। वह जनवरी 1980 से जनवरी 1982 तक संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे।

श्री वेंकटसुब्बैया 1985-88 के दौरान बिहार के राज्यपाल तथा 1988 से 1990 तक कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे।

''पेंडेकांती'' के नाम से लोकप्रिय श्री वेंकटसुब्बैया काफी अनुभवी और सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह व्यवसाय से कृषक थे तथा 1946 से पंचायत बोर्ड संजामाला के अध्यक्ष रहे ।

वह अपने क्षेत्र में विभिन्न आन्दोलनों से जुड़े रहे । उन्होंने बैंगनापाल राज्य कांग्रेस-आन्दोलन का गठन किया तथा बैंगनपाल राज्य के भारतीय संघ में विलय के लिए कार्य किया। भूपतूर्व बैंगनापाले राज्य में दमनकारी भू-राजस्व में कमी के लिए उन्होंने किसान आन्दोलन का नेतृत्व किया। वह अनेकों सहकारी तथा शैक्षणिक संस्थाओं तथा निर्धन विद्यार्थियों के होस्टलों के संस्थापक अध्यक्ष थे । वह आन्ध्र राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष थे ।

वह एक सक्रिय सासंद थे तथा प्राक्कलन समिति के सभापति रहे । इसके अतिरिक्त वह अनेक समितियों यथा लोकलेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति इत्यादि के भी सदस्य रहे । वह सभापतियों की तालिका के सदस्य भी थे ।

उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की थीं । उन्होंने शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में विशेष रूचि ली तथा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों के लिए विकास कार्य शुरू किए । वह दक्षिण भारत नाती नाता सामाख्या, नई दिल्ली के अध्यक्ष थे । उन्होंने तेलुगु में ''हमारा संविधान'' नामक पुस्तक प्रकाशित की ।

श्री वेंकटसुब्बैया का निधन 12 अक्तूबर, 1993 को 72 वर्ष की आयु में हैदराबाद में हुआ ।

श्रीमती कृष्णा मेहता 1957-62 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर के किस्तवाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोक सभा की सदस्या थीं ।

वह श्री जवाहरलाल नेहरू की निकट सहयोगी तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं । वह शरणार्थियों के पुनर्वास के कार्य में सक्रिय रूप से लगी हुई थीं तथा उन्होंने बच्चों के लिए विद्यालय खोले । उन्होंन गांधी स्मारक निधि, जम्मू तथा काश्मीर का गठन किया तथा वह गांधी सेवा सदन की अध्यक्षा भी रहीं । वह महिला कल्याण केन्द्र, श्रीनगर की भी संचालिका थीं । उन्होंने हिन्दी में ''कश्मीर पर हमला'' नामक पुस्तक भी लिखी ।

श्रीमती मेहता का निधन 20 अक्तूबर, 1993 को 80 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ ।

श्री राज मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के देवरिया निर्वाचन क्षेत्र से 1984-91 के दौरान आठवीं तथा नौवीं लोक सभा के सदस्य थे । इससे पहले वह 1969-84 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान के विधान सभा के सदस्य रहे ।

वह वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 1942 के ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' में भाग लेने के कारण कई बार जेल गए उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया ।

श्री पांडे ने शिक्षा के प्रसार और कृषि के विकास के लिए अनथक प्रयास किए । अपने लम्बे और यशस्वी राजनैतिक जीवन में उन्होंने कई मंत्रालयों का कार्यभार बखूबी संभाला । उत्तर प्रदेश में वह विधि, परिवहन और श्रम मंत्री रहे और केन्द्रीय मंत्रिमंडल में वह मानव संसाधन मंत्री रहे । जहां कहीं भी वह रहे उन्होंने अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप वहां छोड़ी ।

योग्य सांसद के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाही में सक्रिय भाग लिया और अपना बहुमूल्य योगदान दिया ।

श्री पांडे का 23 नवम्बर, 1993 को कानपुर में 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ ।

श्री एच०एम० पटेल पांचवीं, छठी और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने गुजरात के धन्धुका और साबरकंठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का क्रमशः 1971-77, 1977-79 और 1984-89 तक प्रतिनिधित्व किया । वह केन्द्रीय मंत्रीमंडल में 1977-79 के दौरान वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री और जनवरी 1979 से जुलाई 1979 तक गृह मंत्री रहे ।

वह 1967-71 के दौरान गुजरात विधान सभा के सदस्य थे और गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के मानद चेयरमैन भी रहे ।

राजनीति में प्रवेश करने से पहले श्री पटेल सरकारी अधिकारी के रुप में काफी विख्यात थे । वह कई उच्च पदों पर आसीन रहे और उन्होंने अपने प्रशासकीय अनुभव का प्रदर्शन हर जगह किया । श्री पटेल ने डेरी विकास और गुजरात में सहकारिता आन्दोलन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई । वह विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े थे ।

श्री पटेल का निधन 89 वर्ष की आयु में 30 नवम्बर, 1993 को वल्लभ विद्यानगर, जिला खेड़ा, गुजरात में हुआ ।

हम श्री जे०आर०डी० टाटा और अन्य भूतपूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं ।

गुरुवार, 30 सितम्बर, 1993 को महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई भाग भारी भूकम्प से प्रभावित हुए जिसमें काफी जान-माल की क्षति हुई । सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र था । भूकम्प की तीव्रता इतनी थी कि किल्लारी, तलानी, मंगानुल, लामजना, कवाथा और 40 अन्य गांवों का नामो-निशान मिट गया । बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की जानें गईं, कई घायल हुए और कई शरणार्थी बने । लोगों को बहुत तकलीफ और कष्ट उठाने पड़े।

बड़े पैमाने पर राहत कार्य हो रहा है । कई राज्यों, केन्द्र और विदेशों से भी सहायता प्राप्त हुई है ।

कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए संसाधन जुटाने में अहम भूमिका निभाई है ।

प्रधान मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : बहुत ही भारी दिल से मैं भारतीय उद्योग के शिखर पुरूष श्री जे०आर०डी० टाटा, जिनका 29 नवम्बर, 1993 को जिनेवा में निधन हो गया, को श्रद्धांजलि देने के लिये खड़ा हुआ हूं । भारत रत्न श्री जे०आर०डी० टाटा एक ऐसे उद्योगपति थे जिनमें विशिष्ठ गुण थे । उन्हें विरासत में एक औद्योगिक साम्राज्य मिला था जिसका पल्वन और पुष्पवन उन्होंने अपनी अद्वितीय गतिशीलता तथा व्यापारिक कुशलता से किया । इसके बावजूद धन अर्जित करने का उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। उनके व्यापारिक प्रयासों का उद्देश्य भविष्य के प्रति व्यापक दूरदृष्टि अपनाना तथा राष्ट्र एवं सामाजिक प्रयोजन के लिए चिन्ता करना था ।

श्री टाटा ने स्वयं को कभी राजनीतिज्ञ नहीं माना । उनकी दृष्टि में यदि राजनीति को छोटे अर्थ में देखा जाय तो यह कवल चुनाव लड़ना और जीतना है तथापि, श्री टाटा के लिए देश के भविष्य के लिए सोचना और

उसमें रूचि लेना ही सदा अभीष्ट था । उनकी चिन्ता इन बातों से परिलक्षित होती है कि उन्होंने उद्योग विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर ध्यान दिया । उन्होंने बहुत पहले ही जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता की ओर संकेत किया था और इसे बढ़ावा देने में सक्रिय रुचि ली थी । उन्होंने सामाजिक कल्याण के उपायों का समर्थन, और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहन दिया । इससे उनकी प्रबल देशभक्ति तथा प्रबुद्ध मेधा प्रकट होती है ।

भारत की प्रथम वायु सेवा एयर इंडिया के सृजन में उनकी मनोभावना लक्षित होती है । उनके उद्योगों से हमारे देश को ख्याति मिली । उनका जीवन सम्मानीय एवं अनुकरणीय है । वह युवा उद्योगपतियों को भारत की आर्थिक उन्नति के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे ।

इसके अतिरिक्त, वह सांस्कृतिक मामलों में भी गहरी रूचि लेते थे । ओरोवली समिति में उनके सहयोगी के रुप में मुझे संस्कृति संबंधी मामलों में कार्य करने का अवसर मिला था । वह भारतीय संस्कृति और फ्रांसीसी संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे । पॉडिचेरी दोनों संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है । उनके मार्ग निर्देशन, नेतृत्व में और उनसे प्रोत्साहन पाकर ओरावली संस्था काफी फली-फूली और यह धीरे-धीरे और सुदृढ़ होती जा रही है। मैंने सोचा कि मुझे इन बातों को अवश्य स्पष्ट करना चाहिए । मैं श्री जे०आर०डी० टाटा द्वारा भारत के लोगों के लिए की गई सेवाओं के लिए उनके प्रति इस सभा का अगाध सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं । हमें अपने सहयोगी श्री नानी भट्टाचार्य के निधन पर भी गहरा शोक है । इस सभा में उनकी अनुपस्थिति हम सब को महसूस होगी ।

मानसून सत्र के पश्चात् अन्तर सत्र के दौरान जिन भूतपूर्व संसद सदस्यों का निधन हो गया है उनमें श्री शान्तनु कुमार दास जैसे अनुभवी नेता हैं, जो संविधान सभा के सदस्य थे तथा श्री के० जनार्दन रेड्डी थे जो संयोगवश मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे तथा जो प्रथम लोक सभा के सदस्य थे । हम इन दृढ़निश्चयी नेताओं के ऋणी हैं जिन्होंने भारत में एक सुदृढ़ संसदीय परम्परा की नींव रखी है ।

इसी समयावधि में श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी, श्रीमती कृष्णा मेहता तथा श्री पुरेन्दु शेखर नास्कर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया । ये सभी वरिष्ट नेता थे जिन्होंने इस सभा की उत्कृष्ट सेवा की । यह सभा श्री द्वारका नाथ तिवारी, श्री हितेन्द्र देसाई, श्री के० वीरय्या, श्री पी० वेंकटसुब्बैया, तथा श्री राज मंगल पांडे को भी ससम्मान याद करती है । उन्होंने इस सभा के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । यहां होने वाले वाद विवादों तथा इसकी कार्यवाहियों में उनकी भागीदारी को लम्बे समय तक याद रखा जायेगा । विशेष रुप से, गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री के रुप में श्री वेंकटसुब्बैया द्वारा एक बहुत ही संकटपूर्ण घड़ी में की गयी सेवाएं आज भी मुझे याद हैं । उनकी हास्य प्रवृति, उनका धैर्य और उनकी बुद्धिमत्ता उन परिस्थितियों का सामना करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई थीं ।

कुछ दिन पूर्व श्री एच०एम० पटेल हमें छोड़ कर परलोक सिधार गये । इन माननीय सदस्यों ने अपनी एक छाप छोड़ी है और इस सम्माननीय सभा के गौरव और प्रतिष्ठा को बढ़ाया है । उनका ससम्मान स्मरण किया जायेगा । भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें ।

महोदय, आपने ठीक ही महाराष्ट्र में हुई भूकम्प की त्रासदी का उल्लेख किया है । मैं इस त्रासदी का वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम सभी ने विस्तार से इसे देखा है और जब हम उस स्थान पर गये तो हमने देखा कि बहुत ही भयानक विनाश हुआ है । इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है । उनके द्वारा न सिर्फ उस स्थान पर पहुंचने और सहायता पहुंचाने हेतु बहुत ही सटीक कदम उठाये गये बल्कि साथ ही साथ रोगों की रोकथाम हेतु तथा अनेक प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु, जो उस अस्त-व्यस्तता के दौरान हो सकते थे, कदम उठाये गये । मैं चाहूंगा कि उनके द्वारा किये कार्यों की सराहना इस सभा द्वारा की जाए । मै यह भी चाहूँगा कि विश्व के हर भाग से जो असीम सहानुभूति प्राप्त हुई है, सभा उसकी भी सराहना करे । कुछ ही घंटों में हमें सहायता के आश्वासन और संदेश प्राप्त होने लगे । महोदय, मैंने इस प्रकार कभी नहीं देखा है कि जब इस देश में कोई त्रासदी आती है तो भारत इनकी सहानुभूति अर्जित कर सकता है, इतनी अधिक समझ और भाई-चारे की भावना उत्पन्न हो सकती है । मैं सभी देशों को कोटिशः धन्यवाद दे चुका हूं और मैं चाहूंगा कि यह सभा भी इस पहलू की सराहना करे जिसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्ध इतने गहरे हैं कि इस देश में कोई भी घटना होने से शीघ्र ही अन्य अनेक देशों में भी उसका गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में श्री नानी भट्टाचार्य हमारे साथ थे, आज उनका स्थान रिक्त है । ऐसा लगता है कि जब हम चुनाव के मैदान में जूझ रहे थे तो महाकाल निर्ममता से अपना कार्य व्यापार कर रहा था । जीवन कितना क्षण भंगुर है एक बार फिर यह कठोर सत्य श्री भट्टाचार्य के निधन से हमारे सामने आ गया है ।

महाकाल की दृष्टि केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रही । मराठवाड़ा में भी भयंकर भूकम्प के रुप में और मुम्बई में एक रेल दुर्घटना में बड़ी संख्या में महिलाओं की मृत्यु के रुप में हमें उसका आघात सहन करना पड़ा ।

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने और प्रधान मंत्री जी ने भूकम्प पीड़ितों के सम्बन्ध में संवेदना प्रकट की है। मुझे प्रधान मंत्री जी के साथ वहां जाने का अवसर मिला था । वह तो ऐसी त्रासदी थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । आज भी वहां भूकम्प के झटके आ रहे हैं, लोगों के मन में अस्थिरता है। उसका निवारण करना होगा । प्रधान मंत्री जी ने ठीक कहा कि ऐसा लगा जैसे सारा देश भूकम्प पीड़ितों की मदद के लिए दौड़ पड़ा है । यह देश की आन्तरिक शक्ति का द्योतक है । मतभेदों के बावजूद हम संकट की घड़ी में एक हो सकते हैं यह भूकम्प की त्रासदी ने एक बार फिर हमें स्मरण दिला दिया है ।

जहां तक जो हमारे सहयोगी हमें छोड़ गये, उनका सम्बन्ध है । अध्यक्ष महोदय, पण्डित द्वारका नाथ तिवारी समकालीन राजनीति के एक पितृ पुरूष के रुप में, श्री नाथवानी बोहरा समाज के सुधार के लिए गठित एक समिति के अध्यक्ष के नाते, श्री हितेन्द्र देसाई एक सुसंस्कृत राजनीतिज्ञ के रुप में, श्री राज मंगल पांडे एक तेजस्वी सार्वजनिक नेता के रुप में, श्री वेंकट सुबैया अच्छे सांसद के रुप में, एक अच्छे शासक के रुप में, श्री पटेल एक अच्छे प्रशासक के रुप में, शिक्षाशास्त्री के रुप में, रचनात्मक कार्यकर्ता के रुप में और श्रीमती कृष्णा

महता एक ममतामयी महिला के रुप में, हमेशा ये याद किये जायेंगे । इनका अभाव हमें खलेगा । मैं अन्य दिवंगत नेताओं के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मुझे उनमें से अनेक के साथ काम करने का मौका मिला था । उनके कार्य हमें अनुप्राणित करते रहें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है ।

जहां तक श्री टाटा का सम्बन्ध है, केवल भारत रत्न के रुप में नहीं, उद्योगपिता के रुप में, मैं उन्हें उद्योगपति नहीं कहना चाहूंगा, वे उद्योगपिता वे अमर रहेंगे । इस देश में औद्योगीकरण मानो टाटा के रुप में मूर्तिमान हो गया था जो अन्य उद्योगपति हुए हैं उनका तुलनात्मक मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन टाटा की व्यक्तित्व उनका कृतित्व अनूठा था और देश में औद्योगीकरण का सूत्रपात करने वालों के रुप में उनको स्मरण किया जायेगा । उनका व्यक्तित्व उद्योग तक सीमित नहीं था । जैसा प्रधान मंत्री जी ने उल्लेख किया उनके पांव धरती पर दृढ़ता के साथ जमे थे । मगर वे ऊंची उड़ान भरा करते थे । इस देश के बारे में उनके सपने थे, उन सपनों के साथ किसी का मतभेद हो सकता है । परिवार नियोजन में उनकी रूचि थी और उसके लिए सदा प्रयत्नशील रहे । सार्वजनिक जीवन में उनका अनुदान, टाटा को एक अलग श्रेणी में खड़ा कर देता है।

उनके निधन से एक युग का अंत हो गया, अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी ।

हमें तेजी के साथ औद्योगीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ना है, मगर औद्योगीकरण केवल लाभ के लिये नहीं होना चाहिये । उसके मूल में देश के विकास की प्रेरणा होनी चाहिये और टाटा के कृतित्व में इसकी झलक दिखाई देती है ।

अध्यक्ष महोदय, आपने और प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उसके साथ अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और सभी दिवंगत व्यक्तियों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, कामरेड नानी भट्टाचार्य इस सभा के सक्रिय सदस्यों में से थे । उन्होंने हमेशा मजदूरों और किसानों के हितों को बढ़ावा दिया । वे ट्रेड यूनियन के सक्रिय समर्थक थे । स्वास्थ्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री, दोनों के रुप में वह पश्चिम बंगाल विधान सभा के एक प्रभावकारी और सफल मंत्री थे । वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश की जनता और पीड़ित व्यक्तियों के हितों के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया । वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सादगी का जीवन बिताया । कलकत्ता में क्रान्ति प्लेस में एक कार्यालय में मेज ही उनका बिस्तर था । उनकी अपनी कोई सम्पत्ति नहीं थी । हम उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं । इसकी क्षतिपूर्ति करना बहुत ही कठिन है, परन्तु वे हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे ताकि हम हमेशा जन साधारण और पीड़ितों की मुक्ति हेतु संघर्ष करते रहें ।

हम भूकम्प के शिकार लोगों के प्रति भी शोक व्यक्त करते हैं तथा आपने, माननीय प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता ने जो कुछ भी कहा है उसमें मैं और मेरा दल साथ है ।

हमने अपने उन बहुत से सहयोगियों को खो दिया है जिनके साथ हमने इस सभा में कार्य किया है और हम उनके निधन पर शोक प्रकट करते हैं । सभा के विशिष्ट सदस्यों के बारे में आपने जो कुछ भी कहा हम उसमें शामिल हैं । इन सदस्यों में से एक सदस्य श्री जे०आर०डी० टाटा थे जिनका अन्तर सत्र के दौरान निधन हो गया।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने, नेता विरोधी दल और श्री सोमनाथ जी ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, मैं जनता दल की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। स्व० नानी भट्टाचार्य हमारे एक ऐसे मित्र थे कि जिनको याद करने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि वे हमारे बीच से दूर चले गये हैं। लेकिन जैसा अटल जी ने कहा कि काल के थपेड़े को कोई रोक नहीं पाता है, इसलिये वे हमारे बीच में नहीं हैं। स्व० द्वारिका नाथ तिवारी के समय 1977 में जब हम पहली बार यहां आये थे तो उनके सान्निध्य में मुझे रहने का मौका मिला था। स्व० हितेन्द्र देसाई हमारे अग्रज के समान थे और स्व० वैंकटसुब्बया जी से हमारी नोक-झोंक हुआ करती थी और वे अपने तरीके से जवाब देने का काम करते थे। स्व० राज मंगल पांडे के साथ भी काम करने का मौका मिला था और स्व० एच०एम० पटेल को 1977 में होम मिनिस्टर और वित्त मंत्री के रुप में देखने का मौका मिला था। यह भी मालूम होता था कि एक प्रशासनिक के रुप में उन्होंने शुरूआत की और एक राजनीतिज्ञ के रुप में अपना योगदान किया। ये सारे नेता आज हमारे बीच में नहीं हैं। एक न एक दिन तो सब को जाना है और यही सत्यता है। और जो लोग छाप छोड़ जाते हैं, देश उसी का अनुकरण करता है।

भूकम्प पीड़ितों की राहत के लिये जो कुछ भी किया गया लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत कुछ किया भी जाये तो जो लोग हमारे बीच में से चल गये हैं, वे लौट कर आने वाले नहीं हैं लेकिन उनके प्रति पार्लियामेंट में संवेदना हम व्यक्त करें और उनके परिवार को सांत्वना मिले। हम जो कर पा रहे हैं वह करना चाहिए और हम कर रहे हैं।

श्री जे०आर०डी० टाटा के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वे एक बड़े उद्योगपति थे और उनकी एक अलग छाप थी। राजनीति से भी हमेशा उन्होंने अपने को अलग रखने की कोशिश की ओर उन्होंने कभी किसी दल के साथ स्वयं को असोसिएट नहीं किया। आज हमारे बीच में ये सब लोग नहीं हैं। हम उनके लिए शोक व्यक्त करते हैं और उनके परिवार के प्रति जनता दल की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, इस अन्तर-सत्र की अवधि में हमने अपने अनेक प्रतिष्ठित सहयोगियों को खो दिया है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति, जिनमें हमारे कुछ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, प्रशासक, लोक सेवक, जिन्होंने लोक सेवा में ही अपना सम्पूर्ण जीवन न्यांछावर कर दिया, सम्मिलित हैं, के गुणों को ब्यान करना संभव नहीं है।

जहां तक श्री नानी भट्टाचार्य का सम्बन्ध है, मैं विशेष रुप से उनका उल्लेख करता हूं क्योंकि हाल तक वह हमारे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति, एक मंत्री, एक प्रतिष्ठित मजदूर संघ नेता थे और महोदय, मैं आपको यह याद दिला दूं कि एक लम्बी और दुःखदायी बीमारी, जिसका सामना उन्होंने बहुत ही साहस और धीरता से किया था, की वजह से उनकी मृत्यु हुई। यहां और विदेश में हर संभव प्रयास करने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। वह हमारे बहुत ही गहरे मित्र और कामरेड थे।

महोदय, जहां तक दूसरों का सवाल है, श्री द्वारका नाथ तिवारी 1942 के संघर्ष के नायकों में से थे। जहां तक मुझे याद है उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभायी थी जिसे 1942 के आन्दोलन में उनके क्षेत्र में हुए क्रान्तिकारी [illegible] में से एक कहा जा सकता है।

अन्य साथी जो हमें छोड़ गये हैं, उन्हें चिरकाल तक याद रखा जाएगा।

जहां तक श्री जे०आर०डी० टाटा का सम्बन्ध है यह देश उनको आने वाले समय में एक पथ-प्रदर्शक के रुप में याद किया जाएगा। मुख्य बात यह है कि वे कई क्षेत्रों में पथप्रर्दशक रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वह देश के औद्योगिकीकरण में अगुआ रहे। वह इस देश में प्रथम इस्पात संयंत्र के संस्थापक थे। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भी वह अग्रणी रहे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुसंधान तथा चिकित्सीय उपचार हेतु सर्वोत्तम संस्थाओं की स्थापना कर उन्होंने अपना योगदान किया है। यह बात प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। सम्पूर्ण देश के लिए लम्बे समय तक उपयोग में आने वाले अनेक संस्थाओं की स्थाना तथा कार्यों को करने वाले लोगों में उन्हें अग्रणी के रुप में याद किया जायेगा।

महोदय, भूकम्प के बारे में मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि भूकम्प का केन्द्र आपका निर्वाचन क्षेत्र था परन्तु यह एक राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसमें कम से कम 10,000 व्यक्ति मारे गये थे और इनके शव बरामद हुए थे। यह एक भयावह विचार है कि और अनेक लोग जिन्हें गुम समझा जा रहा है शायद हमेशा के लिए इस भूकम्प के मलबे के नीचे दबे हुए हों और उनके शव बरामद नहीं हुए हैं। हताहतों की कुल वास्तविक संख्या का शायद कभी पता नहीं चलेगा।

मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम उन आवश्यक उपायों पर चर्चा करेंगे जिनसे भविष्य में यह पता चल सकेगा कि यदि इस प्रकार की आपदा आए तो हम अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से शिक्षा लेकर अपने लोगों को बचाने के लिए पहले से कुछ कर सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोग असाहय् हो जाएं।

मैं अपने दल की ओर से, प्रधानमंत्री जी और अन्य लोगों के साथ उन सभी देशवासियों के लिए भारी मन से संवेदनाएं और शोक व्यक्त करता हूं जो हमें छोड़ गए हैं। और मैं आपसे उनके परिवारों और आश्रितों तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का अनुरोध करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं आपके साथ तथा सदन के नेता और अन्य गणमान्य नेताओं के साथ सभा के उन गणमान्य सदस्यों के प्रति, जिनका अन्तर-सत्र अवधि में निधन हो गया, अपने दुःख और संताप व्यक्त करना चाहता हूं। इस संदर्भ में मैं विशेष रुप से कामरेड नानी भट्टाचार्य का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्होंने अपने बालकाल से ही देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश के दलितों, सभी श्रेणियों के मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु अथक संघर्ष किया।

वह एक साहसी तथा दृढ़निश्चयी अदम्य क्रान्तिकारी थे। उन्होंने सादगीपूर्ण, निरन्तर गतिविधियों में लिप्त तथा हमेशा एक संघर्षपूर्ण क्रान्तिकारी जीवन व्यतीत किया।

हम नानी भट्टाचार्य के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं और हमें अपने भावी संघर्ष के लिए, अपने कार्य

के लिए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए । उनके साथ ही, मैं अपने उन सहयोगियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों तथा दलितों के हितों के लिए संघर्ष किया ।

मैं महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में भूकम्प का शिकार हुए हजारों लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं । और मैं समझता हूँ कि सरकार इन असहाय लोगों तथा भूकम्प पीड़ितों के जल्द से जल्द पुनर्वास हेतु उचित कार्यवाही करेगी ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जे०आर०डी० हमारे देश के औद्योगिकीकरण में अग्रणी थे, देश के निरन्तर औद्योगिकीकरण तथा प्रगति के लिए हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे । और मैं सोचता हूं कि पूरी सभा जे०आर०डी० टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुकी है ।

श्री पी०जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, श्री टाटा जो जे०आर०डी० नाम से औद्योगिकीकरण विख्यात थे, अब हमारे बीच नहीं हैं । उनकी मृत्यु से सम्पूर्ण भारतीय उद्योग में उदासी छा गयी है । एक औद्योगिक नेता तथा भारत के निर्माता के रुप में श्री टाटा व्यापार के क्षेत्र में मूल्यों और नैतिकता के प्रबल समर्थक थे। भारत में प्राईवेट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले वह पहले व्यक्ति थे । भारत के विकास में उनका योगदान तथा नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये पुरोगामी प्रयासों को हमेशा याद रखा जायेगा । विगत कई दशकों से उन्होंने सबसे अधिक आदरणीय औद्योगिक नेता के रुप में देश की सेवा की । इसी कारण, उनके अद्वितीय व्यक्तित्व के लिए उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया । इतने महान व्यक्ति की मृत्यु भारतीय उद्योग में परिवर्तन और सुधार के समय हो गयी । उनकी याद हमेशा लोगों के मन में बनी रहेगी ।

मैं वर्तमान सदस्य श्री नानी भट्टाचार्य तथा अन्य सदस्यों, जो गुजर गए, के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवायें और योगदान बहुमूल्य है ।

महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व दुर्घटना हुई है । इसमें 10,000 लोगों की मृत्यु हो गयी । हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी अपना शोक संदेश और सहानुभूतिपूर्ण संदेश भेजा है तथा शोक संतप्त परिवारों के लिए पर्याप्त धनराशि भेजी है ।

ए०आई०ए०डी०एम०के० पार्टी तथा अपनी ओर से मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपना शोक तथा अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तेलुगु देशम पार्टी की ओर से हमारे कामरेड श्री नानी भट्टाचार्य तथा अन्य गणमान्य सांसदों जिन्होंने इस देश की सेवा की है, की मृत्यु पर भारी मन से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ । मुझे विशेष रुप से बहुत क्षति हुई है क्योंकि वह मेरे बहुत करीब थे और मुझसे गहरा स्नेह करते थे ।

हम मराठवाड़ा क्षेत्र में हजारों लोगों की मृत्यु पर, जोकि मेरी याद में सबसे बड़ी त्रासदी है, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं ।

महोदय, हम श्री जे०आर०डी० टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं । इस तथ्य के बावजूद कि वह एक बहुत ही विशाल औद्योगिक साम्राज्य के अध्यक्ष थे, मजदूरों के कल्याण के प्रति उनका रवैया तथा

मजदूरों के प्रति उनकी चिन्ता अन्य औद्योगिक घरानों के लिए एक उदाहरण था । यहां तक कि वे लोग भी, जिनका बड़े औद्योगिक घरानों के बारे में भिन्न मत था, टाटा औद्योगिक घराना, जो कि व्यापार सम्बन्धी कतिपय नैतिकता के लिए जाने जाते हैं, के प्रति अत्यधिक सम्मान रखते थे । महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उनकी चिन्ता बहुत ही सराहनीय थी । उनकी क्षति हमारे देश के लिए अपूरणीय है ।

हम आपके साथ, सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता के साथ मिल कर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे ।

11.55 म०पू०

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1993 को 11 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हजरत बल दरगाह

[अनुवाद]

***1. श्री राम नाईक :**

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर में हजरतबल दरगाह की घेराबन्दी करने के क्या कारण थे ; यह घेराबन्दी कितने दिन तक रही और इसे हटाने के क्या कारण थे ;

(ख) घेराबन्दी के दौरान बरामद हुए हथियारों और गोला बारूद का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दरगाह में छिपे आतंकवादियों ने सरकार के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो आतंकवादियों की संख्या तथा उनकी राष्ट्रीयता का ब्यौरा क्या है ;

(ड.) कितने आतंकवादियों को रिहा किया गया है और उन्हें किन-किन शर्तों पर रिहा किया गया है ;

(च) दरगाह के अन्दर कितने बन्धक फंसे हुए थे ; और

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (छ). यह सूचना मिलने पर कि हजरतबल दरगाह में, जिस परिसर में पवित्र अवशेष रखे जाते हैं, उसके बाहर के दरवाजों के दो तालों के साथ छेड़छाड़ की गयी है और दरगाह के प्रबन्धकों द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद इसका सत्यापन हो जाने पर दरगाह और पवित्र अवशेष को क्षति पहुंचाने या अपवित्र होने से बचाने के लिए और दरगाह के अन्दर मौजूद राष्ट्र विरोधी तत्वों को अलग-थलग करने के लिए 15.10.93 को दरगाह को घेर लिया गया ।

दरगाह को तब खाली कर दिया गया जब 16.11.1993 को दरगाह के अन्दर बंधक बनाए गए । उग्रवादियों और निर्दोष यात्रियों सहित 62 व्यक्तियों द्वारा आत्म समर्पण करने के समय तथ बाद में क्षेत्र की तलाशी के दौरान दरगाह से 15 ए०के० श्रेणी की राईफलें, एक स्नीपर राईफल, 1 यू०एम०जी०, राकेट सहित 1 राकेट लाउन्चर, कुछ हथगोले, बारूदी सुरंग, विस्फोटक सामग्री, 24 डिटोनेटर और एक वायरलैस सेट बरामद किये गये । उग्रवादियों द्वारा बिना शर्त आत्म-समर्पण किया गया ।

राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर 35 व्यक्तियों को निर्दोष पाया गया, जिन्हें 18.11.1993 को रिहा कर दिया गया । शेष व्यक्तियों में से दो विदेशी हैं, जो अपने आपको पाक अधिकृत कश्मीर का बताते हैं । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, शेष में से 6 व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया, जबकि अन्य व्यक्तियों के मामलों में पूछताछ/जांच पड़ताल अभी जारी है ।

दरगाह को खाली कर दिए जाने के बाद, इसके चारों तरफ की घेराबंदी उठा दी गई । अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों दरगाह के गलत प्रयोग किए जाने की सम्भावनाओं को रोकने के लिए दरगाह के चारों तरफ पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ।

[हिन्दी]

औसत आयु

***2. श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय औसत आयु कितनी है ;

(ख) अन्य देशों की तुलना में देश में औसत आयु के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या देश में औसत आयु अन्य देशों की तुलना में कम है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ड.) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) भारत के महापंजीयक के अनुसार वर्ष 1990 में आबादी की औसत आयु पुरुषों की 25.2 तथा महिलाओं की 25.7 थी । इस समय जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 58.6 वर्ष है ।

(ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के तुलनात्मक आंकड़ों वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) भारत में जीवन प्रत्याशा नेपाल तथा बंगला देश की तुलना में अधिक है परन्तु श्रीलंका, इन्डोनेशिया, थाईलैंड तथा म्यानमार की तुलना में कम है ।

(घ) और (ड.). जीवन प्रत्याशा का सम्बन्ध कई कारणों से है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रोगों को विशेषत: उन रोगों को कम करना जिनसे शिशु, बच्चे तथा महिलाएं प्रभावित होती हैं, सुरक्षित पेय जल की सुविधा, पौषणिक स्तर, सफाई सुविधाएं इत्यादि शामिल हैं । इन सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कितनी ही स्कीमें चलाई जा रही हैं । इन प्रयासों के परिणामस्वरुप भारत में जीवन प्रत्याशा जो 1980 में 54.4 वर्ष थी 1991 में 58.6 वर्ष हो गई है ।

विवरण

क्र. सं.	देश का नाम	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा*	
		पुरुष	स्त्री
1	2	3	4
	सम्पूर्ण विश्व	61.8	65.9
1.	अफगानिस्तान	41.0 (1985-90)	42.0
2.	अर्जेन्टीना	65.5 (1980-81)	72.7
3.	ऑस्ट्रेलिया	73.3 (1989)	79.5
4.	बंगलादेश	56.9 (1988)	55.9
5.	ब्राज़ील	62.3 (1980-90)	67.7
6.	मयान्मार	58.7 (1978)	63.7
7.	कनाडा	73.2 (1985-87)	79.79
8.	मिश्र	57.8 (1985-90)	60.3
9.	फ्रांस	72.3 (1988)	80.5
10.	जर्मनी (डी०आर०)	71.8 (1988)	78.4
11.	भारत	58.1 (1986-91)	59.1 (1986-91)
12.	इन्डोनेशिया	58.5 (1985-90)	62.0
13.	जापान	75.9 (1989)	81.8
14.	केन्या	56.5 (1985-90)	60.5
15.	लीबिया	52.0 (1985-90)	54.0
16.	मलैशिया	67.5 (1985-90)	71.6

1	2	3	4
17.	मैक्सिको	62.1 (1979)	66.0
18.	नेपाल	50.8 (1981)	48.1
19.	पाकिस्तान	59.0 (1976-78)	59.2
20.	श्रीलंका	67.8 (1981)	71.7
21.	थाईलैंड	63.8 (1985-86)	68.8
22.	इंग्लैण्ड	72.2 (1986-89)	78.0
23.	यू०एस०एस०आर०	65.0 (1989-90)	74.0
24.	संयुक्त राज्य अमेरिका	71.5 (1988)	78.30

स्रोत - केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो - विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, 1991 और डेमोग्रेफिक इयर बुक, 1990 से प्राप्त सूचना ।

बच्चों को गोद लेना

***3. श्री चिन्मयानंद स्वामी :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक कितने भारतीय बच्चों को गोद लिया गया है;

(ख) क्या सरकार इस कार्य में अपना सहयोग देने वाले गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता दे रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेन्सियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा जून, 1993 को समाप्त चालू वर्ष (1993) तक गोद लिए गए बच्चों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	देश में दत्तकग्रहण	अन्तःदेशीय दत्तकग्रहण	कुल
1990	1075	1272	2347
1991	936	1190	2126
1992	1293	1007	2300
1993	303	533	836

(जून को समाप्त)+

+ (एक स्थापना एजेन्सी के आंकड़े हटा दिए गए हैं जिसने जून, 1993 को समाप्त तिमाही की तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी है)।

(ख) और (ग). जी, हां । आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान देश में बच्चों को गोद लेने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए स्वैच्छिक समन्वय एजेन्सियों/स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई सहायता-अनुदान राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठन का नाम	धनराशि (रुपए)
	1990-91	
1.	मैसर्स वालेन्टरी को-आर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर केरल स्टेट कालामाशेरी (केरल)	45,000
	कुल	45,000
	1991-92	
1.	इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ एडाप्टेशन, बी०सी०ए०, महाराष्ट्र, बम्बई	81,000
2.	इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर, वी०सी०ए०, बंगलौर	48,439
3.	कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर वी०सी०ए०, मद्रास	35,481
4.	सेंट्रल वालेन्टरी एडाप्टेशन रिसोर्स एजेन्सी, वी०सी०ए०, दिल्ली	54,200
5.	वालेन्टरी को-आर्डिनेटिंग एजेन्सी फॉर केरल स्टेट, कालामाशेरी, केरल	81,000
6.	हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर, वी०सी०ए० फॉर हरियाणा, पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	27,000
7.	रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, वी०सी०ए०, गुजरात, अहमदाबाद	14,468
	कुल	3,41,588
	1992-93	
1.	मैसर्स रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, वी०सी०ए० (गुजरात) हार्दिक प्रेरणा पार्क सोसायटी, मनी नगर, अहमदाबाद	72,000
2.	मैसर्स वी०सी०ए० कर्नाटक, शिशु रक्षा, 135, तीसरा क्रॉस नन्दी दुर्ग रोड, जामामहल, बंगलौर-560040	53,654
3.	मैसर्स वी०सी०ए० तमिलनाडु, मार्फत इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर, नम्बर 5, तीसरा मेन रोड, साहनी नगर, मद्रास	53,260
4.	मैसर्स सेंट्रल वालेन्टरी एडाप्टेशन रिसोर्स एजेन्सी (सी०वी०ए०आर०ए०) मार्फत दिल्ली काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर (डी०सी०सी०डब्ल्यू०), कुडासिया गार्डन, जमुना मार्ग, अलीपुर रोड, नई दिल्ली-110005	37,114
5.	मैसर्स हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर (वी०सी०ए०) बाल विकास भवन, 650, 16-डी०, चण्डीगढ़	81,000

6.	मैसर्स वालेन्टरी को-आर्डिनेटिंग एजेन्सी फॉर एडाप्टेशन (वी०सी०ए०) केरल स्टेट, मार्फत राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइन्स, राजगिरी पोस्ट कालामाशेरी-683014	43,020
	कुल :	3,40,039

शिशुओं के लिए गृहों (शिशु गृह) की योजना के अंतर्गत संस्वीकृत सहायता-अनुदान (1992-93)

1.	मैसर्स इंडियन सोसायटी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन, 112-बी, कानकुली रोड, कलकत्ता-700029	1,62,900
2.	मैसर्स सोसायटी फॉर इंडियन चिल्ड्रेन्स वेल्फेयर, 22, कर्नल विश्वास रोड, बीकबागान, कलकत्ता	1,62,900
3.	मैसर्स श्रद्धानन्द महिलाश्रम, श्रद्धानन्द रोड, किंग सर्किल माटुंगा, बम्बई	1,62,900
4.	मैसर्स बलवन्त कौर आन्नद मेमोरियल वेल्फेयर सोसायटी (पंजीकृत) 'प्रीत मन्दिर', कोयाजी रोड, पुणे-411001	1,62,900
5.	मैसर्स एस०ओ०एस० चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया, ए-38, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	1,62,900
	कुल :	8,14,500

नई दिल्ली में बम विस्फोट

***4. श्री मृत्युंजय नायक :**

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में रायसीना रोड पर हाल ही में बम विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके फलस्वरुप हुई जन-धन की हानि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस विस्फोट से प्रभावित लोगों/परिवारों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ;

(ड.) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई:

(च) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है ;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ज) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) :(क) से (ज). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1. रायसीना रोड पर एक एम्बेसडर कार में रखे दो शक्तिशाली बम दिनांक 11.9.93 को लगभग 2.30 बजे अपराह्न उस समय फटे जब भारतीय युवा कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष श्री एम०एस० बिट्टा अपने काफिले के साथ 5, रायसीना रोड, नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से बाहर जा रहे थे । इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/323/324/326/427/379/436, टाडा की धारा 3/4/5 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 एवं पी०डी०पी० एक्ट की धारा 3 के अधीन संसद मार्ग पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया ।

2. 9 व्यक्ति मारे गए और 29 व्यक्ति घायल हुए । 14 वाहन और तीन साइकिलें तथा निकटवर्ती कई इमारतों की खिड़कियों के शीशे क्षति-ग्रस्त हुए ।

3. इस घटना में मारे गए 4 आम नागरिकों के परिवारों को 50,000/- रुपए की दर से अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है । मारे गए एक दिल्ली-वासी व्यक्ति के परिवार को 50,000/- रुपए की राशि दी गई है । मारे गए दूसरे दिल्ली-वासी व्यक्ति के निकटतम संबंधी की पहचान की जा रही है । मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को देने के लिए पचास-पचास हजार रुपए के चैक गोंडा (उ०प्र०) और छपरा (बिहार) जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को भेज दिए गए हैं । संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के मारे गए तीन कार्मिकों के परिवारों को एक लाख रुपये प्रति परिवार की दर से अनुग्रह राहत दी गई है । अन्य दो मामलों में, शहरी विकास और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे विस्फोट में मारे गए अपने कर्मचारियों के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राहत का भुगतान करने के लिए कार्रवाई करें ।

4. आम जनता में से घायल हुए सभी व्यक्तियों को 3,000/- रुपए प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रह राहत स्वीकृत की गई है ।

5. पुलिस, आतंकवादियों के के०एल०एफ० गुट नामक गिरोह के सदस्यों में से एक की पहचान करने में कामयाब हो गई थी, जिनका इस विस्फोट में हाथ था । जब पुलिस ने इस व्यक्ति को घेर लिया तो उसने सायनाईड खाकर आत्महत्या कर ली । इस मामले में अभी तक किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

6. भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपायों में; प्रत्येक पुलिस जिले में एक आतंकवादी विराधी कक्ष की स्थापना करना; संवेदनशील/सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र पुलिस टुकड़ियां तैनात करना; गहन सचल गश्त लगाना; जनता को अधिक सतर्क करने के लिए उनमें शिक्षाप्रद साहित्य का वितरण करना; भेद लेने वालों को तैनात करना; सार्वजनिक स्थानों पर कुख्यात आतंकवादियों के चित्र प्रदर्शित करना; सामरिक महत्व के स्थानों पर पी०सी०आर० वाहन खड़े करना तथा पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बैठकें करना, शमिल है ।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

***5. श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी एजेंसी के साथ कोई समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह योजना किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित की गयी है/कार्यान्वित की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) यह योजना समूचे उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जाएगी ।

विवरण

1. ''उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण सेवाओं में नवीनता लाने'' की एक परियोजना कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग तथा यू०एस० एड के बीच 30 सितम्बर, 1992 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे । करार के अंतर्गत यू०एस० एड उत्तर प्रदेश राज्य को 10 वर्षों में 2250 लाख अमरीकी डालर की सहायता देने के लिए राजी हो गया है । इसके अतिरिक्त 10 करोड़ अमरीकी डालर मूल्य की वस्तुएं, सेवाएं तथा प्रशिक्षण सहायता भी इस परियोजना को उपलब्ध की जाएंगी । यू०एस० एड से मिलने वाली कुल सहायता लगभग 3250 लाख अमरीकी डालर के बराबर होगी ।

2. इस परियोजना का मुख्य बल निम्नलिखित पर होगा :-

(i) परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना,

(ii) परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना,

(iii) परिवार नियोजन क्रियाकलापों को बढ़ावा देना ।

3. इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राशि भारत सरकार, परिवार कल्याण विभाग द्वारा दो स्रोतों के माध्यम से रिलीज़ की जाएगी :-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जिसके मामले में राशि राज्य बजट में दर्शाई जाएगी, और

(ख) राज्य स्तर पर स्वायत्त सोसाइटी को राशि सीधे भी रिलीज़ की जाएगी ।

उक्त राशियां 2250 लाख अमरीकी डालर की इन-कंट्री प्रोजेक्ट कॉस्ट में से रिलीज़ की जाएगी ।

'जनरल' अस्पतालों का दर्जा बढ़ाना

*6. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ 'जनरल' अस्पतालों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 'सुपर-स्पेशियलिटी सर्विसेज' वाले अस्पताल बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन जनरल अस्पतालों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए सरकार ने कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की है और अब तक कितनी धनराशि दी गई हैं ; और

(घ) सरकारी चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल, नागपुर का दर्जा बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

थैलासीमिया के रोगी

*7. **श्री सत्य देव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में थैलासीमिया के कितने रोगी है;

(ख) इस रोग से किस आयु वर्ग के व्यक्ति अधिक प्रभावित होते हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस रोग के उपचार के लिए कोई अनुसंधान करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या इस रोग के उपचार के लिए भारत में औषधि उपलब्ध नहीं है और इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) कोई विश्वस्त अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ख) बच्चे इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं ।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने थैलेसीमिया में अनुसंधान को एक प्रमुखता दिए जाने वाला क्षेत्र माना है । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का बम्बई स्थित इम्यूनो-हेमाटालाजी संस्थान इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है ।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद थैलेसीमिया के बारे में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, वेल्लोर में भी जहां विशेषज्ञता उपलब्ध है, एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान में मदद कर रही है । इस केन्द्र का

दीर्घकालीन उद्देश्य थैलेसीमिया-थिरेपी में रोगियों के बोन-मैरो प्रत्यारोपण के लिए वेल्लोर में एक राष्ट्रीय रेफरल केन्द्र विकसित करना है जिससे कि यह टेक्नालॉजी देश में ही उपलब्ध हो सके । यह केन्द्र थैलेसीमिया के विभिन्न पहलुओं पर भी अनुसंधान करेगा ।

(ड.) इस रोग के उपचार के लिए कोई औषध नहीं है । तथापि, बार बार रक्ताधान इसका एक मात्र उपचार है । इसके परिणाम स्वरुप लौह की मात्रा अधिक हो जाती है जिसके लिए लौह कीलेटक डेस्फरल की आवश्यकता पड़ती है जो आयात की जाती है ।

(च) अतिरिक्त लौह को समाप्त करने के लिए देश में ही दवाई के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैसर्स सिप्ला को एक औषध नामतः डेफरिप्रोन के नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी गई थी । इस कम्पनी द्वारा नैदानिक परीक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई है ।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र

***8. श्री वी० कृष्णा राव :**

श्री प्रबीन डेका :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र स्वीकृत करने के लिए क्या मापदंड हैं ;

(ख) देश भर में, विशेष रुप से दिल्ली में, रक्त बैंकों से जुड़े क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या अनेक क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र किसी भी रक्त बैंक से जुड़े नहीं है ;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्रों को रक्त बैंकों से जोड़ने हेतु कोई समान नीति बनाने का है ;

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) प्रमुख रक्त बैंकों को अधिक से अधिक कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से चरणबद्व ढंग से जोनल रक्त जांच केन्द्र स्थापित किए गए है जिससे इस रोग के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रक्ताधान के जरिए एच० आई० वी० संक्रमण के फैलने की संभावना कम से कम की जा सके । सभी महानगरीय शहरों, राज्य की राजधानियों तथा 5 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों को जोनल रक्त जांच केन्द्रों से कवर किया गया है ।

(ख) देश भर में 150 जोनल रक्त जांच केन्द्र हैं जिनमें दिल्ली के ऐसे 9 केन्द्र शामिल हैं । दिल्ली स्थित 9 जोनल रक्त जांच केन्द्र 26 रक्त बैंकों से जुड़े हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) से (च). इस संबंध में सरकार एक समान नीति का अनुसरण कर रही है ।

[हिन्दी]

कैंसर के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

*9. **श्री उदय प्रताप सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में विशेष रुप से मैनपुरी जिले में अधिकांश मौतें कैंसर से होती हैं जो मुख्यतः तम्बाकू चबाने से होता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा विशेष रुप से उत्तर प्रदेश में इस रोग का पता लगाने तथा इसके निदान हेतु क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में निदान सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ;और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर की रोकथाम और इसका शुरू में ही पता लगाने तथा उपचार सुविधाओं में वृद्वि करने पर बल दिया जाता है । तदनुसार वर्ष 1990-91 से उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लिए कई नई स्कीमें आरम्भ की गई हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ड.) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कुष्ठ रोगी

*10. **श्री महेश कनोडिया :**

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) सरकार ने इस घातक रोग की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए है और उसमें विभिन्न संस्थाओं और संगठनों का क्या योगदान रहा है ; और

(ग) ऐसी संस्थाओं/संगठनों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रुप में चलाया है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । इसकी मुख्य कार्यनीति कुष्ठ रोगियों का बहु-औषध चिकित्सा से उपचार करना है । इस समय उच्च स्थानिकमारी वाले 201 जिलों में से 153 जिलों में बहु-औषध चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध की गई है । दिसम्बर, 1993 तक उच्च स्थानिकमारी वाले 44 और जिलों और 1994 के दौरान औसत स्थानिकमारी वाले 77 जिलों और स्थानिकमारी तथा अन्य कम स्थानिकमारी वाले जिलों में स्थानिकमारी वाले पाकेटों में बहु-औषध चिकित्सीय सेवाएं मुहैया करने का प्रस्ताव है ।

लगभग 285 स्वैच्छिक संगठन राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सेवाओं में लगे हुए हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीव्रकृत प्रयासों से 1981 में कुष्ठ रोगियों की संख्या 4 मिलियन से कम होकर सितम्बर, 1993 के अन्त तक 1.01 मिलियन रह गई है ।

पेट्रोलियम उत्पाद

***11. श्री काशी राम राणा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष देश में कुल कितनी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन हुआ ;

(ख) उनकी राज्यवार खपत का ब्यौरा क्या है और प्रतिवर्ष उसमें कितनी वृद्धि हुई है ।

(ग) गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार में इन पदार्थों के विक्रय मूल्य में भारी अन्तर होने के क्या कारण है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन पदार्थों की पूरे देश में समान दरों पर बिक्री करने का है ;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) देश में वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उत्पादन क्रमशः 50.086 एम एम टी, 49.584 एम एम टी और 51.682 एम एम टी (अस्थायी) था ।

(ख) खपत का राज्यवार विवरण तथा उनमें दर्ज की गई वर्ष-वार वृद्धि सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दर्शाई गई है ।

(ग) परिवहन लागतों और संबंधित राज्य सरकारों व क्षेत्रीय निकायों द्वारा लगाए गए क्षेत्रीय करों/उदग्रहणों के आधार पर विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का अंतिम विक्रय मूल्य प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न होता है ।

(ध) वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ड.) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की राज्यवार बिक्री

आकंड़े टी एम टी में

राज्य	बिक्री			90-91 पर 91-92 में वृद्धि	91-92 पर 92-93 में वृद्धि
	90-91	91-92	92-93 (अ)		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	3346	3465	3755	3.6	8.4
असम	1031	990	933	-4.0	-5.8
बिहार	2861	2852	3392	-0.3	18.9
गोआ	616	673	660	9.3	-2.0
गुजरात	5711	6076	5990	6.4	-1.4
जम्मू और कश्मीर	292	333	361	14.1	8.6
केरल	1915	1978	2025	3.3	2.4
मध्य प्रदेश	2468	2557	2663	3.6	4.1
तमिलनाडु	4824	5028	5101	4.2	1.5
महाराष्ट्र	9465	9341	9795	-1.3	4.9
कर्नाटक	2465	2584	2703	4.8	4.6
उडीसा	1127	1220	1243	8.2	1.9
पंजाब	2701	2952	3056	9.3	3.5
राजस्थान	2269	2438	2598	7.5	6.5
उत्तर प्रदेश	5559	5983	6258	7.6	4.6
पश्चिम बंगाल	3432	3415	3376	-0.5	-1.1
हरियाणा	1704	1813	1859	6.4	2.5
हिमाचल प्रदेश	186	208	223	11.8	7.1
मणिपुर	63	65	71	3.2	9.1
मेघालय	102	108	118	5.9	9.1
नागालैंड	53	49	54	-7.5	10.1
सिक्किम	15	16	20	6.7	24.9

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा	66	62	71	-6.1	14.4
अण्डमान और निकोबार	51	46	49	-9.8	6.4
अरुणाचल प्रदेश	66	72	75	9.1	4.1
चंडीगढ़	160	185	175	15.6	-5.5
दिल्ली	2287	2266	2295	-0.9	1.3
दादर और नागर हवेली	21	21	25	0.0	18.9
दमन और द्वीव	13	14	15	7.7	7.0
लक्ष्यद्वीप	4	4	4	0.0	-0.1
मिजोरम	40	28	32	-30.0	14.2
पांडिचेरी	119	130	151	9.2	16.0
	55034	56974	59148	3.5	3.8

भारत में आतंकवाद को पाकिस्तान से सहायता

***12. श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत मे आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसके लिए सहायता देने के कार्य में लगा हुआ है ;

(ख) क्या पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी भारत के सीमावर्ती राज्यों में विध्वंसकारी गतिविधियों में सक्रिय रुप से संलग्न है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है / की जा रही है ;

(ड.) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है ;और

(च) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (च). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. भारत में आतंकवाद को सहायता देने और आतंकवाद को प्रेरित करने में पाकिस्तान की निश्चित अन्तर्ग्रस्तता सिद्ध हो चुकी है ।

2. सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी गिरोहों को नैतिक और भौतिक सहायता देने में पाकिस्तान की आई० एस० आई० सक्रिय रुप से संलिप्त है । इसमें, सुरक्षित-शरण स्थल उपलब्ध करवाना, प्रशिक्षण देना, हथियार एवं गोली बारूद की आपूर्ति करना तथा भारत में घुसपैठ करने में आंतकवादियों की सहायता करना शामिल है । आतंकवादियों के लिए भारी संख्या में प्रशिक्षण शिविर पाकिस्तान में स्थापित किए गए है ।

3. भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं - भारत - पाक सीमा के चुनिन्दा हिस्सों में बाड़ और फ्लड-लाइट लगाना, दो सीमा-चौकियों के बीच की दूरी को कम करना, गश्त/नाका की संख्या में वृद्धि करना, ओ० पी० टीवर खड़े करना, सीमा पर गश्त में बढोत्तरी करना, दिन और रात के वक्त प्रभावशाली ढंग से निगरानी के लिए विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति करना, आसूचना तंत्र को सुव्यवस्थित करना, सी० सु० बल को मजबूत बनाना आदि ।

4. सरकार ने अनेकों अवसरों पर और विभिन्न स्तरों से पाकिस्तान सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह आतंकवाद को समर्थन और प्रोत्साहन देना बन्द कर दे । बार-बार आश्वासन देने के बावजूद पाकिस्तान-भारत में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना जारी रखे हुए है ।

स्नेहक तेल

*13. **श्री दत्तात्रेय बंडारु :**

श्री बलराज पासी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम कम्पनियों को स्नेहक तेलों के मूल्य स्वयं निर्धारित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या पेट्रोलियम कम्पनियों को, डीलरों को दिये जाने वाले कमीशन के बारे में भी स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया जायेगा; और

(घ) उदारीकरण की नीति के कार्यान्वयन के पश्चात इस क्षेत्र में कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्रवेश कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का निर्णय 1.11.93 से प्रभावी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ऐसी नौ कम्पनियों को आशय पत्र दिये गये है ।

सरदार सरोवर परियोजना

***14. श्री एन० जे० राठवा :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना में राज्यों को भागीदारी के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ङ) परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत घटक के कार्य को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों की भागीदारी से संयुक्त उद्यम के वास्ते गुजरात सरकार द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । इस प्रस्ताव पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुररीक्षा समिति की 23 अगस्त, 1993 को आयोजित छठी बैठक में चर्चा की गयी थी तथा वहां यह निर्णय लिया गया था कि एक समिति, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, इस प्रस्ताव को अंतिम रुप देगी तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की अगली बैठक में इसे प्रस्तुत करेगी । प्रस्ताव को केन्द्रीय वित्त मंत्री के परामर्श से अंतिम रुप देने तथा करार पर हस्ताक्षर होने के बाद ही इस प्रस्ताव के ब्यौरे का पता चल सकेगा ।

(घ) परियोजना की विद्यमान स्थिति और सरदार सरोवर परियोजना पर व्यय की गयी राशि निम्नवत है;

(क) **31.10.1993 को भौतिक प्रगति**

क्रम सं०	घटक	खुदाई %	कंकरीट बिछाना	बेधन(ड्रिलिंग) करना
1	2	3	4	5
1.	मुख्य आंबांध	83.83	58.48	75.18
2.	नदी तल विद्युत घर			
	खुला	90.74		
	भूमिगत	90.34		
3.	नहर शीर्ष विद्युत घर	पूर्ण होनेवाला है	93.19	
4.	वदगाम सैंडल बांध	-वही-	78.78	

1	2	3	4	5
5.	नर्मदा मुख्य नहर	मिट्टी कार्य	पक्का कार्य	संरचनात्मक कंकरीट
	सोपान-1 (0 से 82 कि० मी०)	75.31	51.84	68.62
	(82 से 144.5 कि० मी०)	83.52	57.31	29.51
6.	शाखा नहरें			
	सपेज 1 (0 से 144.5 कि० मी०)	52.14	26.51	39.62*

*शाखा नहरों की प्रगति 30.9.1993 तक की है ।

(ख) **30.9.93 को वित्तीय प्रगति**

सरदार सरोवर परियोजना पर 2649.27 करोड़ रुपए व्यय हुआ है ।

(ड.) परियोजना के मुख्य घटकों को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथियां निम्नवत है :

यूनिट-1 (बांध एवं अनुषंगिक कार्य)	1998
यूनिट-2 (नहर एवं कमान क्षेत्र विकास कार्य)	2003-04
यूनिट-3 (जल विद्युत)	1998-99

हाइड्रोकार्बन की संभाव्यता

[अनुवाद]

*15. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के तलछट बेसिनो में जहां तेल की खोज नहीं की गई है, हाइड्रोकार्बन की संभाव्यता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले पहले दौर के सर्वेक्षण को अंतिम रुप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र को तट पर और तट से दूर कुल कितने ब्लाक दिए जा रहे है ;

(ग) कुल कितना क्षेत्र दिया जा रहा है ; और

(घ) कुल कितनी भारतीय एवं विदेशी कंपनियों ने सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां

(ख) भारतीय और विदेशी निजी कंपनियों को 35 ब्लाक-21 तट से दूर और 14 तट पर भू-भौतिकीय और अन्य प्रकार के सर्वे करने की पेशकश की गई है ।

(ग) 35 ब्लाक द्वारा 823870 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर किया जाता है ।

(घ) चार भारतीय और पांच विदेशी कंपनियों ने अपने टैंडर जमा कराये हैं ।

नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सम्मेलन

***16. श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1993 में नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या-क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(ख) जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक कार्यवाही कार्यक्रम प्रबन्ध ; क्षेत्र में अनुसंधान क्षमता विकास, एड्स ; ट्रॉपिकल रोगों में अनुसंधान ओर प्रशिक्षण ; और मानव प्रजनन में अनुसंधान, विकास ओर अनुसंधान प्रशिक्षण शामिल थे ।

परित किए गए संकल्पों में, अन्य बातों के साथ-साथ योजना बना कर तथा उन्हें उच्च अग्रता कार्यक्रमों के रुप में कार्यान्वित करके रोके जा सकने वाले संचारी तथा गैर संचारी रोगों के नियन्त्रण के लिए नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना ; सभी के लिए स्वास्थ्य के संदर्भ में स्वास्थ्य की आवश्यकता को और लक्ष्यों के अनुरुप राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीतियों और स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकताओं की समीक्षा करना और स्वास्थ्य विकास के मूलभूत और अनिवार्य संघटक के रुप स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक कार्यवाही के प्रति वचनबद्धता की पुष्टि करना शामिल थे ।

(ग) देश की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है और जनसंख्या कार्यक्रमों सहित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, अनुसंधान क्षमता और परिवार कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए समुचित कार्रवाई की जा रही है ।

[हिन्दी]

तेल और गैस योजनाएं/परियोजनाएं

***17. श्रीमती शीला गौतम :**

श्री मुमताज अंसारी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों की तेल और प्राकृतिक गैस संबंधी उन योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; जो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें मंजूरी देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई योजना/परियोजना लम्बित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टूथपेस्टों में फ्लोराइड

***18. श्री आनन्द अहिरवार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ टूथपेस्टों में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है जो दांतों और मसूड़ों के लिए हानिकारक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम उठा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग). विशेषज्ञों के अनुसार 1000 पी० पी० एम ० से अधिक फ्लोराइड वाले टूथ पेस्ट लगातार प्रयोग करने पर दांतों के लिए हानिकारक हो सकते हैं । इसलिए औषध एवं प्रसाधन नियमों में यह व्यवस्था है कि टूथ पेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 1000 पी० पी० एम० से अधिक नहीं होगी और ट्यूब के निकटतम लेबल तथा टूथ पेस्ट के डिब्बे पर इसका संकेत होगा ।

[अनुवाद]

एड्स परीक्षण किट

***19. श्री के० एच० मुनियप्पा :**

श्री के० जी० शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स परीक्षण किटों का वितरण करने से पूर्व राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा उसकी जांच कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एड्स के खतरे का सामना करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ; और

(घ) एड्स के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन केवल उन्हीं किटों को उपलब्ध कर रहा है जिनके कार्य की जांच और उन्हें मुहैया

करने का अनुमोदन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कर दिया जाता है । अब जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारतीय स्थितियों में और इंडियन सीरा का प्रयोग करते हुए एच०आई०वी० परीक्षण किटों के मूल्याकंन के लिए एक बहू-केन्द्रिक अध्ययन आरंभ किया है । भविष्य में परीक्षण किट मुहैया करने के लिए इस बहु-केन्द्रिक अध्ययन के परिणामों को ध्यान में रखा जाएगा । साथ ही, प्रयोगशालाओं में एच०आई०वी० परीक्षण के गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं को भी सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई धन-राशि इस प्रकार है :-

क्रम सं०	राज्य	1991-92 में रिलीज की गई धनराशि (लाख रु० में)	1992-93 में रिलीज की गई धनराशि (लाख रु० में)	1993-94 में रिलीज की गई धनराशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	48.05	70.490	25.094
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	20.630	8.244
3.	असम	4.40	31.825	12.432
4.	बिहार	22.75	43.750	16.694
5.	गोवा	2.00	24.655	7.869
6.	गुजरात	10.20	56.415	65.832
7.	हरियाणा	7.20	29.230	33.357
8.	हिमाचल प्रदेश	3.40	74.750	22.932
9.	जम्मू व कश्मीर	8.10		37.320
10.	कर्नाटक	27.05	64.490	23.082
11.	केरल	36.40	37.775	16.189
12.	मध्य प्रदेश	17.65	50.550	20.763
13.	महाराष्ट्र	77.35	90.665	113.836
14.	मणिपुर	39.80	23.530	7.932
15.	मेघालय	4.05		21.975
16.	मिजोरम	24.05	19.380	7.932
17.	नागालैंड	15.00	28.705	30.003
18.	उड़ीसा	5.40	46.775	19.819
19.	पंजाब	12.15	31.000	11.994

1 2	3	4	5
20 राजस्थान	10.60	41.365	47.643
21 सिक्किम	4.05	16.405	4.869
22 तमिलनाडु	62.80	84.915	83.253
23 त्रिपुरा	8.50	21.460	7.632
24 उत्तर प्रदेश	36.30	72.990	27.588
25 पश्चिम बंगाल	35.15	60.540	22.856
26.अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.00	17.080	22.225
27. चंडीगढ़		14.250	22.700
28. दादरा और नगर हवेली		11.000	17.950
29. दमन और दीव		5.000	17.950
30. दिल्ली	4.00	27.435	48.700
31. लक्षद्वीप		7.000	18.475
32. पॉडिचेरी		19.155	8.737
	528.40	1143.210	853.877

(घ) चूंकि इस समय एड्स का कोई उपचार नहीं हैं, परियोजना में जन-प्रचार के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता पैदा करने तथा सामुदायिक समर्थन अभियान चलाने और सभी स्तरों और श्रेणियों के कार्मिकों को एच०आई०वी०और एड्स के बारे में सतत सूचना और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का उद्देय है । विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सहायता से एक सीमित प्रचार अभियान पहले ही आरंभ किया जा चुका है और एक अधिक गहन अभियान तैयार किया जा रहा है जिसके लिए एक विज्ञापन एजेंसी का चयन कर लिया गया है ।

[हिन्दी]

कैंसर और क्षय रोग का उपचार

***20. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन स्थानों पर कैंसर और क्षय रोग के रोकथाम और इनका उपचार करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) क्या इन रोगों के रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन रोगों की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी योजना अथवा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है; और

(घ) क्या सरकार इन रोगों के रोकथाम में लगी चिकित्सा संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री(श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कटक, दिल्ली, ग्वालियर, गुवाहाटी, मद्रास और त्रिवेन्द्रम के कैंसर केंद्रों में कैंसर की रोकथाम, उसका आरम्भिक अवस्था में ही पता लगाने और उसके उपचार के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान की गई है इसके अतिरिक्त कैंसर के उपचार के लिए कुछ सुविधाएं देश के प्रमुख अस्पतालों तथा मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में उपलब्ध हैं । देश में क्षयरोग के उपचार की सुविधाएं राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की जाती है ।

(ख) कैंसर अथवा क्षय रोग की घटनाओं में खास परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर की रोकथाम और इसका आरम्भिक अवस्था में ही पता लगाने और उपचार सुविधाओं में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है । तदनुसार वर्ष 1990-91 से कई नई स्कीमें शुरू की गई हैं । राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य क्षय रोगियों का पता लगाना और उनका उपचार करना, जिला क्षय रोग केंद्रों की स्थापना करना तथा देश के विभिन्न जिलों में अल्पावधि रसायन चिकित्सा आरम्भ करना है

(घ) धन तथा संसाधनों के अनुसार पात्र संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है ।

[अनुवाद]

'फ्लैवर्स पोज हैल्थ रिस्कस'

1 **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 नवम्बर, 1993 के 'बिजनैस स्टैंडर्ड' कलकत्ता में 'फ्लैवर्स पोज हैल्थ रिस्कस रिपोर्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन सुगन्धियों की प्रतिकूल रासायनिक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठायगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मेलार्ड प्रतिक्रिया के नाम से जानी जाने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो एमीनों कम्पाउंडों के बीच होती है और खाद्य प्रसंस्करण के दौरान शर्करा को कम करती है, का वर्णन प्रैस रिपोर्ट में किया गया है । यह प्रतिक्रिया खाद्य प्रसंस्करण में स्वाभाविक है । तथापि, इससे होने वाली स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियों के बारे में कोई निष्कर्ष परक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 63-क में खाद्य पदार्थों में कतिपय सुगन्धकारकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

[हिन्दी]

दिल्ली में चांदनी चौक में आग

2. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चांदनी चौक में अगस्त,1993 में लगी भीषण आग में कितनी जान और माल की हानि हुई;

(ख) सरकार ने इस अगिनकांड के पीड़ितों को अब तक क्या सहायता दी है ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ गठित जांच समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले है ; और

(घ) भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गए है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम०सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि आग से 39 दुकाने प्रभावित हुई तथा जान की कोई क्षति नहीं हुई । दुकानों के स्वामियों ने दावा किया है कि लगभग 1.25 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि आग की घटना में पीड़ित व्यक्तियों को कोई राहत उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

(ग) जांच अधिकारी की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) एकीकृत भवन उप-नियमों में, भवनों में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं । अग्नि शमन सेवा विभाग, बिजली के उपकरणों में मिनियेचर सर्किट ब्रेकर ओर केन्ड्यूट वायरिंग उपलब्ध कराने पर भी जोर दे रहा है ताकि बिजली के शार्ट-सर्किट होने अथवा किसी इमारत में बिजली के ओवर लोडिंग के कारण आग लगने से बचा जा सके ।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पद

3. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त है ;

(ख) क्या इसके लिए कोई विशेष अभियान चलाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक उन रिक्त पदों को भर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निम्नलिखित पद रिक्त पड़े हुए हैं जिन्हें विशेष भर्ती अभियान के लिए रखा गया है।

क्रम सं०	समूह	अनु०जाति	अनु०जनजाति
1.	क	130	80
2.	ख	65	33
3.	ग	512	299
4.	घ	309	58

(ख) और (ग). रिक्त पड़े आरक्षित पदों को 31 मार्च, 1994 तक भरने के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है ।

तम्बाकू के सेवन से मौतें

4. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के सेवन से कैंसर के कारण भारत में प्रति वर्ष लगभग 8 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आदत के कारण 1992 में कैंसर के 6.5 लाख नए मामले प्रकाश में आए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में लोगों में जागरुकता पैदा करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री(श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) जी नहीं । तथापि, लगभग तम्बाकू से संबंधित रोगों के कारण प्रतिवर्ष 8 लाख मौतें होती हैं जिनमें कैंसर, चक्रीय हृदय और फुप्फुसीय अवरोधक रोग शामिल हैं।

(ख) जी हां

(ग) और (घ). सरकार ने सिगरेट पैकों पर इस सांविधिक चेतावनी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है के अतिरिक्त तम्बाकू के बुरे प्रभावों को बताने, आम जगहों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने जैसे कई उपाय शुरू किए हैं ।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति :

5. श्री मोहन रावले :

श्री पवन कुमार बंसल :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र प्रशासनों और अन्यों से वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति के प्रारुप पर उनके विचार माँगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके विचार प्राप्त किए जा चुके है और सरकार ने उनकी जांच कर ली है;

(ग) इस संबंध में प्रस्तावित नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार कब तक वृद्धों के कल्याण हेतु उक्त राष्ट्रीय नीति को अंतिम रुप दे देगी और उसे लागू कर दिया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) वयोवृद्धों के कल्याण हेतु प्रस्तावित नीति की प्रमुख विशेषताएं दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध) संलग्न है ।

(ग) और (घ). कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचार प्राप्त हो गए है और सरकार द्वारा उनकी जांच की गई है । ऐसी निश्चित समय सीमा जिसके भीतर उक्त नीति को अंतिम रुप दिया जा सकेगा, बताना सम्भव नहीं है ।

विवरण

वयोवृद्धों के कल्याण के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति की कुछ विशेषताएं

1. सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक कार्यक्रमों में उन वयोवृद्ध महिलाओं की परिस्थितियों की ओर विशेष घ्यान दिया जाना चाहिए । जिनकी आय साधारणतः पुरूषों से कम है, मातृत्व तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों से जिनकी नौकरी निरन्तर अनिश्चित रही हे ।

2. असंगठित क्षेत्रों में अंशकालिक या अवैतनिक आधार पर रोजगार जन्य स्थितियों के सजृन द्वारा समाज के आर्थिक जीवन में वयोवृद्धों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

3. नए रोजगार सम्भाव्यताओं के सजृन द्वारा स्वतंत्र रोजगार पाने अथवा करने के लिए वयोवृद्धों को सहायता करने के उपाय किए जाने चाहिए ।

4. देश में विकट बेरोजगारी की समस्याओं के बावजूद कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृत्ति की आयु शैक्षिक आधार को छोड़कर कम नहीं की जानी चाहिए ।

5. आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विशेष सामाजिक समस्याओं पर कार्यदल द्वारा की गई सिफारिश को अर्थात् संगठनात्मक ढांचा तथा कार्यक्रमों को केंद्र तथा राज्य स्तर पर (1) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (2) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (3) नीति निर्धारित तथा योजनाओं के लिए विशेष कार्यक्रम अर्थात् वयोवृद्धों के लिए गृहों का निर्माण, गृहों में निराश्रित वृद्धों की देखभाल, वयोवृद्धों के जीवन स्तर में सुधार के लिए दिवा देखभाल केन्द्र, उनके लिए फोषण देखभाल सेवाएं (पोस्टर केयर सर्विस) इत्यादि को क्रियान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

6. राज्य-स्तर पर वयोवृद्धों के कल्याण के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए ।

7. विद्यालय तथा कॉलेज के स्तर पर पाठ्यचर्चा के माध्यम से युवाओं में वयोवृद्धों की बदलती आवश्यकताओं तथा उनके समाज और परिवार का एक अभिन्न अंग होने के बारे में चेतना का प्रसार किया जाना चाहिए ।

8. परिवारों को विशेष तौर पर निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपने वयोवृद्धों के अनुरक्षण जारी रखने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी माध्यमों से वित्तीय तथा अन्य सामाजिक समर्थन प्रदान किए जाने चाहिए ।

9. वयोवृद्धों को अपने स्वयं के स्वैच्छिक संगठन तथा सहकारी संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

10. वयोवृद्धों को नीचली मॉजिल (भूतल) में मकान प्रदान करते हुए सुविधाएं दी जानी चाहिए । उनसे अस्पतालों में लाइन में खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

11. स्थानीय निकायों को सभी श्रेणियों के वृद्धों की अत्यंत विशिष्ट प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सेवाओं के साथ सामूहिक आवासों का निर्माण करना चाहिए ।

12. उन असंगठित सेक्टरों तथा सोसायटी के लिए कार्यक्रम तथा नीति प्रोत्साहन तैयार करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो नियमित पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

13. अस्पतालों में जरा- चिकित्सा-बहिरंग रोगी कक्ष खोले जाए और उनके लिए कम से कम 5 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित किए जाए । बड़े शहरों में वयोवृद्धों के लिए सचल अस्पताल भी स्थापित किए जाने चाहिए।

एड्स के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वेक्षण

6. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एड्स रोग को फैलने से रोकने के बारे में तैयार की गयी रिपोर्ट की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है : और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री(श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) से (ग). विश्व स्वास्थ्य संगठन, एड्स के निवारक पहलुओं पर अनेक रिपोर्टें प्रकाशित कर रहा है । इन रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ संभोग, रक्त तथा रक्त उत्पादों से अथवा प्रसव काल में होने वाले एच०आई० संक्रमण को रोकने और महामारी के सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों को कम करने की आवश्यकता पर ध्यान दिए जाने पर बल दिया गया है । सरकार ने एच०आई०वी० के फैलने पर नियंत्रण तथा उसकी रोकथाम करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें इन पहलुओं को मद्दे नजर रखा गया है । इस कार्यक्रम की प्रमुखता वाले क्षेत्र है ; लोंगों में जागरूकता पैदा करना, रतिज जन्य रोगों पर नियंत्रण, रक्त की निरापदता तथा रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल और एड्स रोगियों की निगरानी तथा नैदानिक प्रबंन्ध ।

विदेशी अभिदाय

7. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम,1976 के अंतर्गत 11 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार कितनी धार्मिक संस्थाएं और संगठन पंजीकृत हैं ;

(ख) ऐसे कितने संगठन हैं जिन्हें 1990-91,1991-92 और 1992-93 के दौरान विदेशी सहायता दी गई है ; और

(ग) राज्यवार तथा वर्षवार इन संगठनों द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग):- वर्ष 1991-92 के लिए सूचना भेजने वाली धार्मिक संस्थाओं/संगठनों के बारें में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । 1992-93 के लिए आंकडों का संकलन किया जा रहा है ।

1991-92 के पहले ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती थी ।

विवरण

सूचना देने वाले धार्मिक संगठनों की राज्यवार सूची और उनके द्वारा प्राप्त किया विदेशी धन (1991-92) ।

क्र.सं.	राज्य का नाम	संगठनों की संख्या	प्राप्त किया गया धन (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	262	5035.74
2.	असम	86	770.86
3.	बिहार	95	2715.85
4.	गुजरात	150	1354.63
5.	केरल	733	948.79
6.	मध्य प्रदेश	126	2461.36
7.	तमिलनाडु	472	8860.52
8.	महाराष्ट्र	190	5364.33
9.	कर्नाटक	306	7884.72
10.	उड़ीसा	40	1204.24
11.	पंजाब	22	531.16
12.	राजस्थान	11	276.61
13.	उत्तर प्रदेश	119	1519.68
14.	पश्चिम बंगाल	163	3342.21

15.	जम्मू और कश्मीर	6	150.33
16.	नागालैंड	21	319.89
17.	हरियाणा	13	32.79
18.	हिमाचल प्रदेश	5	440.78
19.	मणिपुर	27	421.06
20.	त्रिपुरा	4	12.20
21.	मेघालय	64	1503.06
22.	सिक्किम	3	68.94
23.	दिल्ली	67	2161.18
24.	अण्डमान और निकोबार	4	111.03
25.	लक्षद्वीप	--	--
26.	दादर और नगर हवेली	9	417
27.	गोवा, दमन और द्वीव	82	318.28
28.	पॉडिचेरी	21	344.57
29.	चण्डीगढ	4	78.95
30.	मिजोरम	5	131.57

पश्चिम बंगाल को कोयले का आवंटन

8. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल के खदानों से कितनी मात्रा में कोयले का खनन किया गया ;

(ख) इस अवधि में पश्चिम बंगाल को कितनी मात्रा में कोयले का आवंटन किया गया ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले के अतिरिक्त कोटे का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) :(क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कोल इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत खानों से निकाला गया कोयला तथा कोल इण्डिया लिमिटेड के स्रोतों से पश्चिम बंगाल के प्रेषण किए गए कोयले को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	कोल इण्डिया लि० की खानों से निकाला गया कोयला (मिलियन टन)	पश्चिम बंगाल में कोल इण्डिया लिमिटेड के स्रोतों से पश्चिम बंगाल को प्रेषण किया गया कोयला (मिलियन टन)
1990-91	16.87	15.88
1991-92	17.90	18.87
1992-93	17.81	18.35

(ग) वास्तव में, हाल ही के महीनों में उपभोक्ताओं द्वारा कार्यक्रमों को निरस्त किया गया है । कोल इण्डिया लि० वर्तमान में पश्चिम बंगाल से कोयले की किसी भी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की स्थिति में है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

9. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान केरल में पेट्रोल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में और अधिक रसोई गैस एजेंसी प्रदान करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1988-93 की वर्तमान विपणन योजना में केरल के लिए 38 खुदरा बिक्री केन्द्र संबंधी प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1992-94 की एल०पी०जी० विपणन योजना में सम्मिलित किए गए स्थान नीये दर्शाए गए है :-

1992-93	1993-94
त्रिवेन्द्रम (2)	कालीकट(2)
कन्नानोर	एलेप्पी
पजायानगडी	कोचीन(2)
	त्रिवेन्द्रम
	कुम्बानाद

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण योजना

10. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में नेपाल से राज्य में प्रवेश करने वाली नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में नेपाल से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ड.) इस पर सरकारं की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (च). भारत और नेपाल ने बिहार के सीमाक्षेत्र में बाढ़ के नियंत्रण के लिए नेपाल की सीमा में कमला, बागमती और लाल बकिया नदियों पर बाढ़ तटबंधों के विस्तार से सम्बन्धित ब्यौरों को अंतिम रुप दे दिया है । भारत से प्राप्त धन से लाल बकिया नदी पर कार्य शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव नेपाल से प्राप्त हुआ है । इस वर्ष बाढ़ के दौरान भारतीय सीमा में तटबन्ध के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वास्तविक मूल सर्वेक्षणों के आधार पर नये प्रस्ताव नये सिरे से तैयार किए जाने अपेक्षित हैं ।

[अनुवाद]

जनसंख्या में अधिक आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि

11. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जनसंख्या में अधिक आयु के लोगों में वृद्धि दर्ज की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी दर क्या है ; और

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की संख्या कितनी है ?

कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी : (क) जी, हां ।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार 60+ तथा 65+ आयु के लोगों का अनुपात क्रमशः 6.2 प्रतिशत तथा 4.0 प्रतिशत था । 1991 की जनगणना पर आधारित ये आंकड़े अभी तक समेकित नहीं किए गए है । योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई जनसंख्या परियोजना पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति ने 1989 में अनुमान लगाया था कि 60+ तथा 65+ आयु के लोगों के लिए यह क्रमशः 6.5 प्रतिशत तथा 4.1 प्रतिशत तक बढ़ सकता है ।

(ग) जनगणना में नागरिकों के अलग से ऐसे आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते और इस दृष्टि से 65 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों की जनसंख्या उपलब्ध नहीं है ।

कोयला खान क्षेत्रों में स्कूल

12. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का प्रबंध मंडल कोयला खान क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को वित्तीय सहायता दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पाजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि० के प्रबन्धन द्वारा कोलियारियों के किसी भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को नियमित रुप से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है । किन्तं, भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा धनबाद में कार्यरत दिल्ली पब्लिक स्कूल को कभी-कभी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

काटेक्ट लेंसों के कारण अंधापन

13. श्री सी०के० कुप्पुस्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काटेक्ट लेंस का प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा उचित ध्यान न रखे जाने से अंधापन हो जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लोगों को जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) कांटेक्ट लेंसों के अस्वास्थ्यकर प्रयोग के गंभीर संक्रमण से अंधापन हो सकता है । प्रयोगकर्ताओं को लेंस फिट करवाते समय उचित सावधानी बरतने और कांटेक्ट लेंसों का प्रयोग करते समय एहतिआत बरतने की सलाह दी जाती है ।

खुली कोयला खानें

14. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे खुली कोयला खानें कितनी हैं और उनमें से कितने लाभ पर चल रही है ;

(ख) क्या इन कोयला खानों में कोयला उत्पादन लागत गहरी कोयला खानों की अपेक्षा अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पाजा) : (क) वर्तमान मे, कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० में 188 ओपनकास्ट कोयला खानें कार्यरत हैं । इनमें से 121 कोयला खानें अनन्तिम रुप में लाभ कमा रही हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में बिक्री कर

15. श्री बी० देवराजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बिक्री कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने दिल्ली में बिक्री कर की वसूली के लिए गश्ती दल गठित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गश्ती दल, स्वयं, बिक्री कर एकत्र नहीं करते हैं । बिक्री कर की चोरी के बारे में शिकायतों की जाचं-पड़ताल करने के उद्देश्य से वे विशिष्ट सूचना पर कार्य करते हैं ।

रसोई गैस के समानान्तर विपणन की नई नीति

16. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी उद्यमियों के जरिए गैस का समानान्तर विपणन करने की नई नीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो यह नई नीति कब से लागू की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस नीति का उपभोक्ताओं पर विशेष रुप से सरकार के राजकोष पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा एल०पी०जी० का समानान्तर विपणन शुरू करने के निर्णय की घोषणा फरवरी, 1993 में कर दी थी । समानान्तर विपणन पद्धति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की एल०पी०जी० विपणन कम्पनियों के माध्यम से उपलब्ध एल०पी०जी० के अतिरिक्त देश में एल०पी०जी० की उपलब्धता में वृद्धि करना है । चूंकि समानांतर विपणन पद्धति के अन्तर्गत एल०पी०जी० अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए उक्त नीति के उपभोक्ताओं पर प्रभाव का अभी मूल्याकंन किया जाना है । सरकारी राजकोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि का अधिग्रहण

17. श्री के० प्रधानी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और उड़ीसा में कार्यरत संबंधित कोयला कंपनियों ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की स्थापना से पहले कितने व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहित की है ;

(ख) पृथक-पृथक समय में कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया ;

(ग) उन्हें अब तक कितना मुआवजा दिया गया तथा क्या रोजगार उपलब्ध कराया गया और उनके लिए अब तक क्या वैकल्पिक पुनर्वास उपाय किये गये ; और

(घ) इस समय तक कितने मामले लम्बित हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पाचा) : (क) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार लगभग 3627 परिवार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के कार्यचालन क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हुए हैं ।

(ख) अगस्त, 1993 तक कुल 3996.590 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई है ।

(ग) इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार मुआवजे के रुप में 31.406 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई है। 3476 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है । इसके अलावा, प्रभावित व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थलों पर पुनर्वासित किया गया है, जा कि संपूर्ण नागरिक सुविधाओं के साथ पूर्णतः विकसित है ।

(घ) कुल 6959.872 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किए जान संबंधी मामले अगस्त, 1993 की स्थिति के अनुसार लम्बित हैं ।

दिल्ली में बिक्री कर के लिए पंजीकरण

18. श्री जीवन शर्मा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिक्री कर के लिए उस परिसर का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है जहां पहले से ही पंजीकृत फर्म कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है :

(ग) चालू वर्ष के दौरान उन परिसरों में जहां एक फर्म पहले से ही पंजीकृत है , और कार्य कर रही है और उससे कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ही फर्मों के पंजीकरण के विरुद्ध दिल्ली बिक्रीकर विभाग को कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि सामान्यतया, दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत एक ही परिसर/पते पर दो या उससे अधिक व्यापारियों को पंजीकरण की स्वीकृति नहीं दी जाती है जब तक कि एक ही परिसर/पते पर प्रत्येक व्यापारी के व्यापार परिसर का स्पष्ट चिह्नांकन संभव न हो । दिल्ली बिक्री कर नियमों के नियम 46 के अधीन जिस व्यापारी को नोटिस अभिप्रेत है उस विशिष्ट व्यापारी को कर निर्धारण/जुर्माने के नोटिस की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है ।

(ग) और (घ). दिल्ली प्रशासन ने आगे सूचित किया है कि हाल ही में इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, एक-दो अपीलें दायर की गई हैं जिनमें एक ही परिसर पर दो भिन्न-भिन्न पंजीकृत व्यापारियों को नोटिस देने की कार्यवाही को चुनौती दी गई है ।

[हिन्दी]

निजी कम्पनियों द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति

19. प्रो० प्रेम धूमल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र की कुल कितनी कंपनियां उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति करने में लगी हुई है ;

(ख) क्या उक्त कंपनियों ने इस संबंध में सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अब तक 280 से अधिक उद्यमियों/फार्मों/कंपनियों (बहुराष्ट्रीयों सहित) ने रसोई गैस के समांतर विपणन में रुचि प्रकट की है।

(ख) ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनियों को सरकार से किसी प्राधिकार अथवा स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती जो समांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत रसोइ गैस का विपणन और आपूर्ति करने की मंशा रखती है। सुरक्षा, पर्यावरण और निर्माण क्रियाकलापों आदि से संबंधित अधिनियमों व नियमों के प्रावधानों के अनुरुप आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करके वे समांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत रसोई गैस का विपणन कर सकती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

निजी कम्पनियों के लिए प्रोत्साहन

20. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० द्वारा पता लगाए गए तेल क्षेत्रों को विकसित करने में लगी निजी कंपनियों के लिए प्रोत्साहन पैकेज देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पेट्रोलियम क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) तेल क्षेत्रों के विकास में भाग लेने वाली निजी कम्पनियों के लिए अनेक प्रोत्साहन पहले से ही प्रस्तावित हैं । इनमें कारपेरेट कर में 50 प्रतिशत की रिआयत दर, कम्पनी के हिस्से के तेल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमत का भुगतान और उत्पादित गैस का अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर मूल्य निर्धारण तथा सीमा शुल्क से मुक्ति शामिल हैं ।

(ग) इन उपायों से तेल/गैस क्षेत्रों के विकास में निजी निवेश के आकर्षित होने तथा देश में तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है ।

[हिन्दी]

गुजरात में एच०आई०वी० (पॉजीटिव) के मामले

21. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आज तक एच०आई०वी० (पॉजीटिव) के कितने रोगियों का पता चला है ;

(ख) गुजरात में किन-किन अस्पतालों में एड्स परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा विदेशी सहायता से गुजरात में कोई एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात में 31.10.1993 तक 316 एच०आई०वी० पाजीटिव रोगी बताए गए हैं।

(ख) एच०आई०वी० परीक्षण सुविधाएं बी०जे० मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद के सूक्ष्म-जीव विज्ञान विभाग में उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त गुजरात में 6 जोनल रक्त परीक्षण केन्द्र हैं जहां एच०आई०वी० के लिए रक्त की जांच की सुविधांए उपलब्ध हैं ।

(ग) और (घ). सरकार ने देश भर में एच आई वी/एड्स को फैलने से रोकने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरु किया है। विश्व बैंक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से 1992-97 की अवधि के लिए 222.6 करोड़ रुपये की कुल लागत की एक योजना गुजरात में भी चलाई जा रही है। अब तक गुजरात को 1992-93 के दौरान 56.415 लाख रुपये तथा 1993-94 के दौरान 65.832 लाख रुपये की सहायता जारी की जा रही हैं।

[अनुवाद]

कैंसर के रोगी

22. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर के रोगियों को अस्पताओं में जांच से लेकर भर्ती होने तक तथा बिस्तर आबंटित करने के संबंध में सभी मामलों में लाईन में खड़े होने में प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख). कैंसर सहित किसी भी रोग के गम्भीर आपाती रोगियों को जांच, दाखिले और बिस्तरों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जाती है ।

कम वजन के गैस सिलिंडरों की बिक्री

23. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1993 के दौरान बिहार में रसोई गैस एजेंसियों द्वारा कम वजन के गैस सिलिन्डरों की बिक्री तथा पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल में मिलावट करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

मानवाधिकार आयोग

24. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मानवाधिकार आयोग गठित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग का दर्जा, संरचना तथा निदेश पदो का ब्यौरा क्या है ;

(ग) आयोग को क्या शक्तियां दी गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ बजट में कितना प्रावधान किया गया है ?

गृह मंत्री **(श्री एस०बी० चव्हाण) :** (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28.9.93 को 'मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश' प्राख्यापित किए जाने के अनुसरण में सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया । आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य हैं ।

निम्नलिखित व्यक्तियों को इसके अध्यक्ष और सदस्य के रुप में नियुक्त किया गया है :-

1. न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा,(भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश) -अध्यक्ष
2. न्यायमूर्ति कुमारी मीरा साहिब,
   रथीमा बीबी(उच्चतम न्यायालय की भूतपूर्व न्यायधीश) -सदस्य
3. न्यायमूर्ति थामारापालिल कोचू थोमन,(उच्चतम न्यायालय की भूतपूर्व न्यायधीश) -सदस्य
4. न्यायमूर्ति सुखदेव सिंह काग,
   (जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश) -सदस्य
5. श्री वीरेन्द्र दयाल,(संयुक्त राष्ट्र महा सचिव के भूतपूर्व चेफ डे कैबीनेट और
   संयुक्त राष्ट्र संघ के महा अवर सचिव) -सदस्य

अध्यादेश के अनुसार आयोग निमनलिखित कार्य करेगा ;

(क) सरकारी कर्मचारियों द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किए जाने के बारे में शिकायतों की जांच करना ;

(ख) मानव अधिकारों के उल्लघंन से संबंधित मामलों में न्यायालय की कार्रवाई में मध्यक्षेप करना,

(ग) कैदियों की रहन-सहन की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जेलों इत्यादि का दौरा करना और इस बारे में सिफारिशें करना,

(घ) मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में या किसी अन्य कानून में दिए गए संरक्षण की पुनरीक्षा करना ताकि उनके कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश की जा सके ।

(ङ.) मानव अधिकारों के बारे में शिक्षा का प्रसार करना, और

(च) मानव अधिकारों के बारे में हुए समझौतों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय उपायों का अध्ययन करना और इनके कार्यान्वयन के बारे में सिफारिशें करना ।

(ग) उपरोक्त कार्यों के निष्पादन के लिए आयोग को निम्नलिखित शक्तियां दी गई हैं :-

(क) शिकायतों की जांच के दौरान, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के लिए दिवानी न्यायालय की शक्तियां,

(ख) काई भी पूछताछ करने के उद्देश्य से सरकार के किसी भी अधिकारी या जाचं-पड़ताल एजेंसी की सेवाओं का प्रयोग करने की शक्तियां,

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों से सूचना मंगवाने की शक्तियां,

(घ) जांच-पड़ताल के दौरान निकले निष्कर्षों के आधार पर संबंधित सरकार को सिफारिशें करना,

(ङ.) जांच-पड़ताल के दौरान आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के बारे में दिशा निर्देश, आदेश या याचिकाओं के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार,

(च) तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए संबंधित सरकारों को सिफारिशें करने की शक्तियां,

(छ) संबंधित सरकार की टिप्पणियों सहित अपने जांच रिपोर्टों को प्रकाशित करने का अधिकार ।

(घ) आयोग के लिए चालू वर्ष में 150 लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है ।

स्नेहकों के मूल्य

25. श्री जी० देवराय नायक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा उत्पादित स्नेहकों का मूल्य नियंत्रण तन्त्र समाप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्नेहकों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री **(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) जी, हां।

(ख) यह सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को ऐसे नये वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने योग्य बनाने के लिए किया गया है जिसमें स्नेहकों का आयात अप्रतिबंधित कर दिया गया है ।

(ग) बाजार की शक्तियां कीमत निर्धारित करेंगी ।

तेल की खोज के लिए बोली

26. श्री श्रीकांत जेना :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने जिन्हें तेल की खोज हेतु बोली लगने के चौथे दौर में सफलता मिली थी, स्वयं को अलग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे तेल अन्वेषण कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में और क्या कदम उठाये जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने चौथे दौर की बोली के अंतर्गत छः ब्लाकों के संबध में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं को अंतिम रुप देने के लिए अनुमोदन दे दिया है। दो विदेशी तेल कम्पनियों की संविदाओं को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका क्योंकि उन्होंने अस्वीकार्य शर्तें रखी । तथापि उनमें से एक अब किसी दूसरी विदेशी तेल कम्पनी को दे दिया गया है जबकि दूसरे को छठे दौर में प्रस्ताव पर रखा गया है ।

(ग) और (घ). देश में तेल अन्वेषण कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । आर०जे०ओ०एन० 90/1 ब्लाक के लिए मूल बोलीदाता अर्थात मैसर्स शेल के साथ संविदा को अंतिम रुप देने के लिए वार्ता की जानी है तथा बी०बी०ओ०एस० 90/4 ब्लाक को फिर छठे दौर की बोली के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।

कोल इंडिया लिमिटेड

27. श्री चित्त बसु : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड का पुनगर्ठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पाजा) : (क) से (ग). किसी संगठन के कार्य-निष्पादन में सुधार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है । किन्तु, वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के किसी बड़े रुप में पुनः संरचनात्मक या पुनः संगठनात्मक ढांचे को तैयार किए जाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं ।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

28. श्री दत्ता मेघे :

श्री राजवीर सिंह :

डा० लाल बहादुर रावल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992 और 1993 के दौरान देश में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्ययवार/संघ राज्य क्षेत्र वार ऐसे स्थान कौन कौन से हैं जहां तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की संभाव्यता की पहचान कर ली गई है ; और

(घ) इसकी खोज करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० ने कुल 63338.225 एस०एल०के/जी०एल० के 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण और 5613.490 वर्ग कि०मी०/एस०एस० के 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया है । वर्ष 1993-94 के दौरान (सितम्बर 1993 तक) 19670.30 एस०एल० के/जी एल के 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा 860.00 वर्ग कि०मी०/एस०एस० के 3 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण में तदनुरुपी आंकड़े हैं ।

(ग) और (घ). उक्त भूकम्पीय आंकड़ों के अर्जन के बाद अन्वेषण वेधन के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने हेतु इन आंकड़ों को संसाधित व निर्वाचित किया जाएगा । यह एक सतत प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संभावना का मूल्याकंन उसके गुणों के आधार पर किया जाता है ।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में 'टाडा' मामले

29. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री शकंर सिंह बाघेला :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में अब तक 'टाडा' के अन्तर्गत कुल कितने मामले दर्ज किए गये ;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया ;

(ग) क्या अधिकांश गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उन्हें किस आधार पर रिहा किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार,जम्मू व कश्मीर में टी०ए०डी०ए० के अधीन दर्ज किये गए कुल मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :-

1990	2950
1991	2790
1992	4156
1993	3054

(अक्तूबर के अन्त तक)

(ख) अब तक दोषसिद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :-

1990	शून्य
1991	5
1992	5
1993	शून्य

(अक्तूबर अन्त तक)

(ग) और (घ).- अब तक रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :-

1990	116
1991	1495
1992	2861
1993	2550

(अक्तूबर अन्त तक)

(ङ.) संवीक्षा समितियों/उच्च स्तरीय पुनरीक्षा समितियों के माध्यम से पैरोल, जमानत, प्रतिसंहरण पर और निरुद्धता के आदेशों को रद्द किए जाने, इत्यादि, पर यह रिहाईयां की गई है ।

[हिन्दी]

नये तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रकोष्ठ

30. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री चेतन पी०एस० चौहान :

डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये तेल क्षेत्रों का पता लगाने तथा पुराने कुओं की मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए कोई नया प्रकोष्ठ स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकोष्ठ ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कब से कार्य करना शुरु कर देगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अर्द्ध सैनिक बल

31. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्द्ध सैनिक बलों की कुछ नई वाहिनियों का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

गृह मंत्री **(श्री एस०बी० चव्हाण) :** (क) और (ख) सरकार केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की, 11 नयी वाहिनियां गठित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

आग लगने की घटनाएं

32. श्री राजवीर सिंह :

डा० लाल बहादुर रावल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम पदार्थों के उन उत्पादन केन्द्रों की संख्या क्या है, जहां 1992-93 और 1993-94 के अक्तूबर तक, आग लगने की घटनाएं हुई थीं तथा संबंधित स्थानों के नाम और प्रत्येक मामले में आग लगने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में धन-जन की हुई हानि तथा प्रभावित व्यक्तियों को प्रदत्त मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन घटनाओं के कारण प्रट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में आई कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री **(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) और (ख). वर्ष 1992-93 के दौरान आग लगने की नौ बड़ी घटनाएं हुई तथा 1993-94 के दौरान अक्तूबर,1993 तक आग लगने की सात बड़ी घटनाएं हुई ।

अग्नि कांडों और जीवन तथा संपत्ति की क्षति तथा दी गई क्षतिपूर्ति निम्नानुसार है :-

स्थान	तिथि	क्षति	
		संपत्ति	मृत/घायल
1	2	3	4
1. आई०ओ०सी०एल०, दिग्बोई	14.4.92	30 लाख	शून्य
2. आई०ओ०सी०एल० मथुरा	5.6.92	0.45 लाख	शून्य

1	2	3	4
3. आइ०ओ०सी०एल० हल्दिया	18.6.92	5 लाख	शून्य
4. आई०ओ०सी०एल० मथुरा	4.1.1993	35 लाख	शून्य
5. एम०आर०एल० मद्रास	5.5.92	5 लाख	शून्य
6. एच०पी०सी०एल० बम्बई	19.9.92	5 लाख	शून्य
7. एच०पी०सी०एल० विशाख	2.10.92	12 लाख	शून्य
8. ओ०एन०जी०सी० अंकलेश्वर एल०पी०जी० प्लांट	4.9.92	15 लाख	शून्य
9. ओ०आई०एल० शालीमारी दुलियाजान	10.3.93	विवरण उपलब्ध नहीं	1 मृत
10. आई०ओ०सी०एल० मथुरा	5.5.93	5 करोड़	शून्य
11. एम०आर०एल० मद्रास	6.4.93	अत्यल्प	1 घायल
12. एम०आर०एल० मद्रास	10.5.93	103 लाख	शून्य
13. एम०आर०एल० मद्रास	20.8.93	50 लाख	शून्य
14. एच०पी०सी०एल० विशाख	6.8.93	12 लाख	शून्य
15. एच०पी०सी०एल० बम्बई	30.9.93	6.5 लाख	घायल
16. सी०आर०एल० कोचीन	23.9.93	115 लाख	शून्य

आयल इंडिया लिमिटेड की दिनांक 10.3.93 की घटना के मामले में वह पीड़ित व्यक्ति कम्पनी का था। कुल 76856 रुपये की राशि उपायुक्त के पास जमा कर दी गई है जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति के परिवार को भुगतान करेंगे । इसके अतिरिक्त समूह बीमा योजना द्वारा 1,65,157 रुपए तथा सदाशहता कोष से 63,000 रुपए का भुगतान किया गया है ।

(ग) ऐसे अग्निकांडों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा इसके तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से उपाय किए गए हैं जिसमें सभी तेल कम्पनियों को आग की प्रत्येक बड़ी घटना के कारणों का विश्लेषण करना,परीक्षण,अनुरक्षण तथा प्रचालन प्रक्रियाओं को आगे सुनिश्चित रुप से सशक्त बनाने तथा यथावांछित आवश्यक उपचारी उपायों के लिए बहु-अनुशासन दलों द्वारा आवधिक रुप से विशेषं सुरक्षा जांच करना शामिल हैं ।

[अनुवाद]

ब्रिटिश एड स्कीम से सहायता

33. डा0 कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान ब्रिटिश एड स्कीम में से भारत को कितनी सहायता धनराशि उपलब्ध हुई;

(ख) स्वीकृत धनराशि से उक्त अवधि के दौरान राज्यवार शुरु की गयी अथवा शुरु की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में उड़ीसा में वालेस्वर जिले के लिए स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) : उड़ीसा के पांच जिलों नामतः धेनकनाल, सुंदरगढ़, संबलपुर, क्योंझर और मयूरभंज में समुंद्रपारीय विकास एजेंसी की सहायता से दिनांक 1 नवम्बर, 1989 से पांच वर्ष के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका परिव्यय 65.66 करोड़ रुपये है जिसमें से समुंदपारीय विकास एजेंसी 18 मिलियन पौंड की सहायता देने के लिए वचनबद्ध है । दिनांक 31.10.1993 तक समुंद्रपारीय विकास एजेंसी ने किए गए व्यय के आधार पर 2.509 मिलियन पौंड की प्रतिपूर्ति की है ।

(ग) बालासौर जिले में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अतिरिक्त इसके लिए सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था की गई है । इसे प्रशिक्षण, सूचना-शिक्षा-संचार और प्रबन्ध सूचना पद्धति के लिए समंद्रपारीय विकास एजेंसी की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं के तहत भी कवर किया जाता है ।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में पुलिस हिरासत में हुई मौतें

34. श्री लाल बाबू राय :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान अब तक पुलिस हिरासत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है ;

(ख) उक्त व्यक्तियों की पुलिस हिरासत में किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई ; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग). इस अवधि के दौरान पुलिस हिरासत में तथाकथित मौत की 130 शिकायतें प्राप्त हुई है । दर्ज कर लिए आरोपों के बारे में जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

जांच-पड़ताल की समाप्ति के बाद इससे प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर हिरासत में हुई ज्यादतियों के लिये दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानून के आधार पर कार्यवाही की जाएगी ।

बहुउददेशीय परियोजनाऐं

35. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोसी नहीं पर बाराह क्षेत्र परियोजना, कमला और बारामती नदियों पर शीशा पानी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री **तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य** मंत्री **(श्री पी०के० थुंगन):** नेपाल से सकरात्मक उत्तर न मिलने के कारण नेपाल में संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापित करने के लिए कोसी परियोजना की जांच के तौर तरीकों ओर ब्यौरें को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका । कमला और बागमती जलाशय स्कीमों जिनका वित्त पोषण भारत द्वारा किया जाये की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

[अनुवाद]

कोयला खानों में आग लगने की घटनाएं

36. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत तालचेर के निकट कुछ कोयला खानों में आग लगने की घटनाओं में हो रही वृद्धि की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन कोयला खानों में चालू वर्ष के दौरान किन कारणों से आग लगी तथा उससे कितनी क्षति हुई ; और

(घ) उन खानों में मजदूरों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा आग की घटनाएं रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री **(श्री अजित पांजा) :** (क) से (ग). महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में भूमिगत आगों की दो घटनाएं हुई हैं - एक नांदिरा कोलियरी में वर्ष 1992 में और अन्य अक्टूबर, 1993 में, दुलबेरा कोलियरी में घटित हुई । नांदिरा कोलियरी में आग एक खराब केबल में विद्युत चिन्गारी होने के कारण लगी । इस खान को अब पूर्णतः कार्यरत कर लिया गया है । दुलबेरा कोलियरी में लगी आग के सही कारण का तथा हुई क्षति का अभी पता लगाया जाना है । कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक विशेषज्ञ-समिति, जिसमें खान सुरक्षा महानिदेशक श्री एच०बी०घोष और भारतीय खान-महाविद्यालय के निदेशक, प्रो०ए०के०घोष शामिल हैं, का गठन किया गया है, जो कि दुलबेरा भूमिगत आग के लगने की परिस्थितियों तथा कारणों का पता लगाएगी और यह सुधारात्मक उपायों का भी सुझाव देगी ।

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) खानों का अनुभागीकरण ।

(ii) विद्युत उपकरणों का अधिक दृढ़ता से अनुरक्षण तथा पुराने क्रियाकलापों की जांच ।

[हिन्दी]

कोयले के भंडार में कमी

37. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोडना क्षेत्र की सभी ओपनकास्ट परियोजनाओं और कोयला क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियों की ड्रिलिंग मशीनें कार्य कर रही हैं तथा इनकी मरम्मत की लागत कंपनी खाते में डाली जा रही है ;

(ख) क्या लोडना क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के भंडार में चार लाख टन कम कोयला है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) यह सच है कि लोडना क्षेत्र की कुछ खानों में निजी कंपनियों की ड्रिल कार्यरत की गई थी । किंतु इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि मरम्मत पर किया गया व्यय कंपनी से प्रभारित किया था ।

(ख) 1-4-93 की स्थिति के अनुसार लोडना क्षेत्र में कोयले का वास्तविक स्टाक, स्टाक लेखे से केवल 14,984 टन कम था तथा यह उद्योग एवं कोल इंडिया लिमिटेड की नीति में व्यवाहर्यता के अनुसार अनुमेय कोयला स्टाक की मात्रा के बीच अन्तराल की अनुमेय सीमा के अन्दर था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्रों में दुर्घटनाएं

38. श्री जितेन्द्रनाथ दास : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोयला खान-वार कितनी दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कोयला खानों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि० तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के क्रियाकलापों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	ई०को०लि० दुर्घटनाएं		भा०को०लि० दुर्घटनाएं		से०को०लि० दुर्घटनाएं	
	मृतक	गंभीर	मृतक	गंभीर	मृतक	गंभीर
1990	29	108	37	100	13	38
1991	24	109	27	137	18	20
1992	30	93	40	123	23	28

कोलियरी-वार सूचना अत्यधिक भारी भरकम स्वरुप की होगी । यह महसूस किया गया कि इस भारी भरकम सूचना को सभी सहायक कंपनियों से एकत्र करने तथा उसे संकलित करने में लगने वाले समय, लागत तथा प्रयास उस प्रयोजन के अनुरुप नहीं होंगे, जिसके लिए यह सूचना मांगी गई है ।

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद से कोल इंडिया लि० का मुख्य बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में एक क्षेत्र खनिकों की सुरक्षा का रहा है । यह खानें खान अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत कार्य करती हैं । प्रत्येक कंपनी में एक आन्तरिक सुरक्षा संगठन है, जो कि खानों में सुरक्षा नीति बनाने, नियम एवं विनियमनों को कार्यान्वित करवाने तथा सुरक्षा मानकों का प्रबोधन करने के लिए उत्तरदायी होता है । प्रत्येक खान में कार्य संबंधी उपकरणें जैसे अपना बचाव, गैस का पता लगाना तथा सुरक्षा साधन उपलब्ध कराये जाते हैं । सम्पूर्ण सुरक्षा स्थिति की काल इंडिया लि० के सुरक्षा बोर्ड तथा स्थाई सुरक्षा समिति द्वारा कोयला खानो में पुनरीक्षा की जाती है। इन सभी उपायों द्वारा मृतकों की दर में 1975 में 2.62 प्रति मि०टन से घटाकर 1993 (अक्तूबर तक) में 0.50 प्रति मि०टन तक ला दी गई है ।

(ग) और (घ). जी, हां । कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद यंत्रिकरण तथा आधुनिकीकरण पर काफी बल दिया गया है । ओपनकास्ट प्रौद्योगिकी के यंत्रिकरण पर जोर दिया गया है। कोल इंडिया लि० अद्यतन प्रौद्योगिकी को निरन्तर प्रयोग में लाती रही है जैसे लांगवाल खनन, यंत्रिकृत लदान, विस्फोटक गैलरी प्रणालियां तथा उतराव-शील्ड प्रणाली, आदि । इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने से कामगारों की सुरक्षा में भी सुधार हुआ है ।

विज्ञापनों पर वैधानिक चेतावनी

39. श्री राम कापसे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शराब, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा और गुटका के निर्माताओं को अपने विज्ञापनों में यह वैधानिक चेतावनी देना आवश्यक है कि उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

(ख) क्या चेतावनी विज्ञापनों में समुचित रुप से दर्शायी जाती है जिससे कि वह उद्देश्य पूरा हो सके जिसके लिए यह दी जाती है ;

(ग) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि ''वैधानिक चेतावनी'' कुल विज्ञापित स्थान के दस प्रतिशत भाग पर होनी चाहिए और प्रति में इस बारे में अधिक विवरण होना चाहिए कि इन मदों के सेवन से किस-किस प्रकार के नुकसान होंगे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) सिगरेट के मामले में विनिर्माताओं को उनके विज्ञापनों में सांविधिक चेतावनी देनी होती है । प्रत्येक खाने वाले तम्बाकू के प्रत्येक पैकेज पर एक सांविधिक चेतावनी होनी चाहिए । बीड़ी के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

(ख) महसूस किया जाता है कि सिगरेट विज्ञापनों पर अंकित सांविधिक चेतावनी का पर्याप्त प्रभाव नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ). ऐसा व्यापक कानून बनाने का निर्णय किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकेजों पर सांविधिक चेतावनी अधिक स्पष्ट शीर्षको में अंकित करने का प्रावधान होगा । अक्षरों के आकार तथा वे भाषाएं जिनमें पैकेजों पर इन्हें छापा जाएगा, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी ।

[हिन्दी]

राजस्थान में कैंसर केंद्र

40. प्रो०रासा सिंह रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कैंसर रोग के इलाज तथा रोकथाम के केंद्र कौन-कौन से स्थानों पर कार्यरत हैं तथा ये केंद्र कौन-कौन सी श्रेणी के हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) राजस्थान के किन-किन शहरों में कोबाल्ट प्लांट स्थापित किए गए हैं तथा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा इन प्रत्येक स्थानों पर अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) राज्य में कौन-कौन से सरकारी अस्पतालों में सी०टी० जांच सुविधा उपलब्ध है तथा किन-किन स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) क्या सरकार का विचार अजमेर के जे०एल०एन० अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ड.). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हजरतबल सम्बन्धी मामला

41. डा० लाल बहादुर रावल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजरतबल दरगाह में छुपे आतंकवादियों को आवश्यक सुविधाएं तथा भोजन उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ख) इस कार्यवाही में हताहत हुए सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इस कार्यवाही में प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के आदेश की शर्तों के अनुसार 1200 कैलोरी के बराबर और 5 रु० प्रति व्यक्ति की दर वाला भोजन उन श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया गया था जिनके पवित्र दरगाह के अन्दर फंसा होने की संभावना थी।

(ख) हजरत बल अभियान में सुरक्षा बलों का कोई कार्मिक नहीं मारा गया/घायल हुआ ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण

42. **श्री रवि राय :**

श्री बापू हरि चौरे :

श्री बीर सिंह महतो :

श्री जीवन शर्मा :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे को लागू करने हेतु कोई कार्यालय ज्ञापन जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह ज्ञापन पहले जारी किए गये ज्ञापन से किस प्रकार भिन्न है ;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सभी दृष्टियों से लागू किया गया है ;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या यह आरक्षण निजी क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा ;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ज) पदोन्नति में आरक्षण सहित यह आरक्षण कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) 8.9.93 का कार्यालय ज्ञापन विवरण के रुप में संलग्न है । यह कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार के सिविल पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों का 27 प्रतिशत आरक्षण "सम्पन्न वर्ग" को हटाने की शर्त पर अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में (ओ०बी०सी०) प्रदान करता है ।

(ग) 8.9.93 का कार्यालय ज्ञापन पूर्व के दो कार्यालय ज्ञापनों से निम्नलिखित पहलुओं से भिन्न है :-

(।) इसमें 13.8.90 तथा 25.9.91 के कार्यालय ज्ञापनों के विपरीत जिसमें किसी में भी ऐसे निष्कासन का प्रावधान नहीं था, अन्य पिछड़े वर्गों में से सामाजिक रुप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों को हटाने का प्रावधान है।

(।।) यह 25.9.91 के कार्यालय ज्ञापन में यथाप्रदत्त विद्यमान किसी योजना के अन्तर्गत शामिल न किए गए आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत का अतिरिक्त आरक्षण प्रदान नहीं करता है ।

(घ) संशोधित कार्यालय ज्ञापन जारी करते समय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है ।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) से (ज). निजी क्षेत्रों में प्रारंभिक नियुक्ति के समय अथवा पदोन्नति में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है । इसलिए इसके क्रियान्वित न किए जाने के कारणों अथवा क्रियान्वयन के लिए समय अनुसूचित को दर्शाने का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

संख्या 36012/22/93-स्था०(अनु०जा०)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 1993

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के संबंध में ।

मुझे, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक रुप से पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के बारे में इस विभाग के दिनांक 13 अगस्त, 1990 तथा 25 सितम्बर, 1991 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/31/90-स्था०(अनु०जा०) का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले (1990 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 930) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरुप भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के लाभ से सामाजिक रुप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों को शामिल न किए जाने के लिए मानदण्डों की सिफारिश के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी । समिति की रिपोर्ट मिलने पर सरकार ने इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है।

2. उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में तथा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने पर, उपर्युक्त पैरा (।) में उल्लिखित इस विभाग के दिनांक 13.8.90 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36.12/31/90-स्था०(अनु०जा०) में निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए एतद्द्वारा निम्न संशोधन किए जाते हैं:-

(क) सिविल पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों का 27 प्रतिशत (सत्ताईस प्रतिशत) जिसे भारत सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा । आरक्षण लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के बारे में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे ।

(ख) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य उम्मीदवार के लिए नियत किए गए मानकों पर किसी खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं उन्हें 27 प्रतिशत के आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा ।

(ग) (i) उपर्युक्त आरक्षण इस कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों पर लागू नहीं होगा ।

(ii) आरक्षण से बाहर रखने का नियम कारीगरों के रुप में कार्यरत व्यक्तियों अथवा पैतृक व्यवसायों, पेशे आदि में लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा । ऐसे व्यवसायों, पेशों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

(घ) पहले चरण में उपर्युक्त आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे जातियां तथा समुदाय होंगे जो मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों तथा राज्य सरकार की सूचियों दोनों में एक समान है । ऐसी जातियों तथा समुदायों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही है ।

(ड.) उपर्युक्त आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । किन्तु ये उन रिक्तियों पर लागू नहीं होगा जहां भर्ती की प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने से पहले ही प्रारंभ कर दी गई है ।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं, जिनमें सर्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, के बारे में इसी प्रकार के अनुदेश क्रमशः लोक उद्यम विभाग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा इस कार्यालय ज्ञापन के लागू होने की तारीख से जारी किए जाएंगे ।

(श्रीमती सरिता प्रसाद)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि :

(i) लोक उद्यम विभाग,
नई दिल्ली ।
(ii) वित्त मंत्रालय
(बैंकिंग तथा बीमा प्रभाग)
नई दिल्ली ।

अनुरोध है कि इसी प्रकार के अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा निगमों के बारे में भी जारी किए जाएं

अनुसूची

श्रेणी	श्रेणी का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3
I.	संवैधानिक पद	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) (क) भारत के राष्ट्रपति ; (ख) भारत के उपराष्ट्रपति (ग) उच्चतम न्यायाल तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

1	2	3
		(घ) संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ; भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ;
		(ड.) समान स्वरुप के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति।
II.	सेवा की श्रेणी	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां)
	क. अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह क श्रेणी-। अधिकारी (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त)	(क) जिनके माता-पिता, दोनों ही श्रेणी-। अधिकारी हैं ;
		(ख) जिनके माता-पिता में से कोई एक श्रेणी-। अधिकारी है;
		(ग) जिनके माता-पिता में दोनों ही श्रेणी-। अधिकारी हैं, किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है ।
		(ड.) जिनके माता-पिता में से एक श्रेणी-। अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी तारीख अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा ली हो ।
		(च) जिनके माता-पिता दोनों ही श्रेणी-। के अधिकारी हैं तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाते हैं और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ।
		बशर्ते कि अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :-
		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (यों)
		(क) जिनके माता-पिता में कोई एक या दोनों श्रेणी-। अधिकारी हैं, किन्तु उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी योग्यता का शिकार होता है,
		(ख) अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह श्रेणी-। अधिकारी से हुआ है तथा वह स्वयं नौकरी के

1	2	3
		लिए आवेदन देना चाहती है ।
ख. केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह ख श्रेणी-।। के अधिकारी (सीधी भर्ती)		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियों) (क) जिनके माता-पिता जो दोनों ही श्रेणी-।। अधिकारी हैं । (ख) जिनके माता-पिता में से केवल पति श्रेणी-।। का अधिकारी है और वह 40 अथवा इससे पूर्व आयु में श्रेणी-। अधिकारी बनता है । (ग) जिनके माता-पिता दोनों ही श्रेणी-।। अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ; (घ) जिनके माता-पिता में से पति श्रेणी-। अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) तथा पत्नी श्रेणी-।। अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए ; अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए, तथा (ड.) जिनके माता-पिता में से पत्नी श्रेणी-। अधिकारी हो (सीधी भर्ती से अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पति श्रेणी-।। अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए। बशर्ते कि अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :- निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियों) (क) जिनके माता तथा पिता दोनों श्रेणी-।। अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है । (ख) जिनके माता तथा पिता दोनों श्रेणी-।। अधिकारी हैं तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थायी

1	2	3
		अयोग्यता के शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधां प्राप्त की हो ।
ग.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के कर्मचारी	इस श्रेणी में उपर्युक्त क तथा ख में बताया गया मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा सगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा तुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर-सरकारी नियुक्ति के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा । इन संस्थानों में समकक्ष अथवा तुल्य आध पर पदों के मूल्यांकन तक, इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों पर निम्न श्रेणी 6 निर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा ।
III.	सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्ध-सैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है)	उन माता-पिता के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियों) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल अथवा इससे ऊपर के स्तर तथा जलसेना तथा वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष पदों पर कार्यरत हैं । (i) यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात् विचारार्थ श्रेणी में है तो अपवर्जन नियम केवल तभी लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर तक पहुंच जाएगी । बशर्ते कि:- (ii) पति तथा पत्नी की कर्नल से नीचे के स्तर को इकट्ठा नहीं जोड़ा जाएगा । (iii) यहां तक कि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियुक्ति में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्दे नजर नहीं रखा जाएगा जब तक कि वह मद संख्या 11 के तहत सेवा की श्रेणी में न आ जाए ।
4	व्यवसायिक श्रेणी तथा व्यापार और उद्योग में लगे हुए कर्मचारी (1) चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेट,	

1	2	3
	आयकर-परामर्शदाता वित्तीय तथा प्रबन्ध सलाहकार, दंत चिकित्सक, अभियन्ता, वास्तुकार, कम्प्यूटर विशेषज्ञ,फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुडा है, लेखक नाटककार, खिलाडी, जन संचार व्यवसायी पेशेवर खिलाड़ी, अथवा समानस्तर के अन्य व्यवसाय, एवं	श्रेणी 6 के समक्ष निर्दिष्ट मानदंड लागू होगा ।
(2)	व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों में लगे व्यक्ति	श्रेणी 6 के आगे दर्शाया गया मानदंड लागू होगा ।

स्पष्टीकरण

(i) चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी श्रेणी II अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो आय/सम्पति का आकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जायेगा ।

(ii) यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति श्रेणी II अथवा निम्नग्रेड की नियुक्ति में हो आय/सम्पति का आकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

(5) सम्पति धारक

क. कृषि क्षेत्र

एक ही परिवार (माता-पिता तथा अव्यस्क बच्चे के पुत्र या पुत्रियां) जो निम्नलिखित के स्वामी है :

(क) केवल सिंचित भूमि के जो कानूनी सीमा के 85 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर या उससे अधिक है, या

(ख) निम्नुसार सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि ; अपवर्जन नियम वहां लागू होगा जहां कि पूर्वनिर्धारित शर्त यह हो कि सिंचित क्षेत्र (जिसे कामन नाम के आधार पर एक ही श्रेणी के अन्तर्गत लाया गया हो) अर्थात सिंचित क्षेत्र के लिए कानूनी ऊपरी सीमा का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो ।

1	2	3
		(इसकी गणना असिंचित क्षेत्र को बाहर निकालकर की जाएगी) यदि यह 40 प्रतिशत से कम नहीं होने की पूर्व निर्धारित शर्त विद्यमान हो तब केवल असिंचित क्षेत्र को ही हिसाब में लिया जाएगा । यह कार्य असिंचित भूमि को, विद्यमान विनियमन सूत्र के आधार पर सिंचित प्रकार में बदलकर किया जाएगा । इस असिंचित क्षेत्र में से आंकलित सिंचित क्षेत्र को वास्तविक सिंचित क्षेत्र में जमा किया जाएगा और यदि इस तरह दोनों को जमा करने पर कुल सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र के लिए तय की गई कानूनी ऊपसी सीमा का 85 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उस परिस्थिति में अपवर्जन का नियम लागू होगा तथा बेदखली कर दी जाएगी । (II) यदि परिवार के पास जो जोत क्षेत्र है और पूर्णत असिंचित क्षेत्र है तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा ।
ख. बागान		
	(I) काफी, चाय, रबड़ आदि	नीचे श्रेणी 6 में निर्दिष्ट आय/सम्पति का मानदंड लागू होगा ।
	(II) आम, खट्टे फल सेब के बाग आदि	इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जाएगा और इसलिए इस श्रेणी पर उपरोक्त 'क' मापदंड लागू होगा ।
ग.	खाली भूमि और/या शहरी तथा उपनगरीय क्षेत्रों में इमारतें ।	नीचे श्रेणी 6 में निर्दिष्ट मापदंड लागू होगा : स्पष्टीकरण:- भवन का उपयोग रहने, औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है या इस तरह के दो या अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है ।
6.	आय/सम्पति आकलन	पुत्र तथा पुत्री(या)
		(क) वे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे अधिक हो या जिनके पास पिछले तीन वर्षों में लगातार सम्पत्ति कर नियमावली में दी गई सीमा से अधिक की सम्पत्ति हो ।

1	2	3
		(ख) श्रेणी 1,2,3 तथा 4 ए जो कि आरक्षण की सुविधा के हकदार नहीं हैं लेकिन जिन्हें सम्पत्ति के अन्य स्त्रोतों से आय होती है जिसके कारण वे ऊपर (क) में दी गई आय/सम्पत्ति के मापदंड के भीतर आते हों ।
		स्पष्टीकरण:-(I) वेतन तथा कृषि भूमि से हुई आय को एक साथ नहीं जोडा जाएगा ।
		(II) रुपये के मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष आय के मानदंड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जाएगा । तथापि परिस्थितियों की मांग के अनुरुप अंतरणावधि कम हो सकती है ।
		स्पष्टीकरण :- इस अनुसूची में जहां कहीं भी 'स्थायी अक्षमता' अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरुप अधिकारी को सेवा में बनाये न रखा जा सके ।

बलात्कार मामलों संबंधी कानून

43. डा० एस०पी० यादव : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलात्कार करने वाले लोग अधिकांश कानून में खामियों के कारण सजा पाने से बच जाते हैं:

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वर्तमान कानून की खामियों का पता लगाने के लिए इसकी आलोचनात्मक समीक्षा की है ताकि बलात्कार करने वालों से निपटने के लिए कानून को और कठोर बनाया जा सके : और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अधिकांशत: बलात्कारी, कानून की खमियों के कारण सजा पाने से बच जाते हैं । वर्तमान कानूनी प्रावधान काफी कठोर है तो भी सरकार इनमें सुधार के लिए, दिए गए सुझावों के प्रति उदासीन नहीं रहेगी ।

सरकारी अस्पतालों में प्रदूषण

44. श्री चन्द्रजीत यादव :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और विभिन्न राज्यों के अस्पतालों द्वारा अस्वास्थ्यकर तरीके से चिकित्सीय अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र करने के बारे में बारीकी से कोई अध्ययन किया है जिसके कारण अस्पतालों का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और भयानक संक्रामक रोग फैल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घातक चिकित्सीय अवशिष्ट पदार्थों के समुचित निपटान पर कई नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अस्पताल में साफ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस प्रकार का अध्ययन करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बहरहाल, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों द्वारा चिकित्सीय अवशिष्ट पदार्थो को जला कर नष्ट कर दिया जाता है ।

कच्चे तेल का उत्पादन

45. श्री विजय एन० पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार कच्चे माल के उत्पादन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कच्चे माल के लक्ष्यानुसार उत्पादन में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या करण है; और

(ड.) कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) चालू वर्ष में कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन के 27.17 मिलियन मीट्रिक टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं ।

(ख) 15.842 मिलियन टन का लक्ष्य की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 1993 की अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन 15.430 मिलियन टन हुआ है

(ग) जी, हां ।

(घ) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण निम्नानुसार रहे हैं :-

(1) पर्यावरण संबंधी समस्याओं के कारण पूर्वी क्षेत्र में कम उत्पादन, कूपों में उच्चतर गति से रुकना और विकास कूपों से अनुमान से कम उत्पादन ।

(2)बम्बे हाई-उरान पाइपलाइन राइजर लीकेज/मरम्मत के कारण बम्बई अपतट से कम उत्पादन और इसके फलस्वरुप कूपों का बन्द होना ।

(ङ.) कच्चे तेल क स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक अल्पावधिक और मध्यावधिक उपाय किए जा रहे है :

(1) नए तेल क्षेत्रों का विकास ।

(2) मौजूदा क्षेत्रों का और विकास ।

(3) जहां व्यावहारिक हो, शीघ्र उत्पादन पद्धतियां स्थापित करना ।

(4) जहां संभव हो, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ।

गैस परियोजनाओं के संबंध में ईरान के साथ समझौता

46. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ईरान के साथ गैर परियोजनाओं के संबंध में कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ओर

(ग) इस देश से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की शर्तें क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग). ईरान और भारत की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ ईरान से भारत में प्राकृतिक गैस लाने, परस्पर वार्ताओं द्वारा कच्चे तेल के व्यापार का विस्तार करना, खोज, उत्पादन, इंजीनियरी और निर्माण, अनुसंधान और विकास में द्विपक्षीय सहयोग तथा उर्वरक संयंत्रों की स्थापना शामिल है ।

महाराष्ट्र में भूकम्प के कारण महामारी

47. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों की, जहां शवों के सड़ने, नालियों के बंद होने तथा स्वच्छ जल की कमी के कारण महामारी फैलने की आशंका है, समुचित देख-रेख की है ; और

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार और स्वयंसेवी संगठनों की सहायता करने हेतु दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार): (क) जी हां । भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों में महामारी को रोकने के लिए किए गए त्वरित एहतियाती उपायों के कारण किसी प्रकार की महामारी नहीं फैली है ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा मांगे जाने पर सरकार भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

तेल खोज परियोजना

48. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल खोज परियोजनाओं में सहभागिता हेतु सरकार को कितनी निजी कंपनियां से प्रस्ताव प्राप्त हुए है ;

(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र के निजीकरण के सम्बन्ध में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तंत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री **(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) से (ग) : तेल क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार की उदारीकृत नीति को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण वर्ष की सतत बोली योजना के एक भाग के रुप में विशिष्ट ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए भारतीय तथा विदेशी कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहें हैं ।

सितम्बर, 1991 में सरकार ने 73 ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए भारतीय और विदेशी निजी कम्पनियों से बोलियां आंमत्रित की । अंतिम तिथि अर्थात 15 अप्रैल, 1992 तक 31 कंपनियों से स्वयं या परिसंघ के रुप में कुल 24 बोलियां प्राप्त हुई थी । जनवरी, 1993 में सरकार ने 45 ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए पुनः प्रस्ताव आंमत्रित किए । अंतिम तिथि अर्थात 30 जून, 1993 तक 10 ब्लाकों के लिए 11 कम्पनियों से कुल 15 बोलियां प्राप्त हुई थीं । अगस्त, 1993 में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए और 46 ब्लाकों को प्रस्तावित किया गया है । बोलियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 1993 है ।

भाडे के विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ

49. श्री गुरुदास कामत : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जम्मू और कश्मीर में भाड़े की विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण हैं ;

(ग) चालू वर्ष में अब तक कितने विदेशी घुसपैठिए/आतंकवादी पकड़े गए ;

(घ) वे किन-किन देशों के थे ;

(ड.) क्या संबद्ध देशों को इस संबंध में जानकारी दी गई है ; और

(च) यदि हां, तो इस पर उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण): (क) से (च). राज्य में हिंसा जारी रखने और हिंसा को तेज करने के प्रयासों की दिशा में, सीमा के पार, जम्मू और कश्मीर में विदेशी तत्वों/भाड़े के सैनिकों की भरती

करने/घुसपैठ कराने के प्रयासों को तेज करने के बारे में रिपोर्ट हैं । चालू वर्ष के दौरान अब तक 19 विदेशी गिरफ्तार किए गए हैं जबकि पिछले दो वर्षों के दौरान 11 विदेशी गिरफ्तार किए गए थे ।

ऐसे तत्वों की निश्चित राष्ट्रीयता का पता लगाना कठिन है फिर भी जांच पड़ताल के आधार पर यह पता लगा है कि इन व्यक्तियों में पाकिस्तान (पाक अधिकृत कश्मीर सहित), लेबनान और बहरीन के नागरिक शामिल है ।

मामला उपयुक्त रुप से राजनयिक स्तर पर उठाया गया है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में क्षय रोगी

50. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत पुरुष और महिलाएं क्षय रोग से ग्रस्त हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश में क्षयरोग से बचने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य में क्षय रोग की दवाओं की कमी है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ड.) ऐसी दवाओं की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री **(श्री पवन सिंह घाटोवार):** (क) लगभग 1.5 प्रतिशत जनसंख्या के क्षयरोग से पीड़ित होने का अनुमान है जिसमें से लगभग 25 प्रतिशत रोगियों के थूक में क्षयरोग के लक्षण हैं !

(ख) मध्य प्रदेश क सभी जिलों में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 45 जिलों में एक-एक जिला क्षयरोग केन्द्र तथा 5 क्षयरोग क्लिनिक और 1985 क्षयरोग पलंग है ।

(ग) से (ड.) रोगी निजी चिकित्सा व्यवसायियों और सरकारी, गैर-सरकारी, स्वयं सेवी संगठनों दोनों से क्षयरोग का उपचार करवाते हैं । पता लगाए गए रोगियों के आधार पर 50 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ समय पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा 61.5 लाख रुपये मूल्य की औषधों की आपूर्ति की गई है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में कुष्ठ निवारण केंद्र

51. श्री बीरसिंह महतो : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने कुष्ठ निवारण केंद्र कार्य कर रहे है ;

(ख) केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन केंद्रों को कितनी सहायता दी है ;

(ग) क्या इन केंद्रों में रोगियों को निःशुल्क दवाईयां दी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे कुष्ठ उन्मूलन केंद्र संलग्न विवरण में हैं ।

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी है :

(लाख रुपए में)

वर्ष	नकद	सामग्री	कुल
1992-93	80.00	55.53	135.53
1993-94	80.00	70.00	150.00

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य को जिला कुष्ठ समितियों को 64.70 लाख रुपये सीधे दिए गए ।

(ग) और (घ). इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ-रोधी औषधें मुफत दी जाती हैं ।

विवरण

पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे कुष्ठ उन्मूलन केंद्रों की संख्या

1.	कुष्ठ नियंत्रण यूनिट/संशोधित नियंत्रण यूनिट	94
2.	शहरी कुष्ठ केंद्र	73
3.	एस०ई०टी० केंद्र	37
4.	ज़िला कुष्ठ यूनिट	16
5.	अस्थाई अस्पताली बार्ड	30
6.	नमूना सर्वेक्षण सह-मूल्यांकन यूनिट	4
7.	स्वयंसेवी संगठन	26

गुजरात में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज और अस्पताल

52. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कार्यरत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों तथा अस्पतालों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कालेजों तथा अस्पतालों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में नए आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल खोलने तथा वर्तमान आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पतालों का विस्तार करने का अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री **(श्री पवन सिंह घाटोवार) :** (क) और (ख) गुजरात में 9 आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेज और 44 आयुर्वेदिक अस्पताल कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है । पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न कालेजों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

1990-91	183.19 लाख
1991-92	187.69 लाख
1992-93	241.5 लाख

(ग) से (ड.). नये आयुर्वेदिक कालेज अथवा अस्पताल खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है । राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में नये बाह्य रोगी विभाग के निर्माण के लिए गुजरात सरकार से केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके लिए पूरी सूचना मांगी गई है ।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाएँ

53.डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में क्रियान्वित की जा रही बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं का अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जाएगी और उनकी सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने परियोजनाओं की समीक्षा की है ;

(ड.) यदि हां तो इन परियोजनाओं में जिन खामियों का पता चला है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या उपाए किये गए है/किये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (च). विवरण संलग्न है ।

विवरण

गुजरात में निर्माणाधीन बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

लागत करोड़ रु०/क्षमता : हजार हेक्टेयर

क्रं०सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत (गुजरात सरकार की वार्षिक योजना के अनुसार)	3/92 के अंत तक संचयी व्यय	1992-93 के दौरान प्रत्याशित व्यय	3/92 के अंत तक सृजित क्षमता	1992-93 के दौरान प्रत्याशित अतिरिक्त क्षमता	पूरा होने की नियत तिथि	चरम सिंचाई क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. **बृहद परियोजनाएं**								
1.	दमनगंगा	204.53	144.37	14.36	41.04	1.52	आठवीं योजना	51.56
2.	पनाम	76.65	63.85	3.50	48.46	0.91	आठवीं योजना में पर्याप्त रुप से पूरी	49.37
3.	साबरमती	110.72	104.97	4.86	52.29	2.00	आठवीं योजना	56.68
4.	करजन	224.79	185.86	15.44	40.11	-	-वही-	77.56
5.	सुखी	102.60	85.59	8.90	23.00	0.25	-वही-	25.20
6.	सिपु	94.10	72.90	11.70	4.00	1.05	-वही-	22.00
7.	वतरक	56.70	50.50	5.68	14.50	1.84	-वही-	18.34
8.	सरदार सरोवर	6406.04	1879.38	-	-	-	आठवीं योजना से आगे	1792.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9.	झांखरो		61.52	2.55	0.60	-		आठवीं योजना	24.00
ख. मध्यम परियोजनाएं									
1.	हिरण (एस)-II		12.20	7.50	0.58	6.40	-	आठवीं योजना में पर्याप्त रुप से पूरी	6.40
2.	सुखभादर		20.31	18.37	2.06	5.41	-	आठवीं योजना	5.41
3.	मच्छन्दरी		20.53	17.40	2.12	7.80	-	-वही-	8.08
4.	कलुभार		20.24	17.15	1.70	4.70	-	-वही-	4.70
5.	मच्छननाला		16.15	14.43	1.07	3.74	0.59	-वही-	4.33
6.	अमरि (वी०ई०आर०-II)		24.13	19.16	2.53	5.47	-	आठवीं योजना में पर्याप्त रुप से पूरी	5.47
7.	देव		50.70	44.18	3.80	9.50	0.66	आठवीं योजना	10.16
8.	वेणु-II		22.06	16.50	3.12	4.40	0.65	-वही-	5.25
9.	उंद (जीवापुर)		36.00	30.95	3.38	7.50	1.00	-वही-	9.59
10.	भादर (पी०एम०एस०)		44.80	37.11	4.90	7.30	0.70	-वही-	8.00
11.	माजम		29.73	26.69	1.60	4.00	0.72	-वही-	4.72
12.	हाडफ		24.00	20.10	2.00	4.40	0.84	-वही-	5.24
13.	गुहई		54.24	43.61	6.50	4.60	2.00	-वही-	7.51
14.	केलिया		19.92	17.04	1.82	2.70	0.38	-वही-	3.46
15.	हर्णव-II		8.20	7.21	0.60	2.30	0.32	-वही-	3.44
16.	सनी		12.20	7.69	1.30	1.51	0.10	आठवीं योजना में पर्याप्त रुप से पूरी	2.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	अमिपुर	7.95	7.58	0.40	0.33	0.10	आठवीं योजना	6.77
18.	उमरिया	6.73	5.75	0.50	1.81	0.56	-वही-	2.37
19.	अजि-II	12.80	12.31	0.71	2.25	0.13	-वही-	2.38
20.	अजि-III	27.28	25.91	1.27	5.20	1.00	-वही-	6.84
21.	चुघ	37.23	31.55	2.00	2.00	-	आठवीं योजना में पर्याप्त रुप से पूरी	5.89
22.	उबेन	13.14	12.98	0.32	2.46	-	आठवीं योजना	2.46
23.	मुक्तेश्वर	22.80	15.81	1.20	1.00	1.19	-वही-	6.19
24.	डेमी-II	10.65	10.15	0.60	2.42	-	-वही-	2.42
25.	उंद-II (गुनाटीट सरोवर)	27.09	11.31	8.00	-	-	-वही-	4.25
विस्तार, नवीकरण व आधुनिकीकरण परियोजनाएं								
1.	मच्छु-I (बांध सुदृढ़ीकरण)	2.09	1.55	0.20	-	-	आठवीं योजना	-
2.	मच्छु-II (पुनर्निर्माण)	37.44	34.33	2.33	9.50	0.49	-वही-	9.99
3.	खारीकट नहरों का आधुनिकीकरण	8.81	6.87	0.42	1.98	0.09	-वही-	2.07
4.	फतेहवाडी नहरों का आधुनिकीकरण	33.54	26.31	4.36	4.08	0.39	-वही-	4.47
5.	दांतीवाडा आधुनिकीकरण	41.01	39.02	3.78	12.05	0.08	आठवीं योजना	12.13
6.	भादर नहर का आधुनिकीकरण	21.04	18.85	1.20	1.70	0.01	-वही-	1.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	शेतरजी (पी) नहर का आधुनिकीकरण	25.31	20.59	5.01	3.58	0.20	आठवीं-योजना	3.78
8.	मच्छु-I नहरों का आधुनिकीकरण	9.40	7.05	0.40	1.00	0.07	-वही-	1.07
9.	सालिन्टी केन्द्र का निवारण (सौराष्ट्रीय तटीय विकास)	172.12	82.62	12.90	11.50	0.77	-वही-	18.27
10.	उकई-काकरापुर आधुनिकीकरण	56.70	56.39	2.21	3.00	0.09	-वही-	3.09
11.	मित्ती का पुन चालन	2.53	0.95	1.88	-	-	-वही-	-
12.	कालिन्द्री	3.41	0.37	0.30	2.56	-	-वही-	2.56

चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है, इसलिए परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वियन राज्य सरकारों द्वारा उनके पास उपलब्ध समग्र योजना संसाधनों के अंदर किया जाता है । परियोजना के पूरा होने तथा लागत में वृद्धि के कारण हैं : निधियों की अपर्याप्त व्यवस्था अभिकत्व तथा क्षेत्र में परिवर्तन निर्माण के दौरान तकनीकी तथा ठेके संबंधी समस्याएं, परियोजना की तैयारी आदि के समय अपर्याप्त सर्वेक्षण । आठवीं योजना में निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर बल दिया गया है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के रेडियोएक्टिव कान्ट्रेक्टिंग की चोरी

54. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के एक करोड़ रुपये मूल्य के तीन रेडियोएक्टिव कांट्रेक्टिंग चुराये गये थे तथा बाद में मद्रास में कूयूम नदी में फेंक दिये गये थे ;

(ख) इन उपकरणों को ढूंढ निकालने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के ठेकेदार मैसर्स हैलीबर्टन आफशोर सर्विसेज इंक के मद्रास कार्यालय के तीन रेडियोएक्टिव स्रोत फर्म के कुछ असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा चुरा लिए गए थे और इन्हें मद्रास में कूयूम नदी में फेंक दिया गया था । इन स्रोतों की लागत 15 लाख रुपए थी । फर्म ने इस चोरी की रिपोर्ट क्षेत्रीय पुलिस में दर्ज कराई तथा पुलिस ने धारा 381 आई०पी०सी० के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया । सी०आई०डी०, तमिलनाडु पुलिस द्वारा टाडा एक्ट 1987 के अंतर्गत छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा वे न्यायिक हिरासत में हैं । बाद में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एटमिक एनर्जी रेगूलेट्री बोर्ड, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर, आई०आई०टी० मद्रास, लार्सन एंड टोब्रो और तमिलनाडु सरकार प्राधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से रेडियोएक्टिव स्रोतों को कूयूम नदी से सफलतापूर्वक बरामद किया गया ।

दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक

55. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नवम्बर, 1993 के प्रथम सप्ताह में ढाका में आयोजित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले देशों का ब्यौरा क्या है, इस बैठक में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और इसमें क्या-क्या निर्णय लिए गये ;

(ग) क्या सामान्य रोगों से निपटने के लिए विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोई कार्य योजना शुरु करने के संबंध में भारत द्वारा प्रस्तुत संकल्प को स्वीकार कर लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त संकल्प का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां ।

(ख) भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मंगोलिया और श्रीलंका ने अपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रियों के स्तर पर, नेपाल और डी०पी०आर० कोरिया ने क्रमशः अपने स्वास्थ्य राज्य मंत्री और उपमंत्री, जन स्वास्थ्य के स्तर पर, मालद्वीव, म्यांमार और थाइलैंड ने अपने उप स्वास्थ्य मंत्रियों के स्तर पर भाग लिया । भूटान के स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में इस बैठक में एक प्रेक्षक उपस्थित था ।

विचार-विमर्श किए गए विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम बनाना, एड्स, रोग क्षमीकरण के विस्तारित कार्यक्रम के लक्षित रोग, मलेरिया, क्षयरोग और कुष्ठ शामिल थे।

मंत्री अनुवर्ती कार्यवाही करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए । ढाका में एक आपाती तैयारी और उपचार केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते समय बांग्लादेश सरकार को सदस्य देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन को आवश्यक ब्यौरे प्रदान करने का

अनुरोध किया गया।

(ग) कोई संकल्प प्रायोजित नहीं किए ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आवासों का निर्माण

56. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिले के भूकम्प प्रभावित उन गांवों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें कोल इंडिया लिमिटेड ने आवासीय एककों के निर्माण हेतु अपनाया है ;

(ख) चालू वर्ष तथा आगामी वित्त वर्ष में बनाए जाने वाले आवासीय एककों की संख्या कितनी है ;

(ग) इस कार्य पर अनुमानित रुप से कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों के दो गांवों को अपनाए जाने की पेशकश की है । महाराष्ट्र के लातूर जिले में ''येलवत'' नामक गांव को महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा पहले ही अपना लिया गया है ।

(ख) से (घ). 250 लाख रु० की अनुमानित लागत से चालू तथा आगामी वित्तीय वर्ष में 250 से 750 वर्ग फुट तक की सीमा के आच्छादित क्षेत्रों सहित 150 से 155 आवासीय एककों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है । इन आवासों तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाओं के मई, 1994 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

[हिन्दी]

बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

57. श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री छेदी पासवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों को अत्यंत साधारण रोगों के लिए भी दवाओं की अनुपलब्धता के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन स्वास्थ्य केन्द्रों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या निर्देश दिये गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार दवाओं के वितरण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहायता लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ). प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को औषधियों की सप्लाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है । औषधियों के वितरण के काम में सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगाने के बारे में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है ।

[अनुवाद]

कैंसर रोधक विशेषताओं वाला पदार्थ

58. श्री हरिन पाठक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका में वैज्ञानिकों ने "टैक्सोल नामक पैसिफिक यू टी" की छाल से निकलने वाले एक पदार्थ की खोज की है जिसमें कैंसर रोधक विशेषताएं विद्यमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग). भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने सूचना दी है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, संयुक्त राज्य अमरीका वर्ष 1971 से टैक्सोल पर अध्ययन कर रहा है। इस टैक्सोल को टैक्सल ब्रेवीफोलिया, टी बैक्टा और टी० क्यूस्पीडाटा से अलग किया गया है । संस्थान द्वारा फेफड़े, डिम्बग्रंथि, मिलानोमा के नॉन-स्माल सेल कैंसर, अज्ञात कारण से होने वाला ग्रंथिकार्सिनोमा और तीक्ष्ण लसीकाकोशिकाप्रसू ल्यूकेमिया जैसे कैंसर पर नैदानिक परीक्षण शुरु किए गए हैं । वर्ष 1985 में संस्थान द्वारा चरण-।। नैदानिक परीक्षण शुरु किए गए । मिलानोमा और डिम्बग्रंथि के कैंसर के मामले में कुछ उत्साहवर्द्धक परिणाम देखे गए हैं ।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों का आंबटन

59. श्री राम बदन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 1993 से अब तक कितने पेट्रोल पम्प आबंटित किये गये ;

(ख) उनमें से कितने पेट्रोल पम्प पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आबंटित किये गये हैं ; और

(ग) भविष्य में मार्च, 1994 तक कितने पेट्रोल पम्प खोले जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अप्रैल, से 15 नवम्बर, 1993 तक तेल विपणन कम्पनियों ने उत्तर प्रदेश मं 60 खुदरा बिक्री डीलरशिप केन्द्रों के लिए आशय पत्र जारी किए हैं ।

(ख) शून्य

(ग) चालू खुदरा बिक्री विपणन योजना (1988-93) में उत्तर प्रदेश में 364 खुदरा बिक्री स्थान सम्मिलित

किए गए हैं । खुदरा बिक्री डीलरशिप केन्द्रों का चयन, विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के उपरान्त, तेल चयन बोर्डों के द्वारा किया जाता है । चयन कार्य प्रगति पर है । चयन प्रक्रिया शुरु होने के उपरांत खुदरा बिक्री केन्द्रों को चालू करने में लगभग 1 से 2 वर्ष का समय लगता है ।

स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का व्यय किया जाना

60. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय कर रही है ;

(ख) क्या यह व्यय विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन निर्देशों के तहत व्यय में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) भारतीय आर्थिक सांख्यिकी, लोक वित्त, वित्त मंत्रालय 1992 के अनुसार परिवार कल्याण सहित स्वास्थ्य पर प्रतिशतता व्यय कुल घरेलू उत्पाद का 1.5 है । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल्माअता घोषणा में यह सिफारिश की थी कि सभी देशों को स्वास्थ्य के लिए कुल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत प्रदान करना चाहिए ।

(ग) और (घ). गहन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के कुल परिव्यय का यथानुपात अंश स्वास्थ्य के लिए निर्धारित किया जाता है । तथापि, स्वास्थ्य के लिए आबंटन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दोनों क्षेत्रों के राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों और परियोजनाओं की सहायता करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की है ।

[अनुवाद]

कोयले की मांग और आपूर्ति

61. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान (एक) इस्पात और कोक ओवन (दो) विद्युत क्षेत्र (तीन) उर्वरक और (चार) कोयला खानों के लिए मांग की तुलनात्मक स्थिति क्या थी और वास्तव में कितना कोयला इन क्षेत्रों में भेजा गया तथा अलग-अलग कितने प्रतिशत ;

(ख) क्या ट्रक ट्रान्सपोर्ट आपरेटरों द्वारा की गई वर्तमान हड़ताल के कारण कोयले को भेजने में प्रभाव पड़ा था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न कोयला उपभोक्ता क्षेत्रों को कोयले की वास्तविक रुप में की गई आपूर्ति की तुलना में कोयले की क्षेत्रवार मांग को नीचे दर्शाया गया है :-

(आंकड़े अनन्तिम)

(आंकड़े मि० टन में)

उपभोक्ता क्षेत्र	मांग	वास्तविक आपूर्ति	संतोषप्रदता
1.	2.	3.	4.
इस्पात	35.10	32.13 +	91.5
विद्युत	147.10	146.77	99.8
	(2.90)	(2.47)	(85.2)
रेलवे	4.00	3.22	80.5
सीमेन्ट	14.10	10.73	76.1
उर्वरक	4.00	4.53	113.3
साफ्ट कोक	4.40	0.63	14.3
निर्यात	0.50	0.09	18.0
बी०आर०के०/अन्य	45.00	39.31	87.4
	(2.40)	---	
कोलियरी उपभोग	3.90	3.99	102.3
जोड़	258.10	241.00	93.5
	(5.30)	(2.47)	(46.6)

+ इसमें कोष्टक में दिए गए आयातित कोयले के मिडलिंग के आंकड़े भी शामिल हैं ।

(ख) और (ग). चालू वर्ष के दौरान दो अवसरों पर माल ढोने वालों (ट्रांसपोर्टर्स) की दो हड़तालें हुईं - पहली हड़ताल अगस्त,1993 में और दूसरी हड़ताल सितम्बर, 1993 में हुई । हड़ताल की अवधि के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड की कुछ सहायक कम्पनियों में सड़क द्वारा प्रेषित किए जाने वाले माल पर आंशिक रुप से प्रभाव पड़ा ।

(घ) कोल इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 1992-93 के लिए उत्पादन लक्ष्य हासिल कर लिया है । कोयले के प्रेषण के मामले में सीमान्तिक रुप में लक्ष्य से लगभग दो मिलियन टन प्रेषण कम हुआ है । कोल इण्डिया लिमिटेड अप्रैल से अक्तूबर, 1993 की अवधि के दौरान लक्ष्य से अधिक उत्पादन कर रही है और इसे वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारित किए गए उत्पादन लक्ष्य को हासिल किए जाने का पूरा विश्वास है । कोयले का वास्तविक उठान अप्रैल-अक्तूबन, 1993 के दौरान 120.21 मि० टन हुआ जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 114.28 मि० टन उठान किया गया । वर्ष 1993-94 के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

महानगरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियां

62. श्री मोहन रावले :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मुम्बई तथा देश के अन्य प्रमुख शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितनी डिस्पेंसरियां अपने भवनों में कार्यरत हैं तथा कितनी डिस्पेंसरियां आवासीय भवनों/फ्लैटों में कार्यरत हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों को अपने भवन प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों के लिए भवन निर्माण हेतु कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सभी डिस्पेंसरियां कब तक अपने भवनों में काम करना आरम्भ कर देंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कार्यरत एलोपैथी औषधालयों की संख्या इस प्रकार है :-

	कुल औषधालय
दिल्ली	85
बम्बई	28
अन्य बड़े शहर	118

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भवनों संबंधी स्थिति नीचे दिए अनुसार है :-

	अपने भवन	आवासीय भवन तथा फ्लैट्स
दिल्ली	30	55
बम्बई	25	3
अन्य शहर (अर्थात् मद्रास, हैदराबाद, बैंगलूर तथा कलकत्ता)	21	34

(ग) सरकार की नीति अपने निजी भवनों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय स्थापित करना है बशर्ते भूमि तथा अन्य संसाधन उपलब्ध हों ।

(घ) से (च). बजट प्रावधान पर निर्भर करते हुए वार्षिक आधार पर चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाता है । चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में जनकपुरी तथा पुष्प विहार नामक स्थानों पर दो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के लिए भवन निर्माण करने का कार्यक्रम है । चूंकि नए शहरों को कवर करने के लिए तथा पहले से ही कवर किए गए शहरों में भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है, अतः ऐसी समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। जब सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय अपने निजी भवनों में कार्य करना आरम्भ कर देंगे ।

[हिन्दी]

सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने पर प्रतिबंध

63. श्री आनन्द अहिरवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के डाक्टरों को प्राइवेट चिकित्साभ्यास की अनुमति नहीं दी जाती है । राज्य सरकारों को भी सरकार में सेवारत चिकित्सा कर्मियों के प्राइवेट चिकित्साभ्यास को समाप्त करने हेतु कदम उठाने की सलाह दी गई है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

64. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों जनजातियों के कितने व्यक्तियों पर अत्याचार किए गये ; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख). यह सूचना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम

65. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ग) इस निगम की स्थापना कब तक की जायेगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क). जी, हां ।

(ख) और (ग). यह मामला विचाराधीन है ।

रसोई गैस की कमी

66. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में रसोई गैस की भारी कमी के संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां, तो गैस की इतनी कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) केरल के लिए रसोई गैस की आपूर्ति में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) केरल में आमतौर पर एल०पी०जी० रिफिलों की कम आपूर्ति नहीं है । तथापि 1 सितम्बर, 1993 में आल इंडिया ट्रांसपोर्टस की हड़ताल के कारण देश के कई भागों, जिसमें केरल भी शामिल है, में रीफिलों की आपूर्ति में बैकलाग उत्पन्न हो गया था । जब भी कोई कमी एल०पी०जी० विपणन कम्पनियों की दृष्टि में आती है तब बाटलिंग संयंत्रों को अतिरिक्त समय तथा अवकाश के दिनों में परिचालित करके एवं समीपस्थ क्षेत्रों के बाटलिंग संयंत्रों से आपूर्ति प्राप्त करके बैकलाग को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जाती है ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में निजी क्षेत्र

67. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागेदारी करने से इस क्षेत्र की समस्याएं हल करने में सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास इस क्षेत्र में विशेषतः पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण में निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखने का कोई तंत्र है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) तेल क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार की उदारीकृत नीति के अनुसरण में तेल की खोज के लिए भारतीय और विदेशी कम्पनियों से निम्नानुसार प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं :-

बोली का दौर	प्रस्तावित ब्लाकों की संख्या	प्राप्त बोलियों की संख्या	अभ्युक्तियां
चौथा	72	24	दो संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।अन्यों के साथ बातचीत चल रही है ।
पांचवां	45	15	बातचीत चल रही है ।
छठा	46		बोलियां प्राप्त होने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 1993 है ।

छोटे आकार के 31 और मध्यम आकार के 12 क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं । 117 बोलियां प्राप्त हुई थीं और बोलदाताओं के साथ बातचीत जारी है ।

अक्तूबर, 1993 में मध्यम आकार के 8 और छोटे आकार के 33 क्षेत्रों के विकास के लिए दोबारा प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे । अंतिम तिथि 31 मार्च, 1994 है ।

तेल शोधन के क्षेत्र में 31.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की तेल शोधक क्षमता वाले कारखानों की जिसे 36.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । स्थापना के लिए निजी क्षेत्र में 5 पक्षकारों को आशय पत्र जारी किए गए हैं । निजी क्षेत्र में दो ल्यूब संयंत्रों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ.). आशा की जाती है कि बाजार बल और प्रतियोगिता नियंत्रण मुक्त उत्पादों की कीमतों के विनियमित कर लेंगे ।

कोयला खानों में कार्यरत श्रमिक

68. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में कार्यपरक आधार तथा समय के आधार पर कार्यरत श्रमिकों का गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अनुपात कितना-कितना रहा है; और

(ख) लाभप्रद रोजगार हेतु अधिकतम अनुपात के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों का कामगार संबंधी अनुपात नीचे दिया गया है :-

निम्नलिखित अवधि की स्थिति	आवधिक दर की तुलना में रोजनदारी दर नियोजित कामगार संबंधी अनुपात
1-4-91	1 : 1.77
1-4-92	1 : 2.09
1-4-93	1 : 2.20

(ख) कंपनी तथा क्षेत्रीय स्तर पर नियोजित श्रमशक्ति की समीक्षा श्रमशक्ति की अधिकतम उपयोगिता किए जाने के लिए आवधिक रुप में की जाती है ।

शहरी स्वास्थ्य परियोजनाएं

69. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा 1987-88 में राजधानी के लिए प्रस्तुत की गयी करोड़ों रुपयों की शहरी स्वास्थ्य योजना का सरकार ने पूर्णतः उपयोग नहीं किया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

तथापि, दिल्ली की शहरी गन्दी बस्तियों में रह रही 12.5 लाख की आबादी के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण स्तर में सुधार लाने के लिए 1992 में 35 करोड़ रुपये की एक परियोजना के लिए विश्व बैंक से बातचीत की गई तथा इसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

भूमि जल के पुनरुपयोग संबंधी योजना

70. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जल के पुनरुपयोग संबंधी कोई केन्द्रीय योजना कुछ राज्यों के चुनिन्दा क्षेत्रों में आरंभ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) यह योजना कौन-कौन से राज्यों में आरंभ की गई है ; और

(घ) उक्त योजना शेष राज्यों में कब तक आरंभ की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी हां ।

(ख) इस स्कीम के प्रमुख उद्देश्य यह हैं, भिन्न-भिनन जल भू-वैज्ञानिकों तथा मृदा स्थितियों के तहत पुनर्भरण तकनीकों की व्यवहार्यता का पता लगाना, भूजल संसाधन बढ़ाने के लिए विकसित प्रणालियों को प्रचालित करना, भूजल प्रणाली पर पुनर्भरण उपायों के प्रभावों का प्रबोधन करना और प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा पुनर्भरण स्कीमों के प्रतिपादन के लिए मार्ग निर्देश तैयार करना ।

(ग) इस स्कीम में कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में तथा महाराष्ट्र राज्य के अमरावती एवं जलगांव जिलों में अन्वेषणात्मक अध्ययन करने तथा इसके साथ-साथ दिल्ली और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में प्रायोगिक प्रचालनात्मक परियोजनाओं की परिकल्पना की गयी है ।

(घ) उपर्युक्त स्कीम के अन्तर्गत फरवरी, 1997 को समाप्त स्कीम अवधि के दौरान शेष राज्यों में 30 स्थलों पर उप सतही डाइकों का निर्माण करने की परिकल्पना की गयी है ।

अनुसूचित जाति की लड़कियों का शैक्षिक विकास

71. श्री के० प्रधानी : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के शैक्षिक विकास के लिए योजना शुरु कर दी गई है ;

(ख) क्या उड़ीसा में विशेष रुप से अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए ऐसा कोई शैक्षिक विकास कार्यक्रम शुरु किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) बहुत कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के विशेष शैक्षणिक विकास कार्यक्रम संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की योजना की रुपरेखा को योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रुप दिया जा रहा है । इसके बाद ही यह योजना कार्यान्वित की जाएगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ओमान से गैस पाइप लाइन

72. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी से प्राकृतिक गैस लाने वाला प्रस्तावित गैस पाइप लाइन तन्त्र बहुत अधिक किफायती होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या ओमान से गहरे सागर में बिछाई गई पाइप लाइन के माध्यम से गैस लाना व्यवहारिक रहेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) भारत में प्राकृतिक गैस के आयात के लिए जिसमें ओमान से किया जाने वाला आयात शामिल है, प्रस्तावों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अभी अध्ययन किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम

73. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में ऐसे रोगियों की संख्या कितनी थी और

1992-93 में इस रोग में कितनी वृद्धि दर्ज की गई ;

(ग) मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च की गई ; और

(घ) इस रोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) और (ख) कोई विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने से मधुमेह की घटनाओं में भी वृद्धि होने की आशा है ।

(ग) और (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं की गई है। तथापि, स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलापों के भाग के रुप में केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरों तथा इस मंत्रालय के दूसरे संस्थान मधुमेह सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं ।

विस्थापित जनजातियों का पुनर्वास

74. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास के बारे में राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रुप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें अत्यधिक विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय नीति का निरुपण सरकार के विचाराधीन है ।

[अनुवाद]

नागा-कूकी झड़पें

75. श्री अन्ना जोशी :

डा० कृपासिंधु भोई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन माह के दौरान मणिपुर में नागा-कूकी झड़पों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और इसके क्या कारण है ;

(ग) इन झड़पों में कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं ;

(घ) इनमें कूकी और नागा व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है : और

(ड.) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु मणिपुर सरकार को क्या निर्देश दिये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) सितम्बर-नवम्बर 1993 के दौरान हुए नागा-कूकी झगड़ों के माहवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	घटनाएं	हत्याऐं	जख्मी हुए
सितम्बर, 1993	I. 28	134 कुकी	8
	II. 21	12 नागा	2
अक्तूबर, 1993	I. 21	14 कुकी	6
	II. 20	9 नागा	7
नवम्बर, 1993	I. 14	9 कुकी	3
	II. 15	3 नागा	5

उपर्युक्त ब्यौरों से यह पता चलता है कि सितम्बर महीने में वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, माह अक्तूबर और नवम्बर, 1993 में घटनाओं और हताहतों की संख्या में कमी आई है ।

(ख) वर्तमान झगड़ा, नागाओं और कुकियों के बीच का झगड़ा, जिसमें नागाओं का बोलबाल रहा, होने के अलावा, इस में प्रतिबंधित गैरकानूनी संगठन अर्थात नेशनल सोसलिस्ट काऊंसिल आफ नागालैंड (एन०एस०सी०एन०-I) का भी हाथ है जो विद्रोही गतिविधियों को जारी रखने और क्षेत्र के लोगों में असन्तोष पैदा करने के लिए आतंक फैलाये रखना चाहते हैं ।

एन०एस०सी०एन०(I) का एक प्रमुख उद्देश्य लाभप्रद मोरेह क्षेत्र पर नियंत्रण करना, मोरेह क्षेत्र को जाने के लिए सुरक्षित रास्ता विकंसित करना, रास्ते के साथ लगने वाले कुकी आबादी वाले क्षेत्रों को समाप्त करना, और काफी समय से मणिपुर के पर्वतीय जिलों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कुकियों को वहां से खदेड़ने का रहा है ।

दूसरी तरफ, कुकियों के समर्थन में कुछ एक कुकी उग्रवादी संगठन इस समय चल रहे झगड़े में सम्मिलित हैं ।

(ग) इन झगड़ों के दौरान 181 व्यक्ति मारे गए और 31 जख्मी हुए ।

(घ) इन झगड़ों में 181 व्यक्ति मारे गए (नागा-24, और कुकी-157) और 31 व्यक्ति (14 नागा और 17 कुकी) जख्मी हुए ।

(ड.) मणिपुर राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि विद्रोह-विरोधी अभियानों को समन्वित करने की

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपलब्ध कराये गए अर्ध सैनिक बलों को आर्मी के आपरेशन कन्ट्रोल में रखा जाय । राज्य सरकार को, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न एजेन्सियों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए तंत्र स्थापित करने, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करने, जिला प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और राज्य पुलिस बल को सक्रिय बनाने की भी सलाह दी गयी है ।

[हिन्दी]

दिल्ली में अपराध

76. श्री सत्यदेव सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत चार माह के दौरान अपहरण, हत्या के प्रयास, डकैती, चोरी, दंगे और लूटपाट के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) वर्ष 1992 की इसी अवधि में इनके तुलनात्मक आंकड़े क्या थे ;

(ग) कितने मामले सुलझा दिये गये हैं, तथा इनमें से कितने मामले लंबित हैं ;

(घ) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ड.) दिल्ली में अपराधों को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ड.) दिल्ली में अपराधों की रोकथाम करने के लिए, किए गए उपायों में, गश्त में बढ़ोतरी करना, सामरिक महत्व के स्थलों पर टुकड़ियों तैनात करना, आसूचना तंत्र को मजबूत करना, अपराधियों के छिपने के ठिकानों पर बार-बार छापे मारना, चौकसी में बढ़ोतरी करना, पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, पुलिस अधिकारियों को आधुनिक हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण देना, अन्वेषण के वैज्ञानिक तरीकों को आरम्भ करना और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना शामिल है ।

ववरण

(क) से (घ) 1.7.1993 से 15.11.1993 तक की विगत चार महीनों की अवधि के दौरान तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दिल्ली में अपहरण, हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी, डकैती, दंगे और लूटपाट के मामलों की संख्या, उनका निपटान तथा गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	मामलों की संख्या					समाप्त				व्यक्तियों की संख्या					उन व्यक्तियों की संख्या जिसके खिलाफ मामले		
1 जुलाई से 15 नवम्बर	सूचित किए गए	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	सुलझा लिए गए	न्यायालय में दायर किए गए	दोष सिद्ध में	दोष मुक्त में दोष मुक्ति में	विचारण के लिए लम्बित	छानबीन के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा	गिरफ्तार किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध	दोष मुक्त	विचारण के लिए लम्बित हैं	छानबीन के लिए लम्बित हैं	छोड़ दिए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
अपहरण																	
1993	236	38	198	74	17	-	-	17	178	3	99	29	-	-	29	67	3
1992	257	118	139	92	81	2	-	79	20	38	168	133	2	-	131	16	19
हत्या																	
1993	205	1	204	118	55	-	-	55	149	-	272	113	-	-	113	159	-
1992	201	5	196	164	-	-	1	158	16	21	283	372	-	1	371	10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								हत्या का प्रयास									
1993	176	1	175	146	38	–	–	38	136	1	227	74	–	–	74	203	–
1992	209	1	208	196	182	–	–	182	15	11	430	394	–	–	394	36	–
								लूटपाट									
1993	129	–	129	86	36	–	–	36	93	–	189	84	–	–	84	105	–
1992	119	3	116	89	84	1	–	83	7	25	209	197	1	–	196	7	5
								चोरी									
1993	4907	32	4875	1164	567	5	1	561	3246	1062	1704	767	5	1	761	910	27
1992	5307	92	5215	1216	1300	169	29	1182	106	3729	2377	1985	187	29	1769	138	254
								डकैती									
1993	7	–	7	4	–	–	–	–	7	–	17	–	–	–	–	17	–
1992	13	–	13	12	11	–	–	11	1	1	60	58	–	– 58	2	–	
								दंगा									
1993	86	–	86	65	15	3	–	13	70	1	526	162	47	–	115	364	–
1992	113	–	113	92	85	–	–	85	13	15	624	587	–	–	587	37	–
								चेन छीनना									
1993	115	1	114	67	17	–	–	17	93	4	102	24	–	–	24	75	3
1992	155	2	153	102	94	3	2	89	6	53	165	147	5	3	139	5	13

[अनुवाद]

एड्स परीक्षण

77. **श्री वी० कृष्णा राव :**

श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री प्रबीन डेका :

श्री के०जी० शिवप्पा :

श्री बालिन कुली :

श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ''एलिसा'' (पश्चिमी प्रौद्योगिकी) द्वारा एड्स का परीक्षण करने की वर्तमान प्रणाली समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में ''सेरोडिया'' (जापानी प्रौद्योगिकी) जो इससे सस्ती प्रणाली है । अपनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सेरोडिया ''साधारण'' एच०आई०वी० जांच किट का ब्राण्ड नाम है जिसे परिणामों की व्याख्या के लिए एलिसा रीडर की आवश्यकता नहीं । यह किट केवल एच०आई०वी०-। विषाणु का पता लगाती है । अब इस किट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार ने केवल उन एच०आई०वी० किटों का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है जो एच०आई०वी०-। तथा एच०आई०वी०-2 दोनों का पता लगाती हैं ।

[हिन्दी]

राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

78. **श्री महेश कनोडिया :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1993-94 के दौरान राज्यवार मिट्टी के तेल की कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ख) प्रत्येक राज्य को आबंटित तथा अब तक वास्तव में सप्लाई किए गए मिट्टी के तेल की मात्रा कितनी है ; और

(ग) बिहार में मिट्टी के तेल की सप्लाई में कमी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) एस०के०ओ० एक कमी वाला उत्पाद है । आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के 40 प्रतिशत से अधिक का आयात किया जाता है । सीमित विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, आयात क्षमता की सीमाओं, एवं इसमें शामिल भारी आर्थिक सहायता के एस०के०ओ० की उपलब्धता में अड़चन के कारण राज्यों को पूर्ण मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है ।

आबंटन के प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पूर्ण मात्रा की आपूर्ति की जा रही है । बिहार को आबंटित एस०के०ओ० की पूर्ण मात्रा जारी की जा रही है । अप्रैल, 1993 से अक्तूबर, 1993 के लिए मिट्टी के तेल का राज्य-वार आबंटन अनुबंध के रुप में संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

एस०के०ओ० आबंटन 1993-94

(आंकड़े मि० टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (अप्रैल, 93-अक्तूबर, 1993)
1	2
हरियाणा	8807
हिमाचल प्रदेश	21881
जम्मू और काश्मीर	34763
पंजाब	185687
राजस्थान	151911
उत्तर प्रदेश	543735
चण्डीगढ़	12208
दिल्ली	129896
आसाम	144616
बिहार	287847
मणिपुर	12112
मेघालय	8563
नागालैंड	5899
उड़ीसा	95972
सिक्किम	4341
त्रिपुरा	12323
पश्चिमी बंगाल	434124

1	2
अरुणाचल प्रदेश	5451
मिजोरम	3549
अंडमान निकोबार	1517
गुजरात	434752
महाराष्ट्र	838193
गोवा	15827
दमन और द्वीव	1685
दादर और नगर हवेली	1813
मध्य प्रदेश	220833
आंध्र प्रदेश	344020
कर्नाटक	260131
केरल	155342
तमिलनाडु	384158
पांडिचेरी	8545
लक्ष्यद्वीप	527
कुल योग	**4850300**

जन्म और मृत्यु दर

79. श्रीमती भावना चिखालिया :

प्रो० प्रेम धूमल :

प्रो० रासासिंह रावत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार औसर जन्म तथा मृत्यु दर कितनी है ;

(ख) क्या अन्य देशों की तुलना में मृत्यु दर बहुत अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है ।

(ख) से (घ). चुनिन्दा देशों की मृत्यु दरें दर्शाने वाली जानकारी विवरण-।। में दी गई है ।

मृत्यु दर में गिरावट, रोगों की रोकथाम, शुद्ध पेय जल की सुलभता, उन्नत पौषणिक अवस्था, उचित स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कुछ कारकों से संबंधित है । इन सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

विवरण-।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन्म दर (प्रति हजार जनसंख्या)	मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या)
1	2	3
भारत +	29.1	10.0
आन्ध्र प्रदेश	24.1	9.1
अरुणाचल प्रदेश	26.3	9.3
असम	30.6	10.3
बिहार	32.2	10.9
गोवा	14.5	7.3
गुजरात	27.9	9.1
हरियाणा	31.9	8.6
हिमाचल प्रदेश	27.9	8.8
कर्नाटक	26.2	8.5
केरल	17.5	6.3
मध्य प्रदेश	34.4	12.7
महाराष्ट्र	25.1	7.9
मणिपुर	19.4	5.5
मेघालय	29.8	8.5
नागालैण्ड	19.2	3.6
उड़ीसा	27.8	11.7
पंजाब	27.1	8.2
राजस्थान	34.7	10.4
सिक्किम	20.9	5.8
तमिलनाडु	20.7	8.4

1	2	3
त्रिपुरा	23.1	7.6
उत्तर प्रदेश	36.2	12.8
पश्चिम बंगाल	24.6	8.3
संघ राज्य क्षेत्र		
अण्डमान व निकोबार		
द्वीप समूह	20.0	5.2
चण्डीगढ़	15.4	3.3
दादर व नगर हवेली	40.0	11.5
दमन व द्वीव	24.8	7.5
दिल्ली	26.0	6.5
लक्षद्वीप	24.4	4.2
पांडिचेरी	19.5	6.7

+ जम्मू व कश्मीर सम्मिलित नहीं हैं ।

विवरण-II

चुनिन्दा देशों की मृत्यु दरें

देश	वर्ष	मृत्यु दरें (प्रति हजार जनसंख्या)
1	2	3
अर्जेंटीना	1988	8.4
बांग्लादेश	1985-90	15.5
कनाडा	1988	7.3
चीन	1985-90	6.7
क्यूबा	1989	6.4
मिस्र	1987	9.5
फ्रांस	1989	9.4
भारत	1992	10.0
इंडोनेशिया	1985-90	9.4
इटली	1989	9.1

1	2	3
जापान	1990	6.7
म्यानमार	1985-90	9.7
नेपाल	1985-90	14.8
न्यूज़ीलैंड	1989	8.2
पाकिस्तान	1988	8.1
श्रीलंका	1989	6.2
सूडान	1985-90	15.8
थाइलैंड	1985-90	7.7
यू०के०	1989	11.5
उरुग्वे	1989	9.6
सं०रा० अमरीका	1990	8.6
वियतनाम	1985-90	9.5

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र जनांकिकीय आब्दिक पुस्तिका (भारत को छोड़कर)

गैस पाइपलाइनें

80. श्री दत्तात्रेय बंडारु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान नई पाइप लाइन बिछाने के लिए आंध्र प्रदेश और गुजरात सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण राज्यों से एक गैस ग्रिड बिछाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है । गुजरात से पाइप लाइन के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ). दक्षिणी गैस ग्रिड की अवधारणा को सैद्धांतिक रुप में अनुमोदित कर दिया गया है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियां

81. श्री एन०जे० राठवा :

डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने/सूची से निकालने के बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में कुछ जातियों/समुदायों को सम्मिलित करने तथा निकालने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ऐसे सभी प्रस्ताव दिनांक 13.10.93 के संकल्प के तहत सरकार द्वारा गठित एक सलाहकार समिति को उनकी सिफारिश हेतु भेज दिए गए हैं / समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 में निहित उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

|अनुवाद|

विस्फोटकों की जब्ती

82. **श्री बोल्ला बल्ली रामय्या :**

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री एस०बी० सिदनाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में हाल ही में आर०डी०एक्स० विस्फोटक काफी अधिक मात्रा में जब्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ;

(घ) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि यह विस्फोटक किस देश से लाये गये थे ओर इसके पीछे कौन लोग थे ;

(ड.) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ; और

(च) स्थिति का उपचार करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (च). उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान में लाजपत नगर, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, के एक घर से 28.9.1993 को 56 किलोग्राम आर०डी०एक्स० तथा तीन हथगोले बरामद किए गए । पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के अधीन अपराध संख्या 673/93 पर एक मामला दर्ज किया है तथा मामले की जांच की जा रही है । इस संबंध में अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है । विस्फोटकों के मूल स्त्रोत के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है । तथापि, अभी तक की गई जांच

पड़ताल से पता चला है कि विस्फोटक सामग्री के०एल०एफ० नामक एक आतंकवादी गिरोह की थी, जिसका नेता एक कंवल मिंह रेहाना नामक व्यक्ति है ।

इस बरामदगी के बाद सभी एजेंसियों को पूरी सर्तकता और चौकसी बढ़ाने तथा विशेष रुप से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में अधिकतम चौकसी बरतने के लिए सर्तक कर दिया गया है । प्राधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों तथा परिसरों की अच्छी तरह से छानबीन करने का निर्देश भी दिया गया है ।

[हिन्दी]

कोयले का स्टाक

83. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री मुमताज अंसारी :

श्री राजेश कुमार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की विभिन्न कोयला खानों के मुहानों पर कोयले का भारी स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कोयला खानों से कोयले के स्टाक की निकासी हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) दिनांक 31.10.93 की स्थिति के अनुसार कोल इण्डिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० की कोयला खानों के मुहानों पर 35.302 मि० टन (अनन्तिम) स्टॉक विद्यमान था । स्टॉक का एकत्रित होने के निम्न कारण हैं :-

(i) अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची मांग दर्शाने की प्रवृत्ति जिसके आधार पर उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं ।

(ii) कोयला कम्पनियों द्वारा कोयला स्टॉक का एक निम्न स्तर बनाए रखा जाता है ताकि विपरीत मौसम की परिस्थितियों, विद्युत की कटौती आदि होने की स्थिति में कोयले के उत्पादन में रुकावट के समय उपभोक्ताओं की अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके ।

(iii) कुछ कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में उत्पादन तथा परिवहन सुविधाओं के बीच असमानता ।

(ग) एकत्रित स्टॉक निकासी किए जाने के लिए उठाए जा रहे कदम नीचे दिए गए हैं :

(1) यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्तमान स्टॉक में से उपभोक्ताओं की मांग के कुछ भाग को ह्वा डाउन द्वारा पूरा किया जाए । इससे कोयले के स्टॉक को कम करने में अवश्य ही सहायता मिलेगी ।

(2) रेल मंत्रालय के साथ परस्पर संपर्क रखकर रेल द्वारा कोयले के प्रेषण पर, गहन निगरानी रखना ।

(3) अन्य ग्रहीत विधियों जैसे मैरी-गो-राउंड, रोप वेज, बैल्ट कन्वेयर आदि द्वारा प्रेषण में वृद्धि किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(4) उपभोक्ताओं को कोयले की उपलब्धता में सुधार करने तथा स्टॉक की निकासी किए जाने के लिए कोयले की उदारीकृत बिक्री योजना आरंभ की जा रही है । कोल इंडिया लि० ने कोयले के उठान में वृद्धि करने के लिए थोक विक्रेताओं तथा लघु व्यापारियों की नियुक्ति की है ।

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन

84. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तम्बाकू क्षेत्र से तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के संबंध में बनाए गए किसी सलाहकार संहिता अथवा स्वैच्छिक संहिता का पालन करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पुनपुन-मोहरार-दर्धा सिंचाई परियोजना

85. श्री रामश्रय प्रसाद सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनपुन-मोहरार-दर्धा सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परियोजना को तत्काल स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० चुंगन) : (क) से (ग). पुनपुन-मोहरार-दर्धा स्कीम पर परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में जांच के बाद जुलाई, 1992 में बिहार राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार संशोधन के वास्ते वापिस लौटा दी गई है । राज्य सरकार को पर्यावरण और वन दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति भी प्राप्त करनी है ।

रसोई गैस और मिट्टी के तेल का मूल्य नियन्त्रण

86. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री जी० देवराय नायक :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री ताराचंद खंडेलवाल :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री मोहन रावले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसोई गैस और मिट्टी के तेल से मूल्य नियंत्रण समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका देश के गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकारी तेल कंपनियों द्वारा वितरित की जा रही रसोई गैस और मिट्टी के तेल से मूल्य नियंत्रण को उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि जो निजी उद्यमी रसोई गैस और मिट्टी के तेल के समान्तर विपणन को हाथ में ले रहे हैं, वे उनके अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से इन उत्पादों को बाजार-निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(ग) जबकि लक्ष्य ग्रुप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी का तेल और रसोई गैस रियायती दर पर पाते रहेंगे, समान्तर विपणन प्रणाली के माध्यम से खुले बाजार में रसोई गैस और मिट्टी के तेल की उपलब्धता सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव को कम करेगी और देश में इन उत्पादों को अपूर्ण और बढ़ती हुई मांग को पूरा करेगी ।

[हिन्दी]

असम में कुष्ठ निवारण केन्द्र

87. श्री प्रवीन डेका : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों में कितने कुष्ठ निवारण केन्द्रों की संख्या कार्यरत है ;

(ख) इन केन्द्रों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मिली ;

(ग) क्या इन केन्द्रों को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहायता मिल रही है ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ड.) क्या इन केन्द्रों पर रोगियों को निःशुल्क औषधियां दी जाती हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) असम राज्य के शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुल केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है । कर्बी, अंगलांग जिला जो कुष्ठ के लिए स्थानिकमारी वाला क्षेत्र है, को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष बहुऔषध चिकित्सा के अतंर्गत कवर किया गया है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने असम राज्य को निम्नलिखित सहायता रिलीज की है :-

वर्ष	(लाख रुपये में)		
	नकद	सामग्री	कुल
1990-91	20.00	3.77	23.77
1991-92	18.00	1.32	19.32
1992-93	18.00	3.20	21.20

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ड.) जी हां ।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

मार्च, 1993 को असम राज्य में कार्य कर रहे कुष्ठ केन्द्र

क्रं०सं०	यूनिट	संख्या
1	2	3
1.	कुष्ठ नियंत्रण यूनिट/संशोधित नियंत्रण यूनिट	9
2.	शहरी कुष्ठ केन्द्र	16
3.	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र	260
4.	अस्थायी अस्पताली वार्ड	5
5.	जिला कुष्ठ यूनिट	6
6.	कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र	1
7.	स्वयंसेवी संगठन	6

गैस का आयात

88. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान गैस की कितनी मात्रा का आयात किया गया ;

(ख) इसके आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ; और

(ग) गैस के आयात में निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). एल०पी०जी० के संबंध में सूचना निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (रु०/करोड़)
1990-91	329	160.26
1991-92	215	148.38
1992-93 +	328	218.33

+ अस्थायी

(ग) यह वृद्धि एल०पी०जी० के लिए बढ़ती हुई मांग के कारण है ।

[अनुवाद]

गैस की कम सप्लाई से कृभको के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना

89. श्री जी० देवराय नायक :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री ताराचंद खण्डेलवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अक्तूबर, 1993 के ''इकोनॉमिक टाइम्स'' में ''शार्ट सप्लाई ऑफ गैस हिट्स कृभको आउटपुट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राकृतिक गैस की सप्लाई में कमी के कारण कृभको की क्षमता के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो कृभको को प्राकृतिक गैस की सप्लाई में कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) कृभको को प्राकृतिक गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां

(ख) मै० कृभको को गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं हुई है । 3 एम०एम०एस०सी०एम०डी० की वचनबद्धता के प्रति वर्ष 1993-94 के दौरान अक्तूबर, 1993 तक 3.37 एम०एम०एस०सी०एम०डी० की औसत आपूर्ति की गई ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

शिशु आहार में हानिकारक संदूषक

90. श्री श्रीकान्त जेना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया अध्ययन यह दर्शाता है कि देश में निर्मित शिशु आहार तथा अन्य खाद्य पदार्थों में विषाक्त तथा हानिकारक संदूषकों की प्रतिशतता बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू करने और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का विपणन सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान तन्त्र क्या है तथा यदि अधिनियम को लागू करने में किन्हीं खामियों का पता चला है तो वे क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण को कठोरता से लागू करने और विषाक्त तथा हानिकारक संदूषकों की अत्यधिक मात्रा से युक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन तथा विपणन को रोकने के लिये क्या योजना बनायी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (कं) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में शिशु आहार फार्मूला के विभिन्न ब्रांडों में कुछ संदूषकों की विद्यमानता का पता चला है । तथापि, नमूनों में इन संदूषकों की औसत मात्रा निर्धारित सीमा में पाई गई ।

(ग) और (घ) अधिनियम/नियमों के उपबन्धों को लागू करने के लिए खाद्य के नमूने लिए जाते हैं और सरकारी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में उनकी जांच की जाती है। यदि नमूने मिलावटी/गलत ब्रांड के पाए जाते हैं तो मुकदमा चलाया जाता है। प्रवर्तन उपायों में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य परीक्षण प्रयोशालाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सख्त निगरानी बरतें ताकि उपभोक्तओं को पौष्टिक तथा शुद्ध भोजन उपलब्ध हो सके।

त्रिपुरा में "इनर लाइन रेग्यूलेशन्स"

91. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने जनजातीय स्वायत्तशासी जिला परिषद् क्षेत्रों में इनर लाइन रेग्यूलेशन्स लागू करने हेतु एक प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

हथियार ओर विस्फोटक सामग्री का जब्त किया जाना

92. श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री राम कापसे :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ महीनों के दौरान देश में राज्यवार कितने और किस किस्म के हथियार और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई ;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार ने देश में बाहर से आए आर०डी०एक्स० की मात्रा का कोई मूल्यांकन किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ड.) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि ऐसी विस्फोटक सामग्री भारत में किस प्रकार आ रही है, कोई जांच करायी है ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(छ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

चकमा शरणार्थी

93. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1993 में चकमा शरणार्थियों के स्वदेश वापस लौटने के संबंध में हुई वार्ताओं का क्या निष्कर्ष निकला ;

(ख) क्या शरणार्थियों के स्वदेश वापस लौटने तथा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों की कोई रुपरेखा तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) भारत सरकार और बंगलादेश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता अक्तूबर, 1993 में हुई थी । वार्ता में चकमा शरणार्थियों की स्वदेश वापसी सहित आपसी हित के अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई थी । दोनों पक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमत थे कि स्वदेश वापसी की प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास किए जाने चाहिए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकटतापूर्वक कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए ।

[हिन्दी]

सिर पर मैला ढोने की प्रथा

94. श्री दत्ता मेघे : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है ; और

(घ) इस बुराई को कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए याजेना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि देश में शुष्क शौचालयों की कुल संख्या 75 लाख के आसपास तथा सिर पर मैला ढोने के कार्य में लगे लोगों की संख्या 4 लाख हो सकती है । देश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा मुख्य रुप से मध्य भारत में सीमित है । यह समस्याएं मुख्य रुप से 6 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पंजाब में हैं । आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सरकार ने शुष्क शौचालयों पर प्रतिबंध लगाया और कम लागत पर इनका रुप बदल कर सिर पर मैला ढोने की इस घृणित प्रथा को समाप्त करने तथा मुक्त कराए गए सिर पर मैला ढोने वालों का पुनर्वास प्रदान करने का निर्णय लिया है । कम लागत वाले शौचालयों की योजना शहरी विकास मंत्रालय का विषय है जबकि अन्य योजना अर्थात् ''सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना'' कल्याण मंत्रालय का विषय है ।

1980-81 से 1990-91 के दौरान 10 लाख शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया गया है । विभिन्न राज्यों में लगभग 70 हजार जिसर पर मैला ढोने वालों को मुक्त कराया गया है और उन्हें वैकल्पिक रोजगारों तथा व्यवसायों में पुनवार्सित किया गया है । केरल, त्रिपुरा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया गया है । 1980-81 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान राज्यों को पुरानी योजना के अन्तर्गत 82.02 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई थी । सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अर्न्तगत राज्यों को 1991-92 के दौरान 50.50 करोड़ रुपये तथा 1992-93 के दौरान 60.73 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी । 1993-94 के बजट में भी 73.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

[अनुवाद]

नहर प्रणाली

95. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विद्यमान नहर प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय प्रयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में कराये गये अध्ययन के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या 1991 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त वैद्यनाथ समिति ने नहर प्रणाली की मरम्मत न किए जाने के प्रश्नों की जांच की थी ;

(घ) यदि हां, तो प्रभावी नहर प्रणाली के रखरखाव हेतु इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ड.) क्या सरकार ने नहर प्रणाली की मरम्मत न किए जाने के कारण कृषि उत्पादकता में कमी आने के बारे में कोई राज्य-वार सांख्यिकीय मूल्यांकन कराये हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद् ने बृहद सिंचाई प्रणालियों जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है, के प्रचालन एवं अनुरक्षण के बारे में अध्ययन शुरु किया है ।

(ग) और (घ) जी हां । प्रभावी नहर प्रणाली के रखरखाव हेतु समिति ने पर्याप्त प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मानदण्ड निर्धारित करने और इसे वास्तव में उपलब्ध कराने के वास्ते कृषकों के दल के माध्यम से प्रबन्ध प्रणाली समंकित करने तथा फेजों में जल दरें बढ़ाने की सिफारिश की है ।

(ड.) से (छ) नहर प्रणाली की मरम्मत के कारण कृषि में उत्पादकता की हानियों के संबंध में कोई विशेष राज्य-वार सांख्यिकी मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, सरकार को समस्या का पता है और उसने नहर प्रणालियों के रखरखाव और आधुनिकीकरण, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल प्रबन्ध कार्यक्रम प्रणाली प्रबन्ध में कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना आदि जैसे कार्यक्रम शुरु किए हैं जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रणाली का स्तरोन्नत करना है ।

सिंचाई के लिए राज सहायता

96. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री एस०बी० सिदनाल :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सिंचाई के लिए राज सहायता जारी रखने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पानी के कम मूल्य और लागत की कम प्राप्ति का जल प्रबंधन अथवा संसाधनों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ड.) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति नियुक्त की है ;

(च) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (घ) सिंचाई तथा उससे संबंधित प्रभारों के माध्यम से वसूल किये गये राजस्व और सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण की लागत में अन्तर है । यह अनुमान लगाया गया है कि सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत ब्याज प्रभारों को बिना ध्यान में रखे सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान संचयी वित्तीय क्षति 3676.83 करोड़ रुपये है । इससे सिंचाई परियोजनाओं के उचित प्रचालन तथा अनुरक्षण के वास्ते उपलब्ध संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ड.) और (च) : जी हां । समिति के सुझावों में ये शामिल हैं ; जलदरों को उपयोगकर्ता प्रभार मानना, जल प्रभारों का उद्देश्य, अन्ततगोत्वा, लागत वसूल करना, जल दरों के संशोधन को सेवा की कोटि में सुधार से जोड़ना, जलदरों का फेजों में संशोधन तथा क्रियान्वयन, कृषक समूह प्रबंध प्रणाली का समेकन, जल उपयोग तथा उत्पादकता में प्रणाली को उच्चतर स्तर की कुशलता तक स्तरोन्नत करना, अवधिक पुनरीक्षा के वास्ते प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा प्रक्रिया के वास्ते मानदण्ड तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर विशेषज्ञ दल गठित करना, जल की लागत, जल दरों में संशोधन करने तथा न्यूनतम वित्तीय प्रतिलाभ मानदण्ड लागू करने के संबंध में नीति की पुनरीक्षा करने हेतु राज्य स्तर पर स्वायत बोर्डों की स्थापना करना ।

(छ) चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है इसलिए जलदरों पर निर्णय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से परामर्श करके ही लिया जा सकता है । समिति की रिपोर्ट देखने के लिए तथा समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर विचारों की मोटे रुप से सहमति हो इसके लिए योजना आयोग ने सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक दल गठित किया है ।

[हिन्दी]

मूर्तियों की बिक्री

97. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत दो महीनों के दौरान विदेशियों को पुरातात्विक महत्व की मूर्तियां बेचने में लगे कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उनके पास से कितनी तथा कितने मूल्य की मूर्तियां जब्त की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दो व्यक्ति, नामतः परमानन्द अग्रवाल और उसका पुत्र रमेश कुमार अग्रवाल, निवासी कान्तीबान्जी, जिला बोलंगीर, उड़ीसा, को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 10.10.1993 को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया तथा अष्टधातु की 12 मूर्तियां, जोकि सम्भवतः प्राचीन कलाकृतियां समझी जाती हैं, उनसे बरामद की गई । इन मूर्तियों को कथित रुप से उड़ीसा के मंदिरों/स्मारकों से चुराया गया था । यह दोनों व्यक्ति इन मूर्तियों को दिल्ली में बेचने के लिए आए थे ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिनांक 10.10.1993 को भा०द० संहिता की धारा 411 और ए०ए०टी० अधिनियम, 1972 की धारा 14(3) के साथ पठित धारा 25(2) के अधीन एक आपराधिक मामला आर०सी० 9/93-एस०आई०यू० (I) दर्ज किया गया ।

(घ) उनसे अष्ट धातु की 12 मूर्तियां बरामद की गईं । प्राचीन कलाकृतियां आमतौर पर अमूल्य होती हैं । तथा उनका सही-सही मूल्य सरलता से नहीं आंका जा सकता ।

[अनुवाद]

रेड क्रॉस सोसाइटी

98. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबन्धन और कार्यकरण के संबंध में क्या भूमिका है ;

(ख) सोसाइटी के प्रबन्धन संबंधी कार्यनिष्पादन में जनता की क्या भूमिका है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सोसाइटी की प्राप्तियों और भुगतानों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान सोसाइटी की कितनी शाखाएं खोली गईं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख)भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी सन् 1920 के भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम XV द्वारा गठित एक स्वायत्त निकाय है । सोसाइटी का प्रबंध, कार्य, नियंत्रण तथा प्रक्रिया इसके प्रबंधक निकाय द्वारा विनियमित किया जाता है । भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम की धारा 4 - ख के अंतर्गत प्रबंधक निकाय में अध्यक्ष द्वारा नामित एक अध्यक्ष तथा छह सदस्य तथा राज्य शाखा समितियों द्वारा निर्वाचित 12 सदस्य शामिल हैं ।

(ग) उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

	1990	1991
आय	2.03	3.22
व्यय	2.43	3.70

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान सोसाइटी की लगभग 10 शाखाएं खोली गई ।

कोयले की खपत

99. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की आन्तरिक खपत के लिए प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है ;

(ख) कोयला खान-वार उत्पादन क्षमता और मात्रा को पूरा करने हेतु वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों की रायल्टी में अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए देश में आन्तरिक उपभोग के लिए योजना आयोग द्वारा मूल्यांकित की गई कच्चे कोयले की कुल मांग नीचे दर्शायी गई है :-

(मिलियन टन में)

91-92	245.00
92-93	258.10
93-94	268.80

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन की तुलना में कोयले की कंपनी-वार क्षमता नीचे दी गई है :-

(आंकड़े मि० टन में)

1991-92 (अनन्तिम)

कम्पनी	क्षमता	उत्पादन	प्रतिशतता
1	2	3	4
ई०को०लि०	35.43	24.04	67.85
भा०कों०को०लि०	36.18	28.06	77.56
से०को०लि०	32.40	32.38	99.94
ना०को०लि०	33.21	30.70	92.44
वे०को०लि०	27.85	25.75	92.45
आ०ई०को०लि०	44.62	46.02	103.14
म०को०लि०	17.39	23.14	133.06
न०ई०कों०	0.09	1.10	122.22
जोड़ को०इ०लि०	**227.98**	**211.19**	**92.64**
सि०को०कं०लि०	**24.35**	**22.51**	**92.44**

(ग) और (घ) सरकार द्वारा कोयले पर रायल्टी खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अंतर्गत लगाई जा रही है । सरकार द्वारा कोयले पर रायल्टी की दरें इस प्रायोजन के लिए स्थापित किए गए अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार किए जाने के बाद निर्धारित की जाती हैं ।

रायल्टी का निर्धारण किए जाने के लिए कोयले की गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है । आंध्र प्रदेश में उत्पादित किए जाने वाले कोयले को एक पृथक श्रेणी में रखा गया है । इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड राज्यों में उत्पादित किए जाने वाले कोयले को भी रायल्टी की दरों का निर्धारण करने के लिए पृथक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है । इसके अलावा कोयले पर रायल्टी की दरों में दिनांक 1.8.1991 से संशोधन करते समय असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में रायल्टी की संशोधित दरों को लागू नहीं किया गया था, चूंकि ये राज्य कोयले पर उप-कर का संग्रहण तथा उसका लगाया जाना जारी रखे हुए थे ।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

100. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्णाली और पंचेश्वर सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) भारत और नेपाल के बीच टनकपुर विवाद की मौजूदा स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) भारत और नेपाल के बीच करनाली परियोजना पैरामीटरों पर करार नहीं हुआ है । विस्तृत सर्वेक्षणों और अन्वेषणों की अनुपालना न किए जाने के कारण पंचेश्वर परियोजना की संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका ।

(ख) प्रधान मंत्री स्तर पर हुए समझौते के आधार पर मार्च, 1992 से इस परियोजना ने कार्य करना शुरु कर दिया है । नेपाल की संसद की स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखाने

101. डा० कृपासिंधु भोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियां भारत में तेल शोधक कारखाना लगाने की इच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन विदेशी कंपनियों ने इस संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त की है ; और

(ग) उनके मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). कुछ विदेशी पार्टियों ने भारत में रिफाइनरियों की स्थापना के लिए रुचि दिखाई है । वर्तमान समय में ओमान आयल कंपनी लि० ने केन्द्रीय भारत और पश्चिमी भारत में 6 एम०एम०टी०पी०ए० क्षमता वाली दो रिफाइनरियों

की स्थापना करने के लिए क्रमशः बी०पी०सी०एल० और एच०पी०सी०एल० के साथ मस्कट में 13.3.1993 को दो अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं ।

पुनश्चः, विदेशी पार्टियों के साथ सहयोग वाली निजी पार्टियों को भी भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किए गए हैं । ऐसी पार्टियों/कम्पनियों के नाम निम्नलिखित हैं:-

1.	बहुस्तरीय एजेंसियों/विदेशी संस्थानों/विदेशी निवेशकों के सहयोग के साथ मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लि०	9 एम०एम०टी०पी०ए०	सलावा, जामनगर, गुजरात ।
2.	अमेरिका के गोटको के साथ मैसर्स अशोक लेलैंड	6 एम०एम०टी०पी०ए०	उड़ीसा
3.	मैसर्स चंदारिया ग्रुप, स्वीटज़रलैण्ड के साथ मैसर्स इस्सर इन्वेस्ट्रमेंटस लि०	9 एम०एम०टी०पी०ए०	वाडी नार, गुजरात
4.	मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम एस० ए० (बी०वी०आई०) स्विटज़रलैंड	5 एम०एम०टी०पी०ए० (10 एम०एम०टी०पी०ए० तक विस्तारणीय)	पश्चिमी तट, गुजरात
5.	मैसर्स फुनिया इंजीनियरिंग कारपोरेशन अमेरिका के सहयोग के साथ मैसर्स टी०आर० डालटा, हैदराबाद (ब्लैक गोल्ड रिफाइनरीज़ लि०)	2.5 एम०एम०टी०पी०ए०	विशाखापत्तनम

[हिन्दी]

नाला सिंचाई योजना

102. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने बिहार को ''नाला सिंचाई योजना'' के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की है ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है ; और

(ग) शेष धनराशि कब तक जारी की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग). योजना आयोग चुनिंदा परियोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित करने के साथ राज्य वार्षिक योजनाओं हेतु क्षेत्रीय आबंटन अनुमोदित करता है । विभिन्न स्कीमों के लिए राज्यों द्वारा उनके बजट में विशिष्ट परिव्ययों की व्यवस्था की जाती है । राज्य सरकार में केन्द्र में ''नाला सिंचाई स्कीम'' के नाम से कोई वृहद् अथवा मध्यम परियोजना तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्राप्त नहीं हुई है । साथ ही, बिहार राज्य सरकार के वार्षिक योजना प्रस्ताव 1993-94 में ऐसी कोई परियोजना शामिल नहीं की गई है ।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ऑक्सीजन की आपूर्ति

103. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के अभाव में यदा-कदा ऑपरेशन रोके/स्थगित किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग). जी नहीं । बहरहाल, अभी हाल में हुई ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण चिकित्सीय गैसों की आपूर्ति में कुछ अस्थायी कमी महसूस की गई जिसके कारण ऐसे नेमी ऑपरेशन जिन्हें स्थगित किया जा सकता था उन्हें आस्थगित किया गया ।

बन्द की गई कोयला खानें

104. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली बन्द कोयला खानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भविष्य में इन खानों को पुनः खोलने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के नियंत्रणाधीन 43 खानें बन्द कर दी गई हैं। इन खानों के नाम नीचे दिए गए हैं :-

1.	सेक्टोरिया	2.	ईस्ट जमेहारी
3.	रतीबती 5-6	4.	के०एल०एस० चलबलपुर
5.	खास चलबलपुर/चलबलपुर	6.	नई जमेहारी खास
7.	प्योर सियरसोल	8.	दामोदा
9.	सीतलदासजी	10.	बलरुई दिशेरगढ़
11.	नार्थ ब्रुक	12.	गोगला/अदजोय बैंक
13.	मन्दरबोनी 1, 2, 4 पिट्स	14.	देओली
15.	बाराधेमो	16.	बैंक सिमलिया 7 व 8 पिट्स

17. ब्राइट राना
18. मधुसूदनपुर 1 व 2 पिट्स
19. सेन्ट्रल जमुरिया
20. जोताजानकी
21. राना ओ०का०
22. धनाडाडीह
23. ताश भू०ग०
24. नाबाकजोरा ओ०का!./घनश्याम ओ०का०
25. रतीबाती ओ०का०
26. पुरुषोत्तमपुर ओ०का०
27. पोडीह
28. नीमचा ओ०का०.
29. शिबपुर ओ०का०
30. महावीर ओ०का०
31. रानां
32. न्यू सतग्राम/सेन्ट्रल सतग्राम
33. अलकुशा गोपालपुर ओ०का!.
34. बनाली
35. केन्दा/द्वोबराना ओ०का०
36. दारुला
37. कृष्णानगर
38. सीतलपुर
39. शंकरपुर
40. गिरीमिन्ट
41. न्यू घूसिक
42. महाबीर
43. कंकरटोला एच०2

(ख) से (घ). उपर्युक्त अधिकांश खानें भण्डारों के समापन के कारण बन्द की गई हैं । कुछ एकक सुरक्षा की दृष्टि से जैसे आग, जलमग्नता, सीमों की मोटाई के कारण उत्खनन न होने, अमितव्ययी रोधक अनुपात आदि के कारण भी बंद कर दिए गए हैं । निकट भविष्य में इन खानों को पुनः खोलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। किंतु, कुछ मामलों में बंद एककों की निचली सीमों में कोयले के भण्डारों के संबंध में खानों/परियोजनाओं को पुनः समूहबद्ध करके उनसे कोयले की निकासी करने की योजना बनाई जाएगी । कार्यक्रम बनाया जाएगा ।

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र

105. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कब तक स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

नदियों को आपस में जोड़ने हेतु धनराशि

106. श्री विजय एन० पाटील : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में "प्रमुख नदियों" को आपस में जोड़ने हेतु धनराशि एकत्र करने के लिए अनिवासी भारतीयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में सूखे तथा बाढ़ पर नियंत्रण पाने हेतु प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने के लिए अनिवासी भारतीयों के प्रस्ताव पर कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है । तथापि, सरकार द्वारा तैयार किये गये जल संसाधनों के विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के अन्तरण हेतु प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच अलग-अलग अन्तर-सम्पर्क की परिकल्पना है । सरकार ने इन प्रस्तावों को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा कुल 36 जल अन्तरण सम्पर्क अभिज्ञात किए गए हैं, जिनमें 17 प्रायद्वीपीय घटक में और 19 हिमालयी घटक में हैं ।

सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया जाना

107. डा० रमेश चन्द तोमर :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने उन भापा सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाकर न्यायालय में पेश किया था जो गत पांच वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग के भवन के बाहर धरना दे रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 6 भापा सत्याग्रहियों को पुलिस स्टेशन तिलक मार्ग, नई दिल्ली में भा०दं०सं० धारा 341/34 के अन्तर्गत दर्ज

मामले में 1.11.1993 को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे धरना दे रहे थे और संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य दरवाजे को रोक रहे थे । वे वहां से गुजरने वालों के लिए व्यवधान पैदा कर रहे थे और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे ।

(ग) भाषा सत्याग्रहियों को हथकड़ी लगाने के लिए जिम्मेवार पाए गए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं ।

कच्चे तेल पर रायल्टी

108. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को कच्चे तेल पर कितनी रायल्टी का भुगतान किया जाना अभी शेष है ; और

(ख) इस तेल रायल्टी के निर्धारण के मानदंड क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सिवाय नागालैंड सरकार के जिसकी ओर से उस प्राधिकारी को सूचना अभी भेजी जानी शेष है जिसे रायल्टी का भुगतान किया जाना है, संबंधित राज्य सरकारों को रायल्टी का भुगतान नियमित रुप से किया जा रहा है । 1992-93 की समाप्ति को स्थिति के अनुसार नागालैंड सरकार को देय रायल्टी 28.95 करोड़ रुपए थी।

(ख) खनिज तेल के संबंध में रायल्टी तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 6 क और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंधों के अधीन देय है । इन उपबंधों के अनुसार रायल्टी की दर तेल क्षेत्र अथवा तेल कूप शीर्ष पर बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । रायल्टी की दर किसी भी तीन वर्षीय अवधि के दौरान एक से अधिक बार नहीं बढ़ाई जाएगी ।

तिरुपति में एड्स का फैलना

109. श्री गुरुदास कामत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति जो सर्वाधिक संपन्न मंदिरों में से एक हैं, में पूजास्थल पर आने वाले तीर्थयात्रियों में एड्स फैल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एच०आई०वी० संक्रमण के फैलने का एक मुख्य कारण रक्त तथा रक्त उत्पाद है । विसंक्रमित न की गई सुइयां तथा सिरिंजें तथा विसंक्रमित न किया गया किसी भी प्रकार का चर्म-भेदक उपकरण इस संदर्भ में खतरनाक हो सकता है । चूंकि तिरुपति के मंदिर में मुण्डन संस्कार बहुत किये जाते हैं इस प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उस्तरों को यदि एक बार इस्तेमाल के बाद ठीक तरह से विसंक्रमित नहीं किया जाता तो वहां हमेशा ही इस रोग का खतरा सम्भावनीय है । तिरुपति में प्राधिकारियों ने इस व्यवस्था को संस्थागत बनाने का निर्णय लिया है जिसमें प्रत्येक मुण्डन के बाद नया उस्तरा इस्तेमाल होगा ।

राष्ट्रीय जल परियोजना संबंधी योजना

110. डा० अमृत लाल कालिदास पटेल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत गुजरात में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल परियोजना संबंधी कोई योजना स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि के किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा ;

(ग) इन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) जी हां । 12,980 हेक्टे० क्षेत्र शामिल करते हुए धारोई जलाशय परियोजना तथा 6,800 हेक्टे० क्षेत्र शामिल करते हुए माशवो जलाशय परियोजना नामक दो परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गई हैं ।

(ग) इस पर 7.53 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आने की संभावना है ।

(घ) इसे पूरा करने की सम्भावित तिथि 31 मार्च, 1995 है ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाइयों का अभाव

111. डा० लाल बहादुर रावल :

श्री मोहन रावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 नवम्बर, 1993 के इंडियन एक्सप्रेस में "टू फेसेस आफ सी०जी०एच०एस०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आवश्यक दवाइयों का नितान्त अभाव है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को दवाइयों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दवाइयों की सप्लाई में विलम्ब होने के कारण कुछ कमी हुई थी । दवाइयों की सप्लाई को सुचारु बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं । स्थानीय दवाई विक्रेताओं से दवाइयों की खरीद करने से स्थिति में सुधार हुआ है ।

[अनुवाद]

भारतीय गैस प्राधिकरण लि० की विस्तार योजना

112. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस प्राधिकरण लि० की विस्तार योजना को अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार योजना में समाहित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना पर कितना खर्च आएगा, इसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है, इसके प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य क्या हैं, एच०बी०जे० पाइपलाइन क्षमता का कितना विस्तार होगा, और इससे गैस उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य आरंभ कर दिया जाएगा और ये कब तक पूरे कर लिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० की एच०बी०जे० पाइपलाइन की क्षमता को 18.2 एम०एम०एस०सी०एम०डी० से बढ़ाकर 33.4 एम०एम० एस०सी०एम०डी० करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । परियोजना के अनुमोदक की तारीख से 40 महीने में पूरा होने की संभावना है ।

तेल क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भूमिका

113. श्री घर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में तेल की खोज के लिए चुनिंदा तेल क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को अनुमति देने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या दिशानिर्देश/शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 31 छोटे आकार के और 12 मध्यम आकार के तेल और गैस क्षेत्रों के विकास में भाग लेने के लिए विदेशी और भारतीय निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है । अंतिम तारीख अर्थात 31 मार्च, 1993 तक कुल 117 बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं ।

भारत सरकार ने पुनः अक्टूबर, 1993 में 33 छोटे आकार के और 8 मध्यम आकार के तेल और गैस क्षेत्रों के विकास में भाग लेने के लिए विदेशी और भारतीय निजी कम्पनियों को आमंत्रित किया है । बोलियां प्राप्त होने की अंतिम तारीख 31 मार्च 1994 है ।

(ग) निर्धारित की गई मुख्य शर्तें निम्नलिखित है :

(1) मध्यम आकार के क्षेत्र एक और तेल ओर प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लि० तथा दूसरी

ओर निजी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विकसित किए जाएंगे । ये संयुक्त उद्यम निगमित अथवा गैर निगमित उद्यम हो सकते हैं ।

जहां निगमित उद्यम होगा वहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लि० का इक्विटी में 49 प्रतिशत हिस्सा होगा ।

गैर निगमित उद्यमों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लि० का हिस्सा 40 प्रतिशत होगा।

(2) छोटे आकार के क्षेत्र भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर की जाने वाली उत्पादन भागीदारी संवेदाओं के अंतर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लि० द्वारा बिना किसी सहभागिता के कंपनियों द्वारा स्वयं विकसित किए जाएंगे ।

(3) निम्नलिखित के लिए भी प्रावधान हैं :-

(क) हस्ताक्षर/उत्पादन बोनस का भुगतान ;

(ख) रायल्टी, उपकर, सीमा शुल्क, बिक्री कर इत्यादि जैसी सांविधिक लेवियों का अपना हिस्सा वहन करने के लिए ;

(ग) 50 प्रतिशत की निश्चित दर से (बिना अधिभार के) आयकर की लेवी के लिए ;

(4) ऐसे उद्यमों के अंतर्गत उत्पादित तेल और गैस के संबंध में भारत सरकार को इनकार करने का प्रथम हक होगा ।

यातायात बाधाएं

114. श्री जीवन शर्मा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने चौराहों पर बड़े रंग बिरंगे होर्डिंग लगाने पर आपत्ति की है क्योंकि इनसे यातायात बाधित होता है और संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों का ध्यान दिल्ली विज्ञापन के साधन स्थापित व प्रदर्शित करने पर नियंत्रण संबंधी विनियमन अधिनियम 1980 में दिये गये नियमों की ओर आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली ट्रफिक पुलिस ने यातायात में बाधा उत्पन्न कराने वाली होर्डिंग को हटाने के लिए संबंधित ऐसी विज्ञापन एजेंसियों को 31 नोटिस जारी किए हैं । संबंधित सिविल एजेंसियों को भी ऐसे विज्ञापनकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है ।

[हिन्दी]

कोयला श्रमिकों को मजदूरी

115. श्री राम बदन : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान के संबंध में कोई नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके उत्थान के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से कोल इंडिया लिमिटेड मजदूरी, भत्ते और परिलब्धि संबंधी लाभों के मामले में, जिसमें आवास, जलापूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं, आदि शामिल हैं, का अपने कामगारों को निर्धारण किए जाने की एक समय-परख नीति अंगीकृत करती रही है, जो कि यह कार्य वह कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे०बी०सी०सी०आई०) के जरिये कर रही है, जिसमें कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों के प्रबंधन और केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के कच्चे माल प्रभाग ओर टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि० के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

अभी तक ऐसे चार राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं । पांचवी जे०बी०सी०सी०आई० के गठन की प्रक्रिया चल रही है ।

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन

116. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में कोयले का उत्पादन स्थिर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन के लक्ष्य के संबंध में इसमें हुई वृद्धि अथवा कमी की दर क्या है ; और

(घ) खनिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने कोयला खनन कार्य का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव किया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले का हुआ वास्तविक उत्पादन तथा लक्ष्य और कोयले के उत्पादन में हुई वृद्धि को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	कोयले का उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक रुप में हुआ कोयले का उत्पादन	पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक उत्पादन में हुई वृद्धि
		(मिलियन टन में)	
1990-91	221.00	211.73	5.4 प्रतिशत
1991-92	228.00	229.28	8.3 प्रतिशत
1992-93	238.20	238.23	3.9 प्रतिशत

(घ) कोयले की निकासी के लिए नई खनन प्रौद्योगिकियों में, जो कि शुरु की गई/शुरु की जा रही हैं, उनमें खान कामगारों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संबंधी पर्याप्त व्यवस्था किया जाना शामिल है । कोयला कम्पनियों से सभी खनन क्रियाकलापों में सुरक्षा सम्बन्धी विनियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना भी अपेक्षित है । कुछ गहरी तथा गैस वाली भूमिगत खानों में भूमिगत पर्यावरणीय परिस्थितियों, जैसे तापमान, आद्रता आदि पर निरन्तर निगरानी रखे जाने के लिए दूरसंचार उपकरण स्थापित किए गए हैं । कामगारों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का सुनिश्चिय किए जाने के लिए ओपनकास्ट खानों में भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

''डब्ल्यू०एच०ओ० कालिंग दि शॉट्स इन दि हैल्थ मिनिस्ट्री''

शीर्षक से समाचार

117. श्री मोहन रावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1993 के इंडियन एक्सप्रेस में ''डब्ल्यू०एच०ओ० कालिंग दि शॉट्स इन दि हैल्थ मिनिस्ट्री'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है और इन उपायों के क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). भारत सरकार काफी समय से तम्बाकू के उपयोग के कुप्रभावों के बारे में चिन्तित है । वास्तव में भारत बहुत पहले 1975 में ही तम्बाकू-रोधी कानून बनाने वाले विश्व के देशों में पहला देश था और इस कानून का नाम सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 था । बाद में यह पाया गया कि उक्त अधिनियम में दी गई सांविधिक चेतावनी से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए । अतः एक अधिक

व्यापक कानून की आवश्यकता महसूस की गई । केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् ने काफी पहले फरवरी, 1988 में ऐसे व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की थी ।

तदनुसार सरकार ने सभी संबंधितों के परामर्श से इस मामले में कार्रवाई की और सावधानीपूर्वक विचार कर लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि संसद में एक व्यापक तम्बाकूरोध विधान रखा जाए ।

यह निर्णय किसी बाहरी एजेंसी के दबाव में लिए जाने संबंधी समाचार पत्र में लगाया गया आरोप झूठा और भ्रामक है ।

गिनी-कृमि रोग

118. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गिनी-कृमि रोग का वर्तमान स्तर क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई ;

(ग) राज्यवार किन-किन जिलों में इस बीमारी के अधिक मामलों का पता चला है ; और

(घ) सरकार द्वारा बीमारी उन्मूलन तथा प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) वर्ष 1993 (अक्तूबर तक) गिनी-कृमि रोग से पीड़ित 714 रोगियों का पता लगाया गया है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए रोगियों की संख्या इस प्रकार है :

1991	2185
1992	1081
1993 (अक्तूबर तक)	714

(ग) निम्नलिखित राज्यों के जिलों में पाई गई रोग की उच्च घटनाएं इस प्रकार हैं :

राज्य	जिले
1. मध्यप्रदेश	1. धार
2. राजस्थान	1. जोधपुर
	2. नागौर

(घ) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) गिनी-कृमि रोगियों का पता लगाना तथा सतत निगरानी ।

(2) अस्वच्छ पानी के स्रोतों में टेमेफोस डालकर वैक्टर नियंत्रण करना ।

(3) स्वास्थ्य शिक्षा ।

(4) प्रशिक्षित कार्मिक तैयार करना ।

(5) गिनी कृमि स्थानिकमारी वाले गांवों में प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था और उसको बनाए रखना ।

कोयला खान क्षेत्रों में हिंसा

119. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान क्षेत्रों में बढ़ती हुई हिंसा के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वहां की सुरक्षा का दायित्व केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयला खान क्षेत्र में हिंसा बढ़ने के संबंध में हमारे पास किसी तरह का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

तेल उद्योग में सुरक्षा के प्रावधान

120. श्री चार्ल्स फर्नांडीज : *क्या* **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल उद्योग से संबंधित वर्तमान नियमों में सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधानों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). तेल उद्योग से संबंधित सुरक्षा प्रावधानों की पुनरीक्षा करने तथा उसे अद्यतन करने के लिए इस मंत्रालय के अंतर्गत एक पूर्णकालिक तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय है । ''क्रायोजनिक सामग्री/खतरनाक रसायनों और वस्तुओं के भंडारण ; परिवहन और संसाधन को शासित करने के लिए नियम बनाने हेतु'' उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षता में एक समिति जून, 1993 में गठित की है जिसमें तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय का भी प्रतिनिधित्व है ।

डाक्टरों की शिक्षा पर आने वाली लागत

121. श्री अन्ना जोशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक्टरों को शिक्षा देने पर औसतन कितना व्यय होता है और इस समय कितने डाक्टर उपलब्ध हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के लिए कितने डाक्टर विदेश गए हैं ; और

(ग) उनमें से कितने देश में वापस आ गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) एक चिकित्सा छात्र के प्रशिक्षण के पूर्ण पाठ्यक्रम की लागत तीन लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक है जो उस संस्थान पर निर्भर है जहां छात्र प्रशिक्षण लेता है । केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो की रिपोर्टों के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषदों में 31.12.1993 की स्थिति के अनुसार 405,253 डाक्टर पंजीकृत हैं ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में प्रशिक्षित डाक्टरों और देश में लौटे डाक्टरों की संख्या इस प्रकार है :-

समाप्त वर्ष	पंजीकृत डाक्टरों की संख्या	विदेशों से वापिस लौटे डाक्टरों की संख्या
31.12.1990	5813	2800
31.12.1991	5887	2835
31.12.1992	5949	2850

[हिन्दी]

पशुओं की तस्करी

122. श्री महेश कनोडिया : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार ने सीमा पर पशुओं की तस्करी किये जाने के कितने मामलों का पता लगाया है ;

(ख) इन तस्करों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है / की जा रही है ; और

(ग) ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) वर्षवार आंकड़े, जिस रूप में उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं :-

वर्ष	**मामलों की संख्या**
1991	6911
1992	5272
1993 (अक्तूबर तक)	4664

(ख) बड़ी चौकसी रखी जाती है और सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए तस्कर, सीमा शुल्क प्राधिकारियों को और राज्य पुलिस को उचित कार्रवाई के लिए सौंप दिए जाते हैं ।

(ग) सीमा पार पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इन उपायों में शामिल हैं - सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि करना ; सघन गश्त लगाना ; अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ ओ०पी० टावर खड़े करना और नाइट विजन डिवाइस, दूरबीनों की आपूर्ति करना आदि, जिससे कि असमतल क्षेत्र में बेहतर निगरानी और गश्त की जा सके ।

गैस का उपयोग

123. श्री एन०जे० राठवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के निकट समुद्र से प्राप्त प्राकृतिक गैस का राज्य में ही उपयोग करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रुप दे दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). ताप्ती क्षेत्र, जिन्हें संयुक्त उद्यमों के रुप में विकसित किए जाने के लिए देने की पेशकश की गई है, से प्राप्त होने वाली गैस के आबंटन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं । परन्तु मौजूदा वचनबद्धताओं को हजीरा के बाहर और एच०बी०जे० पाइपलाइन के साथ पूरा करने के लिए मध्य ताप्ति और दक्षिणी ताप्ती क्षेत्रों से गैस लाए जाने का निर्णय लिया गया है ।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजना

124. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार क्रियान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख). जी नहीं । तथापि, विश्व बैंक समूह सहायता से सरदार सरोवर परियोजना के अलग हो जाने के कारण इस परियोजना को पूरा करने के लिए 550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करने के वास्ते विशेष मामले के रुप में सहमति दी गई है ताकि परियोजना की हुई 165.541 मिलियन अमेरिकी डालर की क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके ।

एड्स और कैंसर के रोगियों की संख्या

125. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999 तक एड्स तथा फेफड़ों के कैंसर से प्रभावित होने वाले लोगों की संभावित संख्या कितनी है ; और

(ख) इन भयावह बीमारियों का मुकाबला करने हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) अनुमान लगाया गया है कि यदि एच०आई०वी० संचरण की मौजूदा गति को न रोका गया तो शताब्दी के अन्त तक 10 लाख से अधिक एड्स के रोगी हो सकते हैं । यह भी अनुमान लगाया गया है कि इसी अवधि में फेफड़े के कैंसर से पीड़ित रोगियों की संख्या लगभग 41,000 होगी ।

(ख) चूंकि एच०आई०वी०/एड्स का कोई उपचार अथवा वैक्सीन नहीं है इसलिए कार्यक्रम के अन्तर्गत निवारक तरीकों तथा उपायों के बारे में जागरुकता पैदा करने, रतिज जन्य रोगों पर नियंत्रण रखने तथा रक्त निरादपता और रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर बल दिया जाता है । कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, कैंसर की रोकथाम करना, कंसर का आरम्भावस्था में पता लगाने तथा देश में कैंसर उपचार सुविधाओं में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है ।

इसमें शामिल है :- (1) कोबाल्ट थिरेपी सुविधाएं जुटाना ; (2) जिला परियोजनाओं में वृद्धि करना (3) सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कालेजों में ऑनकोलोजी विंगों का विकास (4) स्वास्थ्य शिक्षा, और (5) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता ।

गंगा जल का बंटवारा

126. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री चित्त बसु :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा जल के बंटवारे के बारे में भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख). भारत और बंगलादेश के विशेषज्ञों की संयुक्त समिति की बैठक के दौरान भारत और बंगलादेश के बीच नदी जल के बंटवारे के बारे मे मार्च, 1993 में बातचीत हुई थी । इन दोनों पक्षों ने गंगा, तीस्ता और अन्य बृहद नदियों के प्रवाहों के बंटवारे की एक समान, दीर्घावधिक एवं व्यापक व्यवस्था के लिए काम करने के वास्ते विस्तृत रुप से चर्चा की थी ।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनौमिक रिसर्च द्वारा सर्वेक्षण

127. श्री जीवन शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 24 नवम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 193 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकॅनौमिक रिसर्च ने अपना सर्वेक्षण पूरा करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या शेष शिकायतों की भी जांच कर ली गई है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) यद्यपि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है लेकिन अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 78 शिकायतों में से 68 पर गौर किया गया है ।

दूध के नमूनों में डी०डी०टी० के अंश

128. श्री जी० देवराय नायक :

श्री वी०श्रीनिवास प्रसाद :

श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्तूबर, 1993 के ''टाइम्स आफ इंडिया'' में ''डी०डी०टी० रेजिड्यूज फाउन्ड इन मिल्क सैम्पल्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गाय आदि का दूध डी०डी०टी० तथा अन्य कीटनाशकों द्वारा अधिक मात्रा में प्रदूषित पाया गया ; और

(ग) यदि हां, तो डी०डी०टी० अंशों से रहित दूध उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां ।

(ख) एच०सी०एच० तथा डी०डी०टी० के लिए बोविन दूध के जिन 2205 नमूनों का विश्लेषण किया गया उनमें से 608 नमूनें ऐसे पाए गए जिनमें निर्धारित सीमा से अधिक गामा एच०सी०एच० रजीड्यू था परन्तु सभी नमूनों में डी०डी०टी० काम्पलेक्स रेडीड्यूज 1.25 पी०पी०एम० की निर्धारित सीमा के भीतर था ।

(ग) राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को ऐसे खाद्य संदूषणों के बारे में और अधिक सतर्क होने तथा दूध के अधिकतम संख्या में नमूने उठाने के लिए कहा गया है ।

जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति

129. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु गत चार माह के दौरान कोई ताजा पहल की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य में लोकतांत्रिक प्रणाली को पुनः कब तक चालू किया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार, जम्मू तथा कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने और राजनैतिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए इच्छुक हैं । इस दिशा में, पिछले कुछ महीनों के दौरान विभिन्न कदम उठाए गए हैं । बन्दूक का भय कम करने के लिए, सुरक्षा प्रबंधों को सुव्यवस्थित करने और आतंकवादियों पर दबाव बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन को पुनः क्रियाशील बनाने पर और प्रशासन एक जनता के बीच की खाई को पाटने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । विकास कार्यों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं । आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ने केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें, इस लक्ष्य हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए की हैं और इस मामले पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है । केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों सहित विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की पहचान करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

यह आशा की जाती है कि इन सभी उपायों से और राज्य में राजनैतिक तत्वों को पुनर्जीवित करने से स्थिति में सुधार आने और राजनैतिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में मदद मिलेगी ।

क्षय-रोग के मामले

130. श्री श्रीकान्त जेना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान क्षय रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और क्षय रोग के कारण वार्षिक मृत्यु दर के प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन राज्यों में क्षय रोगियों की संख्या सबसे अधिक है ;

(घ) क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए अब तक किए गये उपायों के असफल होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्षय रोग के मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि से निपटने के लिए सरकार ने क्या नीति बनायी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना से क्षय रोग की व्यापकता अथवा मृत्यु दर में वृद्धि होने का पता नहीं चलता । क्षयरोग की व्यापकता जनसंख्या का लगभग 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान है जो देश भर में समान है और इसलिए अधिक आबादी वाले राज्यों में अधिक क्षय रोगी होंगे ।

(घ) और (ड.) एक समीक्षा कार्यक्रम से संसाधनों की अपर्याप्तता, औषधियों की आपूर्ति में बाध, रोगियों द्वारा पूरा उपचार न कराना तथा लोगों में जागरुकता कम होने जैसी कमियों का पता चला है । इन कमियों को दूर किया जा रहा है ।

आरम्भ में 5 राज्यों और प्रमुख शहरों में पर्याप्त धन की व्यवस्था करने और अन्य कमियों को दूर करने के लिए एक विश्व बैंक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है।

झारखंड मामला

131. श्री चित्त बसु :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन महीनों के दौरान झारखंड मसले को हल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस समस्या का बातचीत द्वारा हल ढूंढने के लिए कोई नई पहल करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग) 19.8.1993 को गृह मंत्री जी के साथ हुई बैठक में बिहार के मुख्य मंत्री को, झारखंड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक 1991 के संबंध में 22.7.1993 को बिहार सरकार को भेजी गई केन्द्र सरकार की टिप्पणियों पर विचार करने की सलाह दी गयी थी । टिप्पणियों पर विचार करने और उपरोक्त विधेयक में संशोधन करने, जैसा भी विधान सभा द्वारा निर्णय किया जाये, के लिए 30.10.1993 को राज्य विधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाने पर मुख्य मंत्री सहमत हुए थे।

विशेष सत्र अभी तक नहीं बुलाया गया है ।

राज्य सरकार ने अब यह कहा है कि वे आगे कार्रवाई करने पर तभी विचार कर सकते हैं यदि विधेयक का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश के साथ औपचारिक रुप से वापस भेजा जाता है । तदनुसार ही राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करने के लिए विधेयक पर औपचारिक रुप से कार्रवाई की जा रही है ।

[हिन्दी]

हृदय रोगी

132. श्री पंकज चौधरी :

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में हृदय रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो चिकित्सकों की कमी के कारण अधिकांश रोगियों की मृत्यु हो जाती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे रोगियो को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) हृदय रोगों की घटनाओं के बारे में कोई विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने के साथ करोनरी हार्ट की घटनाओं में वृद्धि होने की आशा है ।

(ख) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) हृदय रोगियों के प्रारम्भिक उपचार की सुविधाएं लगभग सभी जिला तथा उप मंडलीय अस्पतालों में उपलब्ध है ।

[अनुवाद]

म्यांमार से स्वदेश वापस आये व्यक्तियों को रोजगार

133. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने म्यांमार से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के लिए श्रेणी ''ग'' और ''घ'' पदों में प्राथमिकता निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह योजना अभी भी कार्यान्वित की जा रही है ; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि म्यांमार से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का चयन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी इस सम्बन्ध में सरकार के निर्देशों की उपेक्षा न करें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ग) समूह ''ग'' और ''घ'' पदों पर नियुक्ति के लिए बर्मा (अब म्यांमार) से स्वदेश वापस आने वालों को आयु एवं शुल्क मे स्वीकार्य छूट को 31.12.1990 से वापस ले किया गया था क्योंकि 1974 के बाद, बर्मा से संगठित स्वदेश वापसी बन्द हो गई थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एड्स से प्रभावित रोगी

134. श्री के० प्रधानी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में एड्स की रोकथाम हेतु वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में एड्स को रोकने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए 222.5 करोड़ रुपये की कुल लागत की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना विश्व बैंक की उदार शर्तों पर 840 लाख अमरीकी डालर के ऋण से कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं :-

(1) कार्यक्रम प्रबन्ध को सुदृढ़ बनाना ।

(2) इस रोग के बारे में जागरुकता पैदा करना ;

(3) रक्त निरापदता तथा रक्त का विवेकपूर्ण उपयोग ;

(4) यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण ;

(5) निगरानी तथा नैदानिक प्रबन्ध ।

उड़ीसा और बिहार में हाइड्रोकार्बन के भंडार

135. डा० कृपासिंधु भोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान तेल और गैस के लिए उड़ीसा और बिहार के किन-किन स्थानों पर ड्रिलिंग का कार्य किया है ;

(ख) इन क्षेत्रों में तेल, गैस और हाइड्रोकार्बन के कितने-कितने भंडार मिले हैं ;

(ग) क्या उपलब्ध भूकम्पीय आंकडों से यह पता चला है कि कुछ क्षेत्रों, विशेष रुप से बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले में तेल अथवा गैस भंडार मिलने की कोई संभावना नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य जारी रखने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में ड्रिलिंग नहीं हुई है। तथापि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक अन्वेषण कूप कदमा-1 की ड्रिलिंग की गई है लेकिन हाइड्रोकार्बन भंडारों की प्राप्ति नही हुई है ।

(ग) भूकम्पीय आंकडों के अध्ययन के आधार पर बिहार में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक 6 अन्वेषण कूपों की ड्रिलिंग की गई है। इनमें पश्चिमी चंपारण जिले के 3 कूप शामिल हैं। आयल इंडिया लि. द्वारा 1987 में उड़ीसा (अपतट) में 4 अन्वेषण कूपों की ड्रिलिंग की गई । यह सभी कूप सूखे साबित हुए। इस प्रकार अब तक प्राप्त आंकडों के अनुसार तेल व गैस भंडारों की कोई प्राप्ति नहीं हुई है ।

(घ) वर्तमान समय में इन क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग नहीं की जा रही है । तथापि अतिरिक्त भूकम्पीय आंकड़ों के अर्जन कार्य को जारी रखा जा रहा है।

घटिया कोयला

136. श्री जितेन्द्र नाथ दास: क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बंडेल ताप विद्युत केन्द्र को हुई घटिया कोयले की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोल इण्डिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि बंडेल तापीय विद्युत गृह को घटिया कोयले की आपूर्ति किए जाने के सम्बंन्ध में उन्हें कोइे शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । कोयले की गुणवन्ता मे सुधार किए जाने के लिए कोयला कम्पनियां अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित कदम उठाती तथा अभी भी उठा रही हैं :-

(1) फीडर ब्रेकर्स तथा कोयला रखखाव संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ताओं को सुधरी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति की जा सके ।

(2) कोयले का लदान करते समय पत्थरों को अलग किया जाता है ।

(3) कंकड़ तथा पत्थर के टुकड़ों को उठाने के लिए कोयला रखरखाव संयंत्रों में धीमी गति की टुकड़े उठाने वाली बैल्टें मुहैया की जा रही हैं ।

(4) कोयले की गुणवत्ता बनाए रखने तथा कामगारों, सुपरवाइजरों तथा अधिकारियों के बीच गुणवत्ता संबंधी जागरुकता विकसित करने के लिए लदान के समय अच्छा पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है ।

(5) कोयला क्षेत्र से 1000 कि० मी० से अधिक की दूरी पर स्थित कुछ दूरस्थ विद्युत गृहों के लिए परिष्कृत कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए कोयला परिष्करण संयंत्र स्थापित करना ।

(6) निजी पार्टियों द्वारा कोयले का परिष्करण अनुमेय करने के लिए हाल ही में एक कानून बनाया गया है।

जल संसाधन प्रबंधन के बारे में रिपोर्ट

137. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 सितम्बर, 1993 के 'द हिन्दू' में जल संसाधन प्रबन्धन के बारे में विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक ने डेल्टा (तमिलनाडु का धान का कटोरा) को इसकी पूर्व आपूर्ति से वंचित करते हुए बिना किसी समझौते के व्यापक सिंचाई योजनाएं तैयार कर ली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). तमिलनाडु सरकार ने 6 जुलाई, 1986 के अपने पत्र में कहा है कि कर्नाटक सरकार के साथ जल विवाद इस बात से उतपन्न हुआ है कि कावेरी जो अन्तर्राज्यीय नदी है के जल में कर्नाटक राज्य द्वारा कबीनी, हेमावथी, हारंगी, स्वर्णवथी और अन्य परियोजनाओं का निर्माण करने और अयाकट का विस्तार करने

में की गई कार्रवाई से तमिलनाडु राज्य और उसके निवासियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे तमिलनाडु को जल की आपूर्ति कम हो गई है । यह संतुष्टि हो जाने के बाद कि यह विवाद बातचीत के जरिए हल नहीं किया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार ने 2 जून, 1990 को अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया है और तमिलनाडु सरकार के पत्र से उत्पन्न विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए उसे भेजा है ।

डाक्टरों द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर प्रतिबन्ध

138. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सरकार का विचार डाक्टरों द्वारा की जाने वाली हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अर्ध सैनिक बल

139. श्री गुरुदास कामत : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई भिन्न अर्ध सैनिक गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

कोयले की मांग

140. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न बिजलीघरों में कोयले की कितनी मांग है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन बिजलीघरों को वास्तव में कितना कोयला सप्लाई किया गया ;

(ग) क्या इन बिजलीघरों को अपेक्षित मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ड.) इन बिजलीघरों को कोयले की अपेक्षित सप्लाई किए जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकित की गई गुजरात विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत बिद्युत गृहों के लिए कोयले की मांग 11.78 मिलियन टन है । विद्युत गृह-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विद्युत गृह	वार्षिक मांग (मिलियन टन में)
गांधी नगर	2.60
उकाई	3.45
सिक्का	0.75
वानकबानी	4.98
जोड़	**11.78**

(ख) से (घ). गुजरात विद्युत बोर्ड के विद्युत गृहों को अप्रैल से अक्तूबर, 1993 की अवधि के दौरान 6.60 मिलियन टन (अनन्तिम) वास्तविक रुप में कोयले की आपूर्ति की गई, जबकि यथा अनुपात मांग 6.53 मिलियन टन (अनन्तिम) थी । इस संबंध में की गई आपूर्ति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रक्षिप्त की गई मांग से अधिक रही ।

(ड.) कोल इण्डिया लिमिटेड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रेक्षेपण के अनुसार, गुजरात विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत सभी विद्युत गृहों की कोयले की मांग पूरी किए जाने की स्थिति में है । विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले पर भी निरन्तर रुप में गहन निगरानी रखी जा रही है ।

देवगढ़ में तेल शोधक कारखाना

141. श्री धर्मण्णा मॉडयया सादुल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने को कृपा करेगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोकेमिकल्स लि० और ओमान तेल कंपनी के बीच सिंधु दुर्ग में देवगढ़ में संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर ली जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). पश्चिमी भारत में 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता के संयुक्त उद्यम के तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए 13.3.1993 को मस्कट में भारत सरकार, ओमान सलतनत सरकार, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का० लि० ओमान आयल कंपनी लि० के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने के स्थान का अंतिम रुप से निर्धारण संयुक्त उद्यम पक्षकारों द्वारा किया जाएगा । भारत सरकार द्वारा विस्तृत व्यावहार्यता रिपोर्ट के अंतिम रुप से स्वीकृत कर लिए जाने के उपरांत इस तेल शोधक परियोजना में 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा ।

ईरान के शिष्टमंडल की यात्रा

142. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के पेट्रोलियम मंत्री के नेतृत्व में वहां का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल नवम्बर, 1993 में भारत आया था,: और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय लिये गये ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हॉ।

(ख) चर्चा किए गए विषयों में ईरान से भारत को प्राकृतिक गैस की पूर्ति, कच्चे तेल की पूर्ति, ईरान से भारत के लिए तरलीकृत का आयात और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग शामिल है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मलेरिया केन्द्र

143. श्री राम बदन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने अस्पतालों में मलेरिया की रोक-थाम के लिए विशेष सहायता केन्द्र खोले गए हैं ;

(ख) क्या सभी शहरों में मलेरिया की रोक-थाम के लिए अपेक्षित औषधियां उपलब्ध कराई गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) नैदानिक तथा उपचार सुविधाएं राज्य की सभी चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाओं नामतः मेडिकल कालेज अस्पताल, जिला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध हैं ।

(ख) राज्य सरकार से मिली नवीनतम सूचना के अनुसार औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना

144. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सीमा पर कुल कितनी दूरी तक बाड़ लगाने का निर्णय लिया गया था और 31 मार्च, 1993 तक वास्तव में कितनी दूरी तक बाड़ लगाई गई ;

(ख) बाड़ लगाने पर मूलतः कितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया था और अब तक कितना व्यय हुआ है ;

(ग) क्या बाड़ लगाने का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरु किया गया है अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुरु किया गया है ;

(घ) क्या यह कार्य विभाग द्वारा शुरु किया गया था अथवा ठेकेदारों द्वारा शुरु किया गया था ;

(ङ.) क्या सरकार का इस कार्य में घटिया सामग्री प्रयोग में लाए जाने संबंधी कोई आरोप प्राप्त हुए है;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जा रही है ;

(छ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई रिपोर्ट दी है ; और

(ज) क्या इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा दोषी लोगों को दण्डित करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) पंजाब और राजस्थान क्षेत्र में कुल मिलाकर 785.15 कि०मी० लम्बी भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने की स्वीकृति दी गई हैं, जिसमें से दिनांक 31.3.1993 तक 766.65 कि०मी० में बाड़ लगा दी गई है ।

(ख) इस कार्य हेतु 141.62 करोड़ रुपये के मूल अनुमान को स्वीकृति दी गई थी तथा दिनांक 31.3.1993 तक 138.18 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्य शुरु किया गया है ।

(घ) ठेकेदारों के माध्यम से यह कार्य किया गया है परन्तु मुख्य सामग्री जैसे कि सीमेंट, स्टील, कांटेदार तार और घुंघराली कांटेदार तार विभाग द्वारा प्राप्त करके ठेकेदारों को कार्य करने के लिए जारी किए गए ।

(ङ.) जी हां, श्रीमान् ।

(च) जी नहीं, श्रीमान् ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ज) संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गयी है ।

कांडला भटिंडा पाइप लाइन बिछाना

145. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला भटिंडा पाइपलाइन बिछाने की मूल अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) यह लाइन किस वर्ष तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस पाइपलाइन को बिछाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) मार्च, 1990 के मूल्य के स्तर के आधार पर कांडला-भटिंडा पाइपलाइन परियोजना की मूल अनुमानित लागत 204.54 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा सहित 917.55 करोड़ रुपए थी ।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन के अनुसार परियोजना के वर्ष 1995 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) कंपोजिट कार्यों की संविदा दे दी गई है तथा निर्माण पूर्व कार्यकलाप आरंभ हो गए हैं ।

[हिन्दी]

पोपावव के लिए ताप्ती से गैस उपलब्ध कराना ।

146. श्री एन०जे० राठवा :

श्री हरिन पाठक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पीपावव के लिए ताप्ती से गैस उपलब्ध कराने संबंधी कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) मध्य ताप्ति और दक्षिणी ताप्ति से प्राप्त होने वाली गैस हाजिरा तक लाई जाएगी ताकि हाजिरा और एच०बी०जे० पाइपलाइन मार्ग की वर्तमान वचनबद्धताओं को पूरा किया जा सके ।

इन क्षेत्रों को प्राइवेट उद्यमियों द्वारा विकास और निकर्षण के लिए दिया गया है जिसके संबंध में वार्ता प्रगति पर है ।

विकलांगों की हितों की रक्षा करना

147. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :

श्री एस०बी० सिदनाल :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकलांगों के हितों की रक्षा करने और देश में उनके विरुद्ध हो रहे भेदभाव से उन्हें बचाने के लिए एक विस्तृत कानून लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय, एक विधान का प्रारुप तैयार कर रहा है जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे :-

(1) विकलांग निवारण, शीघ्र पता लगाना, योग्य बनाना तथा उनका पुनर्वास ।

(2) शिक्षा

(3) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्थापन सेवाएं

(4) रोजगार

(5) परिवहन

(6) मनोरंजन

(7) सार्वजनिक भवनों तक पहुँच

(8) वित्तीय लाभ/प्रोत्साहन

(9) सामान्य प्रावधान ; और

(10) विशेष प्रावधान

(ग) सरकार प्रस्तावित विधान को यथा शीघ्र लाने का भरसक प्रयास कर रही है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

148. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के कितने अधिकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं ; और

(ख) उन विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय परस्पर कार्य करते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) शून्य ।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विस्तृत क्षेत्रों में अन्योन्यक्रिया है :-

(1) सभी के लिए स्वास्थ्य की नीति का समन्वयन ;

(2) स्वास्थ्य सूचना प्रबंध प्रणाली को सुदृढ़ करना ;

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर आधारित स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे का विकास एवं सुदृढ़ीकरण ;

(4) स्वास्थ्य के मानव संसाधनों का विकास ;

(5) संचारी एवं गैर-संचारी रोगों का निवारण एवं नियंत्रण ;

(6) सुरक्षित पेयजल तथा मूल सफाई के प्रावधान सहित पर्यावरनिक स्वास्थ्य का संवर्धन ;

(7) स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित प्रणाली में अनुसंधान विकास ;

(8) सभी के लिए स्वास्थ्य में सहायता के लिए संसाधन जुटाना ।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

149. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में चालू वर्ष में अब तक कितने आतंकवादी मारे गए, पकड़े गए और कितनों ने आत्मसमर्पण किया ;

(ख) उक्त अवधि में कितने नागरिक तथा सुरक्षाकर्मी मारे गए और घायल हुए ;

(ग) सुरक्षाकर्मियों द्वारा जब्त किए गए हथियार अग्नेयास्त्र एवं अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) आतंकवादियों के छिपने के कितने स्थानों का पता लगाया गया ; और

(ड.) सरकार द्वारा राज्य आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान अब तक 1087 आतंकवादी मारे गए, 1654 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए और 30 ने आत्म समर्पण किया।

(ख) चालू वर्ष के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में अब तक 955 सिविलियन मारे गए और 1212 जख्मी हुए, जबकि अब तक 181 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए और 731 जख्मी हुए ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान अब तक सुरक्षा बलों द्वारा जब्त किए गए शस्त्रों, गोला बारुद और अन्य सामग्री के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :-

1)	कालाशनिकोव राईफल	2214
2)	पिस्तौल	677
3)	राकेट लाऊन्चर	81
4)	मशीन गनें	147
5)	मारटार	10
6)	पी०के० गन	1
7)	ग्रेनेड लाऊन्चर	11
8)	गन	90
9)	हथगोले	4418
10)	बारुदी सुरंग	658
11)	राकेट	139
12)	विस्फोटक	656 किलोग्राम
13)	रिमोट कन्ट्रोल डिवाईस	6
14	गोलाबारुद राऊन्ड	3.60 लाख (लगभग)
15)	डब्लु०टी० सेट	140

(घ) और (ड.). उग्रवादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और इस प्रकार से छिपने का कोई निश्चित स्थान नहीं है । तथापि जिन क्षेत्रों में उग्रवादी अधिक संख्या में हैं वहां सुरक्षा अभियान तेज कर दिए गए हैं ।

जल का बंटवारा

150. श्री श्रीकान्त जेना : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों के बीच जल बंटवारे में कौन-कौन से मुख्य मुद्दे अनर्निहित हैं ;

(ख) यह मामला कब से लंबित है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मुद्दों को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के०थुंगन): (क) पड़ोसी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के बीच जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दों में, सभी सह-बेसिन राज्यों के बीच ओखला तक यमुना के उपयोज्य सतही प्रवाहों का स्वीकार्य आबंटन शामिल है ।

(ख) और (ग). हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली सह बेसिन राज्यों के बीच विवाद पर बातचीत 70 के बाद वाले दशक से चल रही है । इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अधिकारी तथा मंत्रालय दोनों स्तर पर अनेक अन्तर्राज्यीय बैठकें आयोजित की गई हैं । जल संसाधन मंत्री द्वारा दिसम्बर 1991 तथा दिसम्बर, 1992 के बीच आयोजित की गई अन्तर्राज्यीय बैठकों में की गई चर्चाओं के आधार पर एक समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार किया गया है जिसमें सह बेसिन राज्यों के बीच ओखला तक यमुना के सतही प्रवाहों का आबंटन किया गया है । इस समझौता ज्ञापन को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इसे राजस्थान द्वारा अभी स्वीकार किया जाना है । राजस्थान के साथ और बातचीत जारी है ।

''टाडा'' के तहत गिरफ्तार व्यक्ति

151. श्री चित्त बसु :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री सूर्य नारायण सिंह :

श्री रमेश चेन्निथला :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान ''टाडा'' के तहत राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्टूबर, 1993 के इंडियन एक्सप्रैस में ''ओवर 50,000 लेंग्युशिंग इन जेल्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या "टाडा" की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) सरकार ने इस रिपोर्ट को देखा है । तथापि, "टाडा" के अधीन कुल मिलाकर अब तक गिरफ्तार किए गए 56,884 व्यक्तियों में से 37009 व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है ।

(ग) हमने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे केवल आतंकवादियों और विध्वंसकारियों के खिलाफ ही "टाडा" लगाएं, छोटे-मोटे अपराधियों पर नहीं । हमने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से यह भी कहा है कि आरोप पत्र दाखिल किए जाने तक अभियुक्तों को लंबे समय तक जेलों में रखने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	420
2.	अरुणाचल प्रदेश	88
3.	असम	514
4.	बिहार	-
5.	गुजरात	1047
6.	गोवा	-
7.	हरियाणा	58
8.	हिमाचल प्रदेश	70
9.	जम्मू और कश्मीर	156
10.	महाराष्ट्र	634
11.	मध्य प्रदेश	15
12.	मणिपुर	48
13.	मिजोरम	-
14.	पंजाब	540

1	2	3
15.	राजस्थान	9
16.	तमिलनाडु	21
17.	त्रिपुरा	–
18.	उत्तर प्रदेश	102
19.	प० बंगाल	6
20.	कर्नाटक	165
21.	दिल्ली	132
22.	चंडीगढ़ प्रशासन	5

स्वास्थ्य रक्षा सेवा योजनाएं

152. श्री के० प्रधानी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी विकास एजेंसियों की सहायता और सहयोग से कुछ चुने हुए पिछड़े जिलों में कुछ स्वास्थ्य रक्षा सेवा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ;

(ख) क्या विदेशी विकास एजेंसियों की सहायता से स्वास्थ्य रक्षा सेवा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा में किसी ऐसे जिले का चयन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) उड़ीसा के पांच जिलों नामतः धेनकनाल, क्योंझर, मयूरभंज, सम्बलपुर और सुन्दरगढ़ में 1.11.1989 से पांच वर्ष की अवधि के लिए समुद्रपारीय विकास एजेंसी की सहायता से एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका परिव्यय 65.66 करोड़ रुपये है जिसके 75 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति समुद्रपारीय विकास एजेंसी द्वारा की जाएगी । किए जा रहे कार्यकलापों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, फर्नीचर, उपकरण की आपूर्ति, सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों तथा प्रशिक्षण आदि का विस्तार शामिल है ।

तेल की खोज करने संबंधी कार्य में विदेशी निवेश

153. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तेल की खोज और उसके दोहन के लिए कोई विदेशी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या सरकार पूरे वर्ष प्रस्तावों को स्वीकार करेगी ;

(घ) क्या सरकार का तेल की खोज के क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरीका अपनाने का प्रस्ताव है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) विदेशी कंपनियों ने स्वयं या परिसंघ में अन्वेषण के लिए चौथे दौर की बोली में 20 बोलियां, अन्वेषण के पांचवें दौर की बोली में 4 बोलियां तथा अगस्त, 1992 में प्रस्तावित मध्यम आकार तथा छोटे आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए 51 बोलियां प्रस्तुत की हैं ।

(ग) से (ड.) तेल क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पद्धति नहीं है । जिन दो क्रियाविधियों का प्रयोग तेल अन्वेषण में विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए बारंबार किया जाता है वे हैं विशिष्ट अन्तरालों में बोलियों के चक्र के माध्यम से तथा कंपनियों के साथ सीधी बातचीत के जरिए

तेल के अन्वेषण में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार विशिष्ट ब्लाकों में अन्वेषण के लिए वर्ष भर की सतत बोली योजना के अंतर्गत बोलियां आमंत्रित कर रही है ।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर बैठक

154. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत सहित 200 देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों की बैठक वाशिंगटन में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बैठक में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अत्याधुनिक विस्फोटक उपकरणों के उपयोग और जिन व्यक्तियों पर आतंकवादी आक्रमण की संभावना है उनकी सुरक्षा के लिए त्रुटिहीन उपाय करने पर विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

ओमान से गैस पाइप लाइन

155. श्री गुरुदास कामत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतर/ओमान से गहरे समुद्र में पाइप लाइन के माध्यम से भारत को गैस भेजने संबंधी प्रस्ताव तकनीकी रुप से संकट में पड़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). भारत में प्राकृतिक गैस के आयात के लिए जिसमें ओमान से किया जाने वाला आयात शामिल है, प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता का अभी अध्ययन किया जा रहा है ।

साम्प्रदायिक दंगे

156. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

श्री सी०के० कुप्पुस्वामी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, और 20 सितम्बर, 1993 के बीच देश में राज्यवार कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए तथा ये किन-किन स्थानों पर हुए ;

(ख) साम्प्रदायिक हिंसा और पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना में कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए ;

(ग) इनमें नष्ट हुई अथवा क्षतिग्रस्त हुई चल और अचल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य कितना है ;

(घ) इनमें धार्मिक महत्व के कितने स्थान नष्ट हुए अथवा क्षतिग्रस्त हुए ;

(ङ) राज्यवार कितने मामलों में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया और कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ;

(च) दंगों से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास पर राज्यवार कुल कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च की गयी ;

(छ) इस संबंध में राज्यवार कितने व्यक्तियों को नजरबंद किया गया अथवा गिरफ्तार किया गया, कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया, कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किये गये अथवा कितने व्यक्ति जमानत पर छोड़ गये ; और

(ज) राज्यवार कितने मुकदमें शुरु किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) से (ज). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

गुजरात में रसोई गैस कनेक्शन

157. श्री एन०वे० राठवा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात में, विशेष रुप से आदिवासी जिलों में रसोई गैस के कितने कनेक्शन दिये गये हैं ;

(ख) गुजरात में वर्ष 1993-94 के दौरान रसोई गैस के और नये कनेक्शन दिये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ये कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क). पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में, आदिवासी जिलों सहित, दिये गये रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है:

1990-91	:	39466
1991-92	:	56252
1992-93	:	38385

(ख) से (घ) वर्ष 1993-94 के लिए देश में गुजरात को मिलाकर 10 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर इतने आवेदकों को रसोई गैस के कनेक्शन यथाशीघ्र देने के प्रयास निरन्तर जारी हैं । प्रतीक्षा सूची और डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक के आधार पर नये कनेक्शन जारी किए जाते हैं ।

[अनुवाद]

पत्रकारों पर हमले

158. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एस०बी० सिदनाल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया ने हाल ही में भारत में विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रेस तथा पत्रकारों पर किये जाने वाले हमलों पर गंभीर चिंता जताई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् । चूंकि "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं, अतः लोक व्यवस्था बनाए रखना और उनके अपने क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षा का वातावरण बनाना मुख्य रुप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । तथापि, केन्द्र सरकार ने पत्रकारों के लिए आवश्यक सुरक्षा और संरक्षा उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि वे अपनी व्यवसायिक जिम्मेदारियां उचित ढंग से पूरी कर सकें । पत्रकारों पर आक्रमण के मामलों को शीघ्रता से दर्ज करने और इन मामलों की जांच करने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

तम्बाकू का उत्पादन

159. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में तम्बाकू उत्पादन के प्रतिस्थापन संबंधी कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का, इनके लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता और भुगतान प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बहुउद्देशीय ऊपरी इन्द्रावती परियोजना

160. श्री के० प्रधानी :

डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊपरी इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना तथा ऊपरी कोलाव सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ;

(ग) इन परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता तथा इनसे होने वाले अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या विश्व बैंक ने ऊपरी इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना के लिए धन देने से इन्कार कर दिया है;

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या वैकल्पिक कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) अपर इन्द्रावती तथा अपर कोलाब परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) अपर इन्द्रावती परियोजना का लक्ष्य फरवरी, 1997 तक विद्युत उत्पादन करना है और लिफ्ट नहर प्रणाली के सिवाय इसके सिंचाई कार्यों के 1995-96 तक पूरा होने का कार्यक्रम है । अपर कोलाब सिंचाई परियोजना का 1996-97 तक पूरा होने का कार्यक्रम है ।

(ग) अपर इन्द्रावती परियोजना पर, 218600 हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता के मुकाबले 3940 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है । अपर कोलाब परियोजना पर 88760 हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता के मुकाबले 32050 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है ।

(घ) से (च) अपर इन्द्रावती परियोजना 156.4 मिलियन अमरीकी डालर के विश्व बैंक ऋण तथा 156 मिलियन एस०डी०आर० के विश्व बैंक क्रेडिट से 8.6.83 को स्वीकृत की गई थी परियोजना के घटिया प्रबंध के कारण 30.6.91 से रद्द कर दिया गया था और 1.3.93 से क्रेडिट घटक को रोक दिया गया था । परियोजना प्रबंध में सुधार के संबंध में विश्व बैंक के अधिकांश सुझावों को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा चुका है तथा विश्व बैंक ने 14.10.93 से क्रेडिट की रोक को आंशिक रुप से हटा लिया है ।

विवरण

उड़ीसा की अपर इन्द्रावती और अपर कोलाब परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय स्थिति

अपर इन्द्रावती परियोजना		
भौतिक		
(1) इन्द्रावती बांध	-कंक्रीट और चिनाई -	98 %
(2) पडागड़ा बांध	-मिट्टी भरना -	95 %
(3) कपूर बांध	-बांध का भराव संबंधी कार्य पूर्ण	
(4) मुरान बांध	-कंक्रीट और चिनाई -	70 %
(5) डाइक	-7 डाइकों का कार्य पूर्ण	
(6) लिंक चैनल	ढ़लावों के सिवाय दोनों लिंक चैनल ज्यादातर पूर्ण	
(7) हैडरेस चैनल	खुदाई कार्य पूर्ण तथा 31 % कंक्रीटिंग कार्य किया गया	
(8) सर्ज साफ्ट	खुदाई-	77 %
	कंक्रीटिंग -	61 %
(9) वाल्व गृह	-कंक्रीटिंग -	68 %
(10) पैनस्टाक	-कंक्रीटिंग -	64 %
	निर्माण (फैब्रिकेशन) -	98 %
(11) विद्युत गृह	कंक्रीटिंग -	78 %
(12) अंतिम रेस चैनल	-खुदाई -	85 %
	कंक्रीटिंग -	42 %
(13) दांयी मुख्य नहर	-50.40 कि०मी० तक पूर्ण तथा शाखा नहर एवं वितरण ओर माइनरों सहित अन्य पहुंचों में कार्य प्रगति पर है ।	
(14) दांयी मुख्य नहर	-0 से 11 कि०मी० तक 97 प्रतिशत मिट्टी कार्य एवं 70 प्रतिशत कंक्रीट कार्य तथा अन्य पहुंचों में निर्माण कार्य प्रगति पर है ।	
(15) बांयी मुख्य नहर	-सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूर्ण ।	
वित्तीय		
3/93 तक हुआ व्यय	विद्युत घटक	-340.52 करोड़ रुपये।
	सिंचाई घटक	-219.07 करोड़ रुपये।

अपर कोलाब परियोजना

भौतिक

घटक	मिट्टी कार्य	संरचना कार्य	चिनाई कार्य	कंक्रीट कार्य
1	2	3	4	5
1.जयपुर मुख्य नहर आर०डी० 00 से 14 कि०मी० तक	94.71 %	97.67 %	99.54 %	99.18 %
2.वही-आर०डी० 14 से 42 कि०मी० तक (डिस्टी माइनर एवं सब माइनरों सहित)	82.24 %	54.35 %	60.86 %	63.64 %
3.वही- आर०डी० 42 से 58.83 कि०मी० तक	91.10 %	95.12 %	98.78 %	96.96 %
4.डिस्टी माइनर एवं सब माइनर आर०डी० 00 से 14 कि०मी० तक	98.40 %	95.48 %	79.74 %	82.74 %
5.वही- आर०डी० 42 कि०मी० से 58.832 कि०मी० तक	54.99 %	19.50 %	20.26 %	37.80 %
6. मुख्य कार्य - पूर्ण				

वित्तीय

3/93 तक हुआ व्यय - 108.86 करोड़ रुपये ।

कोल इण्डिया लिमिटेड के पायलट

161. श्री रामचंद्र वीरप्पा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड में साठ वर्ष की आयु के कितने पायलट कार्यरत हैं ;

(ख) क्या विमान नियम 1937 की धारा 28 "क" के 2 नियमों का पालन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) एक पायलट कार्यरत है ।

(ख) और (ग). कोल इंडिया लि० का वायुयान निजी श्रेणी के अंतर्गत आता है, जोकि कंपनी के कार्मिकों को नि:शुल्क यात्रा के लिए प्रयोग में लाया जाता है अर्थात् निजी उपयोग के लिए तथा न कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए ।

भूमिगत खानें

162. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल भूमिगत ख़ानों के नवोकरण की लागत खुले मुहानों की खानों के लिए लाई गई मशीनों की लागत से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भूमिगत खानों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). भूमिगत खानों के नवीकरण संबंधी लागत तथा ओपनकास्ट के लिए लाई गई मशीनों की लागत की तुलना करना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मामले में लागत पर्याप्त तकनीकी-आर्थिक औचित्यता के पश्चात् विभिन्न घटकों की किसी भी श्रेणी के संबंध में निर्णय किया जाता है । दो मदों के बीच लागत की तुलना का सामान्यीकरण किया जाना सम्भव नहीं है ।

(ग). अप्रैल-अक्तूबर, 1993 के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड में भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन की निष्पादित तथा 1992 की इसी अवधि के लिए भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

अप्रैल, 92 - अक्तूबर, 92	अप्रैल, 93 - अक्तूबर, 93
329.99	305.46

उपर्युक्त से यह पुष्टि होती है कि भूमिगत खानों की अनदेखी नहीं की जा रही है । इसके अलावा, भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन में सुधार कोल इंडिया लि० की वार्षिक कार्य योजना में एक बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रुप में निर्णय लिया गया है ।

शव परीक्षण संबंधी निर्देश

163. श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 1993 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रैंग ओवर दि पोस्ट-मार्टम ऑफ ए हाकी प्लेअर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजधानी में शव परीक्षण के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; ओर

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). दिल्ली को विभिन्न अंचलों में बांटा गया है और निम्नलिखित अस्पताल अपने शव गृहों में शव परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं :-

1. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
3. सफदरजंग अस्पताल
4. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल
5. गुरु तेग बहादुर अस्पताल
6. पुलिस शव गृह
7. हिन्दूराव अस्पताल

रक्त बैंक के खून से एड्स

164. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मई, 1993 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''रक्त बैंक के खून से एड्स होने का खतरा'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी, हां । समाचार में इस बात की सम्भावनाएं व्यक्त की गई हैं कि परीक्षण न किए गए रक्त के रक्ताधान तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि काफी सारा रक्त वाणिज्यिक रक्त बैंकों तथा व्यावसायिक रक्त दाताओं से प्राप्त होता है, एच०आई०वी० फैल सकता है ।

(ग) सरकार ने पहले ही एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि रक्ताधान के प्रयोजन के लिए सुरखित तथा संक्रमण-मुक्त रक्त ही इस्तेमाल हो । एच०आई०वी० परीक्षण सुविधाएं 100 केन्द्रों में स्थापित की गई हैं तथा सभी रक्त बैंकों को रक्त के नमूनों की जांच के लिए ऐसे केन्द्रों के साथ जोड़ा गया है । 372 जिला केन्द्रों, जोकि बुनियादी तौर पर रक्ताधान केन्द्र हैं, को आसान तथा शीघ्र जांच करने वाले किट उपलब्ध किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों को और अधिक कड़ा बनाया गया है तथा निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है ताकि अनिवार्य अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन हो सके । स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने तथा 30 बड़े रक्त बैंकों में रक्त के घटकों को अलग करने के जरिए इसके अभीष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणात्मक अभियान भी शुरु किए जाने का प्रस्ताव है ।

निजी क्षेत्रों को तेल क्षेत्र सौंपना

165. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ छोटे तेल क्षेत्रों को उनके विकास के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ तेल क्षेत्रों को विकास के लिए पहले ही निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अगस्त, 1992 में भारत सरकार ने निजी पार्टियों द्वारा विकास किए जाने के लिए 31 छोटे आकार के तेल और गैस क्षेत्रों का प्रस्ताव किया थां अंतिम तिथि अर्थात् 31 मार्च, 1993 तक 87 बोलियां प्राप्त हुई हैं ।

पुनः अक्तूबर, 1993 में भारत सरकार ने निजी पार्टियों द्वारा विकास किए जाने के लिए 33 छोटे आकार के तेल और गैस क्षेत्रों को प्रस्तावित किया है । बोलियों को प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि 31 मार्च, 1994 है ।

इन छोटे आकार के क्षेत्रों को विकास के लिए प्रस्तावित करने के कारण निम्नांकित हैं :-

(1) तेल/गैस के क्षेत्रों के विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देना तथा इस प्रकार बचाए गए सरकार के स्रोत को ज्यादा संभावना युक्त क्षेत्रों में प्रयोग करना ।

(2) वसूली योग्य भंडारों के दोहन की गति में तेजी लाना

(3) विकास और उत्पादन के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ लेना ।

(4) इसके लिए भारत सरकार के या इसके सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा आधारभूत सुविधाओं का सृजन किए बिना अलग-अलग स्थानों में अवस्थित क्षेत्रों से उत्पादन शुरु करना ।

स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद

166. श्री गुरुदास कामत : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों के लिए एक स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद् स्थापित करने के सम्बन्ध में हाल ही में कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसरण में लद्दाख में उचित संस्थागत व्यवस्था तंत्र, जो विकास की गति को तेज करने और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ होगा, स्थापित करने से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सरकारी स्तर पर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें की गयी । 8-9 अक्तूबर, 1993 को केन्द्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में हुई पिछली बैठक में, लेह के लिए एक स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद् गठित करने पर सर्व-सम्मति हुई थी । इसके अनुसरण में राज्य सरकार का, इस उद्देश्य के लिए विधायन तैयार करने के लिए

आगे कदम उठाएगी, जिसमें कारगिल जिले के लिए भी समान व्यवस्था करने के उपबंध होंगे ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नशीली दवाइयों के सेवन पर नियंत्रण

167. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाइयों के सेवन पर नियंत्रण करने के संबंध में विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों में कोई तालमेल है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित समितियां विभिन्न सरकारी संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय और उनकी समीक्षा करती रही हैं :

(1) नशीली दवा के दुरुपयोग नियंत्रण संबंधी मंत्रिमंडल उप-समिति

इस समिति में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री शामिल हैं । इस समिति का कार्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मंत्रालय/विभाग के कार्यों को देखना तथा अधिक प्रभावी कार्रवाई तथा बेहतर समन्वय हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना है ।

(2) अन्तर्मंत्रालयी समन्वय समिति

इस समिति की अध्यक्षता नारकोटिक-नियंत्रण ब्यूरों के महानिदेशक द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों के अधिकारीगण और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण इसके सदस्य होते हैं । इसके प्रमुख कार्यों में मद्यनिषेध नीति तथा विभिन्न राज्यों में इसकी प्रगति की आवधिक समीक्षा करना शामिल है । ताकि राज्यों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों का अध्ययन किया जा सके ।

इसके अलावा समय-समय पर सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए नियमित बैठकों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है ताकि कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

11.57 म०पू० तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1993 / 12 अग्रहायण 1915 (शक) ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : सैनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली -110006